खण्ड २ — अंक २३
२० मार्च, १९५६, (मंगलवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XII Session)

(खण्ड २ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

चार आने या २५ नये पैसे (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

(खण्ड २—१६ मार्च से १६ अप्रैल, १९५६)

अंक २१—शुक्रवार, १६ मार्च, १९५६ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३५ से ७३८, ७४०, ७४३, ७४४, ७४९, ७५४ से ७५६, ७५८, ७६०, ७६२ से ७६४, ७३९, ७४६, ७५१ और ७५२ ६९२–७१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४१, ७४२, ७४६, ७४७, ७४८, ७५०, ७५३, ७५७, ७५९ और ७६१ ... ... ७१२–१६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४१९ से ४४० ... ७१६–२१

दैनिक संक्षेपिका **७२२–२३**

अंक २२—सोमवार, १९ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७६५, ७९१, ७९७, ७६६, ७६७, ७६९ से ७७३, ७७६ से ७७९, ७८१, ७८४, ७८७, ७८९, ७९०, ७९२ से ७९५, ७९८ और ७९९ ... ७२४–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७६८, ७७४, ७७५, ७८०, ७८२, ७८३, ७८५, ७८६, ७८८ और ७९६ ... ... ७४७–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४१ से ४७७ ७५०–६३

दैनिक संक्षपिका **७६४–६५**

अंक २३—मंगलवार, २० मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०० से ८०८, ८११ से ८१४, ८१६, ८२० से ८२६, ८२८, ६१६, ८१० और ८१७ ७६६–८६

एक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि **७८६**

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ और ५ ७८६–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०९, ८१५, ८१८, ८१९ और ८२७ ७८८–८९

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७८ से ४८६ ७८९–९२

दैनिक संक्षेपिका **७९३–९४**

पृष्ठ

अंक २४—बुधवार, २१ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२९ से ८३१, ८३३ से ८३९, ८४१, ८४३ और ८४५ से ८५६ ७९५–८१६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३२, ८४० से ८४२ और ८४४ ... ८१६–१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८७ से ४९९ ८१७–२०

दैनिक संक्षेपिका ८२१–२२

———

अंक २५—गुरुवार, २२ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५७, ८५९ से ८६३, ८६५ से ८६७, ८६९, ८७१ से ८७४, ८७६ से ८७८, ८८०, ८८२, ८८५, ८५८, ८६४ और ८८१ ८२३–४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६८, ८७०, ८७५, ८७९, ८८३, ८८४ और ८८६ ८४५–४७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५०० से ५१७ ८४७–५३

दैनिक संक्षेपिका ८५४–५५

———

अंक २६—शुक्रवार, २३ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८७ से ८९२, ८९६ से ८९८, ९००, ९०२, ९०४, ९०६, ९०७, ९०९, ९११, ८९४, ८९९, ९०१, ९१० और ८९५ ८५६–७३

प्रश्नों का उत्तर देने के लिये विभिन्न मंत्रालय के लिये दिन नियत करना ८७४

प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ८७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९३, ९०३ और ९०५ ८७४–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१८ से ५२२ ८७५–७६

दैनिक संक्षेपिका ८७७–७८

———

अंक २७—बुधवार, २८ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१२, ९१५, ९१९, ९२१, ९२३ से ९२५, ९२८, ९२९, ९३१, ९४० से ९४३, ९४६ से ९४९, ९१६, ९१७, ९२६, ९२७, ९३३, ९३४, ९३८ और ९४४ ८७९–९०१

पृष्ठ

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ ९०१–०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१३, ९१४, ९१८, ९२०, ९२२, ९३०, ९३२, ९३५ से ९३७, ९३९ और ९४५ ९०४–०७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२३ से ५४९ ९०७–१८

दैनिक संक्षेपिका ९१९–२०

अंक २८—गुरुवार, २९ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५१, ९५३, ९५४, ९५६ से ९५९, ९६३, ९६५, ९६८, ९७४, ९७५, ९७८, ९८०, ९८२, ९८४ से ९८६, ९८९ से ९९१, ९९३, ९९६ और ९६० ९२१–४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५०, ९५२, ९५५, ९६१, ९६२, ९६४, ९६७, ९६९ से ९७३, ९७६, ९७७, ९७९, ९८१, ९८३, ९८७, ९८८, ९९२, ९९४, ९९५ और ९९८ से १००० ... ९४१–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५० से ५५६ और ५५८ से ६०२ ९४८–६७

दैनिक संक्षेपिका ९६८–७०

अंक २९—शनिवार, ३१ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००१, १००३, १००६, १००७, १०११ से १०१३, १०१५, १०१७ से १०२२, १०२४, १०२६ से १०२८, १०३० से १०३२, १०३४ से १०३७, १०३९ और १०४० ९७१–९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००२, १००४, १००५, १००८ से १०१०, १०१४, १०१६, १०२३, १०२५, १०२९, १०३३, १०३८ और १०४१ ९९४–९८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०३ से ६२९ ... ९९८–१००८

दैनिक संक्षेपिका १००९–११

अंक ३०—सोमवार, २ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४२ से १०४६, १०४९, १०५३, १०५७, १०५९, १०६१, १०६३ १०६५, १०६९, १०७८, १०८०, १०७०, १०७१, १०७५, १०७९ और १०८१ से १०८४ ... १०१२–३४

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०४७, १०४८, १०५० से १०५२, १०५४ से १०५६, १०५८, १०६०, १०६२, १०६४, १०६७, १०७२ से १०७४ और १०७६ ... १०३५–३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३० से ६३७ १०३९–४१

दैनिक संक्षेपिका **१०४२–४३**

अंक ३१—मंगलवार, ३ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८५, १०८७ से १०९१, १०९३ से १०९५, ११००, ११०१, ११०३ ११०५ से ११०७, १११०, ११३६, १११९ से १११६, १११९ और ११२० ... ... १०४४–६५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ और ८ ... १०६५–६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८६, १०९२, १०९६ से १०९९, ११०२, ११०४, ११०८, ११०९, १११७, १११८, ११२१ से ११३५, ११३७ से ११४२ और ११४४ से ११४९ ... ... १०६९–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३८ से ६५२ और ६५४ से ६९४ १०८०–११०३

दैनिक संक्षेपिका **११०४–०७**

अंक ३२—बुधवार, ४ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५०, ११५४ से ११५६, ११५९, ११६४, ११६५, ११६७ से ११६९, ११७१, ११७३ से ११७५, ११८० से ११८२, ११८६, ११८८, ११५२, ११६० और ११७९ ११०८–२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५१, ११५३, ११५७, ११५८, ११६१ से ११६३, ११६६, ११७०, ११७२, ११७६ से ११७८, ११८३ से ११८५, ११८७ और ११८९ से ११९१ ११२८–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या ६९५ से ७२५ और ७२७ से ७३५ ११३४–४७

दैनिक संक्षेपिका **११४८–५०**

अंक ३३—गुरुवार, ५ अप्रैल, १९५६

बैठकों का समय **११५१**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९२, ११९४ से ११९६, १२०१, १२०२, १२०५ से १२०७, १२०९ से १२१४, १२१७ से १२२० ११५२–७१

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९३, ११९७ से १२००, १२०३, १२०४, १२०८, १२१५, १२१६, १२२१, १२२२ ... ... ११७१–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७३६ से ७४३ ११७५–७७

दैनिक संक्षेपिका **११७८–७९**

अंक ३४—शुक्रवार, ६ अप्रैल, १९५६

सत्र काल में संसदीय समितियों की बैठकों का समय **११८०**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२३, १२२५, १२२६, १२२९, १२३१, १२३२, १२३४, १२३७, १२३८, १२४१, १२४३, १२४५ से १२५०, १२५२, १२५३, १२५५ और १२५७ से १२६३ ११८०–१२०२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ १२०२–०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२४, १२२७, १२२८, १२३०, १२३३, १२३५, १२३६, १२३९, १२४०, १२४२, १२४४, १२५१, १२५४, १२५६, १२६४ और १२६५ ... ... १२०३–०८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७४४ से ७९७ १२०८–२७

दैनिक संक्षेपिका ... **१२२८–३०**

अंक ३५—सोमवार, ९ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६७ से १२७४, १२७७, १२७८, १२८४, १२८६, १२८८, १२९० से १२९२, १२९४ से १२९६, १२९९, १२७५, १२८२, १२८७ और १२९७ १२३१–५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६६, १२७६, १२७९ से १२८१, १२८३, १२८५, १२८९, १२९३ और १२९८ ... ... १२५३–५५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७९८ से ८४० १२५६–७०

दैनिक संक्षेपिका **१२७१–७३**

अंक ३६—मंगलवार, १० अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०३ से १३०६, १३०८, १३११, १३१२, १३१४ से १३१७, १३१९ से १३२१, १३२३ से १३२५, १३२७ से १३२९, १३३१, १३३३ से १३३५ और १३०० ... १२७४–९६

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१, १३०२, १३०७, १३०९, १३१०, १३१३, १३१८, १३२२, १३२६, १३३०, १३३२, १३३६ और १३३७ ... ... १२९६–९९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४१, ८४२ और ८४४ से ८६४ १३००–०७

दैनिक संक्षेपिका ... १३०८–०९

अंक ३७—बुधवार, ११ अप्रैल, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण ... **१३१०**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १३३९ से १३४२, १३५०, १३५१, १३५३ से १३५५, १३५७, १३५९, १३६०, १३६३, १३६५, १३६६, १३६८, १३७० से १३७२, १३७७, १३७९, १३८१ और १३८२ ... १३१०–३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या १३३८, १३४३ से १३४९, १३५२, १३५६, १३५८, १३६१, १३६२, १३६४, १३६७, १३६९, १३७३ से १३७६, १३७८, १३८० और १३८३ से १३८५ १३३१–३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८६५ से ९३०क १३३९–६१

दैनिक संक्षेपिका ... **१३६२–६५**

अंक ३८—गुरुवार, १२ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३८६ से १३८८, १३९०, १३९२, १३९८, १४०१, १४०४, १४०६, १४०८, १४१० से १४१२, १४१६ से १४१८, १३९७, १४००, १४०९, १४१३ और १४१४ १३६६–८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० और ११ ... १३८४–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३८९, १३९१, १३९३, १३९४, १३९६, १३९९, १४०२, १४०३, १४०५ और १४०७ १३८८–९१

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३१ और ९३३ से ९५२ १३९१–९८

दैनिक संक्षेपिका **१३९९–१४००**

अंक ३९—शनिवार, १४ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४१९, १४२०, १४२२, १४२३, १४२५ से १४२७, १४३० से १४३९ और १४४१ से १४४६ १४०१–२१

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १४२१, १४२४, १४२८, १४२९, १४४० और १४४७ से १४५२ १४२१–२४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५३ से ९७४ १४२४–३४

दैनिक संक्षेपिका १३३५–३६

अंक ४०--सोमवार, १६ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १४५४ से १४५९, १४६४, १४६६ से १४६८, १४७०, १५०१, १४७३ से १४७५, १४७८, १४७९, १४८१, १४८२, १४८४ से १४८६ और १४८८ से १४९० १४३७–५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १४६० से १४६३, १४६५, १४७१, १४७२, १४७६, १४७७, १४८०, १४८३, १४८७, १९९१ से १५००, १५०२ और १५०३ १४५९–६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७५ से १०६९ १४६६–१५०३

दैनिक संक्षेपिका १५०४–०७

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १ – प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

मंगलवार, २० मार्च, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कच्चे तांबे के निक्षेप

†*८००. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागपुर जिले के उमरेर तहसील में कच्चे तांबे के विस्तृत निक्षेप पाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार के हैं और कितने बड़े हैं;

(ग) क्या अनुसंधान पूरे हो गये हैं अथवा जारी हैं; और

(घ) अनुसंधान के क्या परिणाम हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)**: (क) से (घ). उपलब्ध जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १६**]

†**श्री श्रीनारायण दास** : भारत का भूतत्वीय परिमाप और आगे अनुसंधान कब करने जा रहा है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : कच्चे तांबे के विस्तृत अनुसंधान का कार्यक्रम दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया जायगा। प्रत्येक जाड़े के मौसम में दलों को कार्यक्रम दे दिया जाता है और वे जाड़े के मौसम में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करना प्रारंभ कर देते हैं।

†**श्री बी० डी० पांडे** : क्या मैं पूछ सकता हूं कि हिमालय में, खासकर अलमोड़ा के जिले में, सीसा और तांबा पाया गया है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : अल्मोड़ा जिले में कुछ प्रारंभिक अनुसंधान किये गये थे और उनमें तांबा मिला है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बी० डी० पांडे** : लोग यह जानना जाहते हैं कि क्या निकट भविष्य में इन खनिजों का उपयोग किया जायगा?

†**श्री के० डी० मालवीय** : मैं अपने माननीय मित्र से कहूंगा कि यह जानकारी वे अपनी राज्य सरकार से पूछें। मुझे विश्वास है कि वह कुछ समाधानकारक उत्तर उन्हें दे सकेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूं कि यह आवश्यक नहीं है कि वे प्रस्तावना से प्रारंभ करें और उपसंहार से समाप्त करें ? वे केवल किसी एक विशिष्ट प्रश्न का उत्तर पूछने के अधिकारी हैं। यह आशा की जाती है कि प्रत्येक प्रश्न जो पूछा जाता है, सार्वजनिक हित में होगा।

राज्य औद्योगिक उपक्रम

†*८०१. **श्री राधा रमण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संभव बचतों का उपयोग करने के हेतु सरकार जनता से अनेक राज्य औद्योगिक उपक्रमों में चन्दा देने के लिये कहने का विचार करती है; और

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत तक इस प्रकार चन्दा देने के लिये जनता से कहा जायगा?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : (क) संसद् की प्राक्कलन समिति ने राष्ट्रीयकृत औद्योगिक उपक्रमों के संगठन और प्रशासन से सम्बन्धित सोलहवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि संयुक्त स्कंध समवायों के तौर पर स्थापित किये गये सरकारी उपक्रमों में कुछ पूंजीनियोजन का कम से कम २५ प्रतिशत जनता के लिये अवश्य उपलब्ध होना चाहिये। यह सिफारिश विचाराधीन है।

(ख) अभी प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री राधा रमण** : प्राक्कलन समिति की प्रस्थापना में कौन-कौन से विशिष्ट उद्योग सम्मिलित हैं ? दूसरे शब्दों में सरकार वर्तमान कार्यक्रम में किन-किन विशिष्ट उद्योगों को उठाने का विचार करती है?

†**श्री बी० आर० भगत** : मैंने बताया है कि यह उन राज्य-उपक्रमों के सम्बन्ध में है जो संयुक्त स्कंध समवायों के तौर पर संगठित किये गये हैं।

†**श्री राधा रमण** : इन उपक्रमों में कुल कितना विनियोजन किया जायगा और उस में केन्द्र का तथा राज्यों का कितना अंश होगा ?

†**श्री बी० आर० भगत** : यह प्रश्न कि क्या वह जनता के लिये खुला रहना चाहिये सक्रिय विचाराधीन है। इस प्रश्न के निर्णय के बाद ही यह बताया जा सकेगा कि उसके क्या विस्तार हैं और कितनी धनराशि जनता के लिये और कितनी धनराशि केन्द्रीय सरकार और कितनी राज्य सरकार के लिये खुली होगी।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या यह सच है कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ और बंगलोर की हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में मैसूर गवर्नमेंट के जो शेयर हैं उनको वह वापस लेना चाहती है और दूसरे शेयरों पर भी कोई डिविडेंड नहीं मिला है? यदि हां, तो जबकि आपकी राज्य सरकारें ही शेयरों को वापस लेना चाहती हैं तो इस बात का पब्लिक को क्या भरोसा है कि अगर वह इन्वेस्ट करेगी तो उसको उससे लाभ होगा ?

श्री बी० आर० भगत : जो दिक्कत माननीय सदस्य ने बतलाई है वह हमारे सामने है हमें मालूम है कि कई व्यवस्थाओं में कोई मुनाफा अभी तक नहीं हो रहा है फिर कैसे जनता उनमें रुपया लगा सकती है। यह प्रश्न हमारे सामने है और इस पर हम गौर कर रहे हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास** : वह विचार की कौन-सी दशा में है अथवा वह किस प्रकार की है अर्थात् वह सक्रिय है या साधारण है?

†**श्री बी० आर० भगत** : वह बहुत सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बर्मे (ड्रिलिंग रिग्स)

†*८०२. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल की खोज के लिये भारत रूस से बर्मे (ड्रिलिंग रिग) खरीदेगा;

(ख) यदि हां तो कितने बर्मे खरीदे जायेंगे; और

(ग) उनका मूल्य क्या होगा ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग). जी, हां। सम्पूर्ण प्रश्न सरकार के विचाराधीन हैं।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या इस सम्बन्ध में रूस सरकार और भारत सरकार के बीच किसी संविदा पर हस्ताक्षर किये जाने का विचार है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : जी, हां। ज्यों ही प्राप्त हुए मूल्य-कथनों का परीक्षण हो जायगा और वे स्वीकार कर लिये जायेंगे, एक संविदा पर हस्ताक्षर किये जायेंगे।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या माननीय मंत्री रूस के दौरे में यह मालूम कर सके कि विदेशों से सामान भेजे जाने में जो प्राय: अत्यधिक विलम्ब होता है वह इस मामले में भी नहीं होगा ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : उन कठिनाइयों को दूर करने और विभिन्न मंत्रालयों से उन्हें सुलझा लेने के लिये हम यथासंभव अधिक प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु मैं मानता हूं कि ऐसी अनेक कठिनाइयां हैं जो अभी दूर नहीं की गयी हैं।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या माननीय मंत्री अपने दौरे में यह मालूम कर सके कि इस उपकरण के मामले में अन्य देशों की अपेक्षा रूस से इसे प्राप्त करना अधिक सस्ता होगा ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : किस्म के आधार पर इस उपकरण का मूल्य निर्धारित करना कठिन है क्योंकि एक देश में एक किस्म का सामान दूसरे देश में उपलब्ध न हो। फिर भी हम रूस से एक अच्छा सौदा कर सकेंगे।

†**श्री पी० सी० बोस** : क्या रूस से खरीदे जाने वाले रिग डायमन्ड ड्रिल टाइप के होंगे ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : जी नहीं।

†**श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या ये उपकरण राज्य-उपक्रमों के लिये काम में लाये जायेंगे और किन अन्य देशों के साथ हम इस सम्बन्ध में बातचीत कर रहे हैं ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : ये सब ड्रिल और अन्य उपकरण प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के प्राकृतिक गैस डिविजन द्वारा उपयोग के लिये हैं और हमें आशा है कि हम ये औजार न केवल रूस से बल्कि अन्य किसी देश से भी जिससे हम आकर्षक भाव पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं।

श्री आर० एस० तिवारी : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो बर्मे रूस से आयेंगे उनके लिए जिन चालकों की आवश्यकता होगी वे भी रूस से ही बुलाये जायेंगे ?

श्री के० डी० मालवीय : शुरू-शुरू में चालकों का भी वहीं से प्रबन्ध किया गया है। यहां वे ८-१० महीने रहेंगे और इनको चलाकर हमारे लोगों को बतायेंगे कि कैसे संतोषजनक रीति से इनको चलाया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बी० डी० पांडे** : दिल्ली प्रदर्शनी में हमने एक बहुत बड़ा ड्रिलिंग सामान जो रूमानिया का था, देखा था । क्या सरकार ने या किसी अन्य कम्पनी ने उसे खरीद लिया है या वह इस देश से जा चुका है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : भारत सरकार ने अपने प्रयोजन के लिये उसे खरीद लिया है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या वह औजार रूमानिया ढंग का है अथवा बाकू ढंग का ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता हूं ।

नौसेना दिवस

†*८०३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बन्दरगाहों पर और समुद्र तट के नौसैनिक संस्थापनाओं में दिसम्बर, १६५५ में नौसेना दिवस मनाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) जी, हां ।

(ख) मुख्य उद्देश्य देश की प्रतिरक्षा की सामान्य योजना में भारतीय नौसेना के कार्य का प्रचार करना था ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : इस सम्बन्ध में कुल कितना खर्च किया गया था ?

†**सरदार मजीठिया** : मोटे तौर पर वह २०,००० रुपये के लगभग था । यहां मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में सरकारी निधियों से कोई खर्च नहीं किया गया है ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : कितनी जगहों पर नौसेना दिवस मनाया गया था ?

†**सरदार मजीठिया** : अधिकतर भर्ती-केन्द्रों में, प्रतिरक्षा इंजीनिअरिंग संस्थापनाओं में, नौसेना प्रशिक्षण स्कूलों, इलेक्ट्रिक और रेडियो स्कूलों, बालक प्रशिक्षण संस्थापनाओं आदि में मनाया गया था ।

†**श्री एस० एन० दास** : इस उत्सव के महत्वपूर्ण अंग क्या थे ?

†**सरदार मजीठिया** : साधारणतया केवल परेड, रूटमार्च, सभाएं, विभिन्न भर्ती केन्द्रों में स्वागत समारोह जनता के लिये जहाज़ों और संस्थापनाओं का खोल दिया जाना जिससे कि वे जा सकें और उन्हें देख सकें । ये ही मुख्य बातें हैं ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : माननीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने इस बाबत कुछ खर्च नहीं किया है । क्या मैं जान सकता हूं कि यह धन कहां से एकत्र किया गया था ?

†**सरदार मजीठिया** : पुस्तिकाएं छापी गयी थीं और उनमें जो विज्ञापन दिये गये थे उससे करीब १५,००० रूपये मिले । जैसा कि मैं ने पहले बताया, कुल व्यय लगभग २०,००० रुपये के करीब हुआ था । शेष धन इन पुस्तिकाओं की बिक्री से, जो आठ आने प्रति पुस्तिका की दर से बेची गयी थीं, और दान से प्राप्त किया जायगा ।

उत्तुंग गवेषणा संस्था

*८०४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री ४ अगस्त, १६५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ४३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तुंग गवेषणा संस्था की स्थापना करने के प्रश्न के बारे में कोई निर्णय हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह कहां स्थापित की जा रही है ?

ल अंग्रेजी में

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). यह विषय विचाराधीन है ।

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं इसमें यह जोड़ देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ कार्रवाई हो भी चुकी है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक इस सम्बन्ध में कौन-कौन से स्थानों की जांच की गई है और किस स्टेज पर यह मामला है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह प्रश्न जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है कई सालों से विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में कुछ कार्रवाई आखिरी तौर पर हुई भी है और वह यह है कि काश्मीर में और लद्दाख में हमारे कुछ वैज्ञानिक जैसे डा० भाबा, डा० रामनाथन इत्यादि गए थे और यह निश्चय किया गया है कि कास्मिक रे के अनुसन्धान के लिये वहां पर एक केन्द्र खोल दिया जाये । उस केन्द्र को खोलने के लिये जिस सामान की जरूरत होगी उसके बारे में जांच पड़ताल हो रही है और आशा की जाती है कि जल्दी ही कोई अन्तिम फैसला हो जाएगा और गुलमर्ग–खिलनमर्ग में वह केन्द्र खोल दिया जाएगा । साथ ही जो माउंटेनीयरिंग स्कूल दार्जिलिंग में खोला गया है उसके साथ भी प्रबन्ध हो गया है कि वहां पर हिम विज्ञान और हिमारोहण के सम्बन्ध में जो कलायें हैं वह उन लोगों को सिखाई जायें जो पहाड़ों पर चढ़ कर चोटियों की खोज-पड़ताल करते हैं ।

कई स्थान दक्षिण में भी हैं जो एटामिक इनरजी कमीशन के अन्तर्गत चुने गये हैं जहां कासमिक रे के सम्बन्ध में जांच पड़ताल होती है । इसके अलावा कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी सलाह दी है कि अलमोड़ा और गढ़वाल में कोई जगह तजवीज़ की जाए जहां पर बनस्पति और जीवजन्तु के संग्रहालय का काम किया जाए और उस सम्बन्ध में अन्वेषण किया जाए । इस सम्बन्ध में भी विचार हो रहा है कि अलमोड़ा या मसूरी में कोई उपयुक्त जगह मिल सकती है या नहीं ।

भारत का राज्य बैंक

†*८०५. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या माननीय **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १७ अक्टूबर, १९५५ से भारत के राज्य बैंक की कितनी नयी शाखाएं खोली गयी हैं ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : १७ अक्टूबर, १९५५ के बाद तीन नयी शाखाएं खोली गयी हैं और एक पे-आफिस को पूरी शाखा के रूप में बदल दिया गया है ।

मैं यह भी बता सकता हूं कि एक और शाखा अभी १७ अक्टूबर को खोली गयी है । वह इस उत्तर में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि माननीय सदस्य ने जिस तिथि का उल्लेख किया है उसके अन्तर्गत यह अवधि नहीं आती ।

†**पंडित डी० एन० तिवारी** : इस कछुआ-चाल के क्या कारण हैं ? सम्पूर्ण देश में राज्य बैंक की शाखाएं खोलने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : जिस गति से यह विषय आगे बढ़ रहा है, यह उत्तर उस गति का प्रतीक नहीं समझा जाना चाहिये । मेरे विचार से अक्टूबर में ६ शाखाएं खोली गयी थीं । सितम्बर में ७ शाखाएं खोली गयीं थीं । अभी तक, १ जुलाई से, २१ शाखाएं खोली गयी हैं । मेरे विचार से इन शाखाओं को खोलने से कुछ अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद गति अधिक तीव्र होगी । अधिनियम के अनुसार ४०० शाखाएं खोलने के वचन के प्रति हम सदा जागरूक हैं ।

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या कोई सिद्धान्त निर्धारित किया गया है कि ये शाखाएं कहां खोली जायेंगी ? क्या वह जनसंख्या के आधार पर होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : न केवल जनसंख्या के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण नगरों अथवा जिला नगरों और उपविभागीय (सब-डिविजनल) नगरों को विचार में लिया गया है। जनसंख्या के प्रश्न की अपेक्षा, उत्पादन, विद्यमान बैंकिंग सुविधाओं की पर्याप्तता आदि पर भी विचार किया जाता है। शाखाएं खोलने के लिये सार्वजनिक हित ही एक मुख्य कसौटी है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी शाखाएं खोली जा चुकी हैं ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : ये शाखाएं बिलकुल ठीक ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं खोली गयी हैं यद्यपि इन में से कुछ क्षेत्रों को उपनगरीय क्षेत्र कहा जा सकता है। जैसा कि मैं ने बताया, इस समय विचार तो यही है कि पहले केवल जिला नगरों या उपविभागीय नगरों में शाखाएं खोली जाएं। उसके बाद ही हम ग्रामीण क्षेत्रों में जा सकते हैं ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी शाखाएं खोलने के लिये क्या मंत्रालय ने प्रयोगात्मक रूप से कोई आंकडा निश्चित किया है और यदि हां, तो कितना और किस समय तक के लिए ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : मैंने पहले ही बता दिया है कि जो अधिनियम हमने पारित किया है उसके अनुसार ४०० शाखाएं खोलनी हैं और उनमें से कुछ अवश्य ही ग्रामीण क्षेत्रों में होंगी। किन्तु अभी फिलहाल हम पहले उन जिला नगरों और उपविभागीय नगरों को लेने की कोशिश कर रहे हैं जहां बैंक की कोई शाखा नहीं है और जहां अन्य महाजनी सुविधाएं भी नहीं हैं ।

†**श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या माननीय मंत्री महोदय को पता है कि पिछले साल फसल कटने पर किसानों को ७-८ रुपये मन गल्ला बेचना पड़ा था जिसकी वजह से इन बैंको को खोलने की व्यवस्था की गयी थी। अब फिर फसल होने वाली है। मैं जानना चाहता हूं कि इन बैंकों से किसानों को कितनी जल्दी लाभ पहुंचाया जा सकेगा ।

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : आनरेबल मेम्बर को अभी स्टेट बैंक का पूरा परपज़ मालूम नहीं हुआ है। स्टेट बैंक किसानों को डाइरेक्ट लोन नहीं देगा। वह वेयरहाउसिंग कारपोरेशन को और मारकेटिंग कारपोरेशन को लोन देगा। उसके वास्ते फुड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने हाउस के सामने बिल रखा है। उस बिल के पास होने के बाद वेयरहाउसिंग कारपोरेशन और मारकेटिंग कारपोरेशन एग्रीकल्चर लोन देने की कार्रवाई शुरू करेंगे ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य बैंक की शाखाएं खोलने के लिये क्या कसौटी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। भाननीय सदस्यों को इसके प्रति अवश्य जागरूक रहना चाहिए कि सभा में क्या हो रहा है ।

सेठ गोविन्द दास : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि देहातों में स्टेट बैंक कर्ज नहीं देगा। यह तो ठीक है। लेकिन स्टेट बैंक देहातों का गल्ला खरीदता है। तो क्या इसकी.....

†**अध्यक्ष महोदय** : इस विषय पर कोई तर्क न किया जाये। प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

सेठ गोविन्द दास : कोई व्यवस्था की जा रही है कि जो चार सौ शाखाएं खोली जा रही हैं उनमें से कुछ शाखाएं देहातों में भी खोली जायें ।

श्री अरुण चन्द्र गुह : मैंने पहले तो यह नहीं कहा था कि देहातों में स्टेट बैंक लोन नहीं देगा । मैंने तो यह कहा था कि स्टेट बैंक वेयरहाउसिंग कारपोरेशन को और मार्केटिंग कारपोरेशन को और कोआपरेटिव सोसाइटीज़ को लोन देगा ।

---

†मूल अंग्रजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य उस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें वे बिलकुल निर्बाध-रुप से अपने भाव व्यक्त कर सकते हों ।

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : मैं हिन्दी प्रश्नों का उत्तर हिन्दी में देने का प्रयत्न करूंगा । मैं इसी बात का प्रयत्न करता आ रहा हूं ।

आय-कर विभाग के कर्मचारियों के लिये आवास

†*८०६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आय-कर विभाग के कर्मचारियों के रहने के लिये मकानों के निर्माण के सम्बन्ध में एक योजना विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना के कार्यान्वित होने की कब तक आशा है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) जी, हां । एक योजना बनाई जा चुकी है ।

(ख) मकानों के निर्माण के लिये जगह का चुनाव किया जा रहा है और आशा है कि भूमि अर्जित करने और अधिकतर स्थानों पर निर्माण-कार्य पूरा करने में कम-से-कम २-३ वर्ष लग जायेंगे ।

†**श्री विभूति मिश्र** : जितने ज़िलों के हैडक्वार्टर्स हैं क्या उन सब पर सरकार इनकमटैक्स के दफ्तर खोलने और वहां पर उनके एम्पलाईज़ के रहने का इन्तज़ाम करने के बारे में सोच रही है ?

†**श्री एम० सी० शाह** : हमारा यही प्रयत्न है, श्रीमान ।

श्री विभूति मिश्र : हिन्दुस्तान में जितने ज़िले हैं उन सब में इनकम टैक्स के दफ्तर हैं या नहीं । यदि नहीं हैं, तो सरकार को सारे इंडियन यूनियन में इनके लिये सालाना कितना भाड़ा देना पड़ता है ?

†**श्री एम० सी० शाह** : हमें किराये की भारी रकम देनी पड़ती है और इसलिये हमने सभी राज्यों के अधिकतम महत्वपूर्ण नगरों में अपने ही भवनों में आयकर कार्यालय खोलने के लिये एक कार्यक्रम तैयार किया है और साथ ही अघोषित कर्मचारियों के लिये और पदाधिकारियों के लिये भी मकानों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में भी एक योजना तैयार की है ।

†**पंडित सी० एन० मालवीय** : माननीय मंत्री ने कहा था कि भूमि अर्जित करने में दो से तीन वर्ष तक का समय लगेगा । क्या इसका कारण भूमि अर्जन अधिनियम में कुछ दोष है और यदि ऐसा है तो सरकार ने भूमि के शीघ्र अर्जन के लिये इस अधिनियम में संशोधन करने के सम्बन्ध में क्या कोई कार्य-वाही की है ?

†**श्री एम० सी० शाह** : मैं ने यह नहीं कहा था कि केवल भूमि अर्जित करने में ही दो से तीन वर्ष लग जायेंगे । मैंने यह कहा था कि भूमि के अर्जन और भवनों के निर्माण में दो से तीन वर्ष लगेंगे । साधारणतया हम भूमि अर्जन अधिनियम के आधीन भूमि अर्जित करते हैं और हम भूमि अर्जन अधिनियम के आपात उपबन्धों के अधीन भूमि का कब्ज़ा प्राप्त करने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं । जहां पर भूमि राज्य सरकारों की हो और प्राप्य हो वहां हम राज्य सरकारों से भी कई बार लिखा-पढ़ी करते हैं । अघोषित कर्मचारियों के लिये और साथ ही पदाधिकारियों के लिये मकानों की व्यवस्था करने और सभी राज्यों में सभी महत्वपूर्ण केन्द्रों में वैभागिक भवनों के निर्माण के हम इच्छुक हैं और इस सम्बन्ध में अत्यन्त सक्रिय कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार को प्रति वर्ष इनकम टैक्स आफ़िसों के लिये कुल कितना भाड़ा देना पड़ता है?

†**श्री एम० सी० शाह** : मेरे पास ये आंकड़े नहीं हैं। इन आंकड़ों को एकत्र करने में समय लगेगा।

---

†भूल अंग्रेजी में

वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूतावास

†*८०७. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाशिंगटन में भारतीय राजदूतावास के शिक्षा विभाग के प्रमुख कृत्य क्या हैं; और

(ख) जो भारतीय विद्यार्थी अमेरिका में अध्ययन के लिये जाते हैं, इस विभाग द्वारा उन्हें किस प्रकार की सहायता दी जाती है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) :** (क) वाशिंगटन में भारतीय राजदूतावास का शिक्षा विभाग अमेरिका में भारतीय विद्यार्थियों की शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं और कल्याणकारी प्रबन्धों की देख-रेख करता है और भारत तथा अमेरिका के बीच सांस्कृतिक सम्बन्धों को बढ़ाने में सहायता करता है ।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १७]**

†**श्री डी० सी० शर्मा :** यह एक बहुत हीं लम्बा विवरण है, इसलिये कृपया मुझे कुछ अतिरिक्त प्रश्न पूछने की अनुमति दें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : किसी और दिन ?

†**श्री डी० सी० शर्मा :** मैं कुछ अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं । यह कहा गया है कि भारतीय राजदूतावास का शिक्षां विभाग भारत तथा अमेरिका के बीच सांस्कृतिक सम्बन्धों का प्रबन्ध करता रहा है । भला, १९५५ में इस विभाग द्वारा शिक्षा सम्बन्धी कितनी संस्थाओं की यात्रा की गई थी ?

†**डा० एम० एम० दास :** जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं स्वीकार किया है, विवरण बहुत विस्तृत है और इसमें तेरह मदें हैं । मुझे खेद है कि इन मदों में से प्रत्येक पर ब्योरेवार प्रश्न के सम्बन्ध में मेरे पास इस समय सूचना नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । मेरा मत यह है कि प्रत्येक विभाग तथा मंत्रालय के सम्बन्ध में आयव्ययक सम्बन्धी चर्चा होगी और ये सभी सूचना के विषय हैं जिनका उसी समय उपयोग किया जा सकता है । कुछ अन्य विषय भी हैं जिनमें लम्बे विवरण नहीं, या जिनमें किसी विभाग के प्रशासन का सामान्य कार्यकरण सन्निहित नहीं । उन पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं । विभाग का कार्यवहन कैसा या किस प्रकार हो रहा है, इस सम्बन्ध में हम इसी प्रश्न के सिलसिले में चर्चा नहीं कर सकते ।

†**श्री एम० एल० द्विवेदी :** ऐसे विवरणों को सदस्यों की जानकारी के लिये लोक-सभा पटल पर रखा जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जी, हां । ज्यों ही उसका उत्तर दे दिया जाता है, उसे रख दिया जाता है । ऐसा पहले ही कहा जा चुका है । इस लिये माननीय सदस्य अपने वक्तव्यों या कथनों को आयव्ययक भाषण के समय ही कहेंग ।

सरदार ए० एस० सहगल खड़े हुए--

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने माननीय सदस्य को नहीं पुकारा है । यह एक लम्बा विवरण है और माननीय सदस्य इसे कृपया पढ़ेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जीप गाड़ियों की खरीद

†*८०८. **श्री गिडवानी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीप गाड़ियों की खरीद के ठेके में जो हानि हुई थी उसकी वसूली के लिये भारत सरकार ने ब्रिटिश सार्थ एस० सी० (एजेन्सीज़ लिमीटिड) के विरुद्ध एक दीवानी मुकदमा दायर करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो हरजाने की कितनी रकम का दावा किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (डा० काटजू)** : (क) जी, हां ।

(ख) २,५४,१५५ पौण्ड ।

†**श्री गिडवानी** : क्या यह सच है कि एमटी-मिस्टेंटस तथा एस० सी० के एजेन्सीज़ लिमिटिड, इन दो विदेशी सार्थों के साथ दो ठेके किये गये थे और यदि हां, तो प्रत्येक सार्थ के साथ ठेके के निबन्धन क्या थे और प्रत्येक ठेके में सरकार को कितनी हानि हुई थी तथा प्रत्येक समवाय का मूल धन कितना था ?

†**डा० काटजू** : मेरे पास इसके ब्योरे नहीं; मुझे पूर्व-सूचना मिलनी चाहिये ।

†**श्री गिडवानी** : जब यह आर्डर दिये गये थे तो क्या टेंडर भी आमंत्रित किये गये थे और यदि नहीं तो क्या यह सच है कि पूर्वोक्त सार्थ एक नया ही समवाय था और यह सार्थ जीप गाड़ियों का कारोबार नहीं करता था?

†**अध्यक्ष महोदय** : ये सभी विषय चार वर्षों, कदाचित् इससे भी अधिक समय से लोक-सभा के समक्ष हैं। इन पर प्राक्कलन समिति और अन्य समितियों में विचार किया जा चुका है और उनके प्रतिवेदनों को लोक-सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रश्न का सम्बन्ध हरजाने की रक़म से है और हम भागिता, मूल धन की राशि आदि बातों पर चर्चा नहीं कर सकते हैं।

†**श्री गिडवानी** : प्रथम समवाय के विरुद्ध हरज़ाने की वसूली के सम्बन्ध में मुकदमा दायर क्यों नहीं किया गया? उस में भी तो हमें हानि हुई थी ।

†**डा० काटजू** : यदि प्रश्न उचित रूप से पूछा जाय तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूं । १९५१ में किए गए एक ठेके के आधार पर हरजाने का यह दावा किया गया था । दो ठेके थे—एक १९४८ में और दूसरा १९५१ में किया गया था। यह १००७ जीप गाड़ियां ख़रीदने के लिए था जिन में से केवल ५० जीप गाड़ियां भेजी गई थीं; ९५७ जीप गाड़ियां नहीं दी गई थीं और हरजाने का दावा ठेके की दरों और बाज़ार के भावों के बीच अन्तर पर आधारित है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि इन जीपों की जांच करने के लिये जो एक इंस्पोक्टिंग फ़र्म मुकर्रर की गई थी और जिसने दस फ़ीसदी जीप्स को देख कर यह कह दिया था कि वे नई जैसी ही हैं, ऐसा कह कर हिन्दुस्तान को रवाना किया था लेकिन बम्बई आने पर मालूम हुआ कि उनमें से एक भी जीप ठीक नहीं हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा । माननीय सदस्य जितनी हिन्दी समझते हैं, उतनी ही मैं समझता हूं ।

†**श्री वोडयार** : सरकार द्वारा कितनी जीप गाड़ियां ख़रीदी गई थीं, उनका कुल मूल्य क्या है और सरकार ने इन सार्थों के साथ ठेका कैसे किया था ?

†**डा० काटजू** : मुझे इस सम्बन्ध में मालूम नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न रुचिकर हो सकता है परन्तु हम उनके गठन, भागिता आदि से सम्बन्धित उन सभी ब्योरों की ओर ही लौट कर जा रहे हैं ।

†**श्री एम० एल० द्विवेदी** : इन में से कुछ ब्योरा अत्यन्त सारवत् है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे सारवत् हो सकते हैं परन्तु वे इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होते ।

भू-रचना विज्ञान में प्रशिक्षण

†*८११. **चौ० रघुबीर सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ विद्यार्थियों को भू-रचना विज्ञान में प्रशिक्षण के लिये चुना गया था;

(ख) यदि हां, तो उनका चुनाव किस आधार पर हुआ; और

(ग) राज्यवार उनकी संख्या क्या है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) से (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबंध संख्या १८]**

†**चौ० रघुबीर सिंह** : इन वर्षों में कुल कितने व्यक्तियों को चुना गया है?

†**डा० एम० एम० दास** : मूल प्रश्न में किसी विशिष्ट वर्ष की चर्चा नहीं थी इसलिये हमने १९४९-५० की सूचना दी जब दो विद्यार्थियों को भू-रचना विज्ञान में गवेषणा प्रशिक्षण के लिये चुना गया था । उस वर्ष दो विद्यार्थियों को चुना गया था ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : जिन दो उम्मीदवारों को १९५४-५५ में चुना गया था क्या उन्होंने अपना प्रशिक्षण समाप्त कर लिया है और यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्य के लिये सरकार ने उन्हें नौकरी दे दी है?

†**डा० एम० एम० दास** : दुर्भाग्य से जिन दो उम्मीदवारों को चुना गया था, उन में से एक वहां गया ही नहीं था और दूसरा एक महीने के भीतर ही प्रशिक्षण छोड़ आया ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : १९४९-५० में जिन उम्मीदवारों को चुना गया था, क्या उन्होंने अपना प्रशिक्षण समाप्त किया था और क्या सरकार ने उन्हें किसी काम पर लगाया था?

†**डा० एम० एम० दास** : एक उम्मीदवार को प्रशिक्षण समाप्त करने से पूर्व खड़गपुर की भारतीय टैकनालोजी संस्था में लेक्चरर (व्याख्याता) के पद पर नियुक्त किया गया और दूसरा उम्मीदवार भारतीय भू-परिमाप में चला गया। इसलिये उन्होंने अपना प्रशिक्षण समाप्त नहीं किया ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या इस सम्बन्ध में गवेषणा के लिये कोई योजना है? चालू वर्ष में कितनी रकम खर्च करने का प्रस्ताव है?

†**डा० एम० एम० दास** : योग्य उम्मीदवारों के न होने के कारण हमने योजना त्याग दी है ।

भारतीय सेना के कर्मचारियों के वेतन तथा निवृत्ति वेतन

†*८१२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री लोक-सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) स्वतंत्रता के बाद से भारतीय सेना की सभी पदस्थितियों में (आयुक्त पदाधिकारियों को छोड़ कर) वेतन तथा निवृत्ति वेतन के सम्बन्ध में क्या परिवर्तन किये गए हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) युद्ध के दौरान तथा युद्ध से ठीक पहले के वेतनों तथा निवृत्ति वेतनों के क्रमों से उनकी तुलना किस प्रकार की जा सकती है?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) तथा (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिय परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १९**]

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या सरकार को मालूम है कि भारतीय सेना में अभी भी कुछ पदस्थितियां ऐसी हैं—जैसे कि सूबेदार-मेजर—जिन्हें अपनी सम्पूर्ण सेवा में कोई वेतन वृद्धि नहीं मिलती, और यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**श्री त्यागी** : मेरे माननीय मित्र सूबेदार-मेजरों के बारे में यह जानने के इच्छुक थे कि युद्ध से पूर्व या युद्ध के समय के वेतन क्रमों पर उन्हें कोई वृद्धि क्यों नहीं दी गई है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि युद्ध से पहले उनका वेतन[1] ४५ रूपये प्रति मास होता था और युद्ध के दौरान ५० रुपये प्रति मास था। अब वे ६७ रूपये से लेकर ९४ रूपये प्रति मास के बीच वेतन पाते हैं।

†**सरदार इकबाल सिंह** : मेरा प्रश्न यह था कि भारतीय सेना की कुछ पदस्थितियों में कोई वेतन-वृद्धि नहीं दी जाती। सेना की दक्षता और कार्य के हित में क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी?

†**श्री त्यागी** : मैं माननीय सदस्य से इस सम्बन्ध में एक विशिष्ट प्रश्न पूछने की प्रार्थना करूंगा।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या सेना के कुछ निवृत्त कर्मचारियों को प्रतिमास ४ रुपये जितना कम निवृत्ति वेतन भी मिल रहा है? इस बात को देखते हुए कि आजकल चार रुपये प्रतिमास से कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्या सरकार उनके निवृत्ति-वेतनों में वृद्धि करना चाहती है?

†**श्री त्यागी** : पहिले ४ रुपये जितना कम निवृत्ति वेतन हुआ करता था। उन पुराने निवृत्ति वेतन धारियों को, जो बहुत पहिले निवृत्त हो गये थे, पुराने निवृत्ति वेतन मिलते रहेंगे। अब सामान्य सिपाही को न्यूनतम निवृत्ति-वेतन १५ रुपये प्रतिमास मिला करेगा।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या सरकार इन निवृत्ति-वेतन-धारियों का निवृत्ति-वेतन इस न्यूनतम स्तर तक बढ़ायेगी?

†**श्री त्यागी**: जो निवृत्ति-वेतनधारी १५ या २० वर्ष पहले से निवृत्ति-वेतन पा रहे हैं और तब निवृत्ति हुये थे उन सभी के मामले पर ग़ौर करना कठिन है। जब संविधान लागू हुआ था केवल उस समय के बाद से ही निवृत्ति-वेतन की दर में वृद्धि की गई है।

†**श्री अजीत सिंह** : क्या यह सत्य है कि जवान जब १२, १३ वर्ष सर्विस कर लेते हैं तो उन को यह कह कर निकाल दिया जाता है कि अब उनकी सेवा की और अधिक आवश्यकता नहीं है, तो क्या इसका उनकी पेंशन पर एफ़ैक्ट (प्रभाव) नहीं पड़ता है?

†**श्री त्यागी** : ऐसे लोगों को जो कि १२–१३ वर्ष सर्विस कर चुकते हैं, उनको अगर मस्टर आउट किया जाता है तो उनको मस्टरिंग आउट की पेंशन दी जाती है।

†**श्री मात्तन** : क्या माननीय मंत्री इस बात से सन्तुष्ट हैं कि हमें जिन सर्वोत्तम नवयुवकों की आवश्यकता है उनको सैनिक कर्मचारियों का, जिनमें आयुक्त पदाधिकारी भी हैं, वर्तमान वेतन-क्रम आकर्षित करता है?

†**श्री त्यागी** : मैं कई बार यह बता चुका हूं कि सरकार यह अनुभव करती है कि देश में मजूरी के सामान्य क्रम तथा स्तर की तुलना में वर्तमान क्रम अनुचित नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] बाद में पृष्ठ संख्या ७८६ के अनुसार संशोधन किया गया।

†**श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन्** : निवृत्ति-वेतनधारियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के सम्बन्ध में पहिल जो सुविधायें दी जाती थीं क्या सरकार वही सुविधायें अब भी दे रही है ? क्या आज भी वे सुविधायें दी जा रही हैं ?

†**श्री त्यागी** : सम्भवतः माननीय सदस्य का संकेत उस अल्प भत्ते की ओर है जो उन परिवारों के बच्चों को दिया जाता था जिनके कमाने वाले सदस्य की मृत्यु सैनिक के रूप में हुई थी। इसे परिवारिक निवृत्ति वेतन कहा जाता है। यह अब भी दिया जाता है। हम ने इस की दर में और भी वृद्धि की है। पहिले यह कम था। मेरे विचार में पहिले की तुलना में अब इसकी राशि दुगनी है ।

तांबा

*८१३. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री सभा की टेबल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें बताया गया हो कि १९५४-५५ और १९५५-५६ में अब तक तांबे की खानों से कितना तांबा निकाला गया है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : आवश्यक जानकारी विवरण-पत्र के रूप में सभा-पटल पर प्रस्तुत की जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २०**]

श्री के० सी० सोधिया : क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो तांबे का वर्तमान उत्पादन हो रहा है, क्या वह देश की आवश्यकता को पूरी करने के लिये काफी है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी, नहीं। जो उत्पादन हो रहा है वह देश की आवश्यकता के लिये काफी नहीं है, देश की मौजूदा आवश्यकता तो करीब २५,००० टन की है।

श्री के० सी० सोधिया : इस उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार ने कौन-कौन से उपाय किये हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : नये तांबे के क्षेत्र ढूंढे गये हैं और वहां पर तांबा-उत्पादन करने की जो योजनायें हैं उन पर विचार हो रहा है।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि देश की आवश्यकता के वास्ते बाहर से प्रति वर्ष कितना तांबा मंगाया जाता है ?

श्री के० डी० मालवीय : जो हम को जरूरत है उस में से उत्पादन को घटा दीजिये तो मालूम हो जायेगा ।

श्री भागवत झा आज़ाद : माननीय मंत्री ने पटल पर जो सूचनायें रक्खी हैं उनमें से क्या मैं जान सकता हूं कि कितना तांबा सरकार द्वारा स्वयम् निकाला जा रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय : तांबा जो इस समय उत्पादित किया जा रहा है देश में वह तो प्राइवेट सेक्टर के जरिये ही किया जा रहा है, लेकिन राजस्थान और आंध्र देश में जो तांबे की खानों की जगहें मिली हैं और जहां की योजनाओं पर विचार हो रहा है उन पर प्रत्यक्ष सरकार द्वारा ही काम करने का विचार है ।

भारत का भौगोलिक केन्द्र

†८१४. **श्री बंसी लाल** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भौगोलिक दृष्टि से भारत का कौन-सा स्थान केन्द्रीय स्थान समझा जाता है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उसका पता लगाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या सरकार वहां एक स्मारक चिन्ह बनाना चाहती है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी विवरण-पत्र के रूप में सभा-पटल पर प्रस्तुत की जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २१**]

†**श्री बंसी लाल** : विवरण में मैं ने देखा है कि (ग) भाग का कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

†**श्री के० डी० मालवीय** : वहां पर कोई स्मारक बनाने का कोई विचार नहीं है। परन्तु मैं इतना बता दूं कि—"भौगोलिक केन्द्र"—यह अभिव्यवित प्रतीत होता है कि किसी भ्रम के कारण प्रयोग की गई है। जब तक "भौगोलिक केन्द्र" अभिव्यक्ति का कोई अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृत अर्थ न हो तब तक इस अभिव्यक्ति का प्रयोग निर्थक है। किसी देश का केन्द्रीय स्थान मालूम करने के लिये हमारे पास अन्य उपाय हैं।

†**श्री बंसी लाल** : विवरण में कहा गया है कि उमेरिया के निकट किसी स्थान को केन्द्रीय स्थान निश्चित किया गया है और किसी प्रतिवेदन की बिना पर ऐसा समझा गया है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि उस प्रतिवेदन का आधार क्या है?

†**श्री के० डी० मालवीय** : उमेरिया से लगभग चार मील की दूरी पर जबलपुर में यह स्थान केन्द्रीय स्थान माना गया है और देश की अन्वायाम रेखाओं पर वास्तविक रूप से यह तथ्य आधारित है; मेरा अभिप्राय है कि हम ने देशान्तर रेखाओं के आधार पर केन्द्रीय स्थान मालूम किया है।

†**श्री बंसी लाल** : विवरण में कहा गया है : "यह प्रतिवेदन किया गया है कि भारत का 'भौगोलिक केन्द्र' अमुक है," वह प्रतिवेदन क्या है?

†**श्री के० डी० मालवीय** : यह भारतीय भू-परिमाप का एक विस्तृत प्रतिवेदन है। यदि माननीय सदस्य इसमें अभिरुचि रखते हों तो मैं इसे सभा-पटल पर रख सकता हूं या उन्हें दे सकता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छी बात है। अगला प्रश्न। श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह।

क्या आप यहां नहीं हैं ? मैं माननीय सदस्यों से कुछ प्रार्थना करना चाहता हूं ? कोई माननीय सदस्य यहां है, या नहीं है यह मालूम करने के लिये मुझे चारों ओर देखना पड़ता है। जहां कहीं कोई विशिष्ट सदस्य बैठता है, यदि निकट बैठने वाला माननीय सदस्य कृपया मुझे यह बता दिया करे कि माननीय सदस्य यहां नहीं है तो इस से मुझे सहायता मिलेगी।

यूनेस्को

†*८१६. **श्रीमती जयश्री** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यूनेस्को ने प्रेस, रेडियो, चलचित्रों तथा टेलीविज़न के बारे में बच्चों तथा नवयुवकों से सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं का अध्ययन करने के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय संघटन की स्थापना के सम्बन्ध में भारत सरकार से परामर्श प्राप्त किया है ?

†**शिक्षा मन्त्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : जी, हां।

†**श्रीमती जयश्री** : सरकार ने छोटे बच्चों के मन पर बुरा प्रभाव डालने वाले अवांछनीय चलचित्रों तथा साहित्य को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**डा० एम० एम० दास** : इस से यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। यूनेस्को यह जानना चाहता था कि क्या भारत में कोई ऐसा संघटन है जो कि स्थापित किये जाने वाले इस अन्तर्राष्ट्रीय संघटन में सहयोग दे सकेगा। जहाँ तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूँ कि सरकार ने यहाँ पर एक संघटन स्थापित करने का निर्णय किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेवा-निवृत्त आई० सी० एस० तथा आई० ए० एस० पदाधिकारी

†*८२०. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सेवा-निवृत्त आई० सी० एस० तथा आई० ए० एस० पदाधिकारियों की संख्या कितनी है जो कि १ मार्च, १९५६ को भारत सरकार की नौकरी कर रहे थे;

(ख) उन्हें पुनः सेवायुक्त करने की क्या आवश्यकता थी; और

(ग) उनका वेतन-क्रम किन नियमों द्वारा निर्धारित किया जाता है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में मन्त्री श्री दातार :** (क)

आई० सी० एस०	१०
आई० ए० एस०	४
कुल	१४

(ख) आवश्यक ज्ञान तथा प्रशासनीय अनुभव रखने वाले उपुयुक्त पदाधिकारियों की कमी ।

(ग) इन पदाधिकारियों का वेतन निर्धारित करने के सम्बन्ध में कोई विशेष नियम नहीं हैं । तो भी उन्हें पुनः सेवा युक्त करने पर उनके वेतन निर्धारित करते समय उन द्वारा प्राप्त किये जा रहे निवृत्ति वेतन को ध्यान में रखा जाता है ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या ये १० और ४ केवल इतने ही सेवा-निवृत्त पदाधिकारी हैं ?

†**श्री दातार :** ये केवल आई० ए० एस० तथा आई० सी० एस० से निवृत्त हुए पदाधिकारी हैं जो कि भारत सरकार द्वारा पुनः सेवा में लगाये गये हैं ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या मैं यह समझूं कि आई० सी० एस० तथा आई० ए० एस० के सभी निवृत्त पदाधिकारी पुनः सेवायुक्त कर दिये गये हैं अथवा केवल उन्हीं लोगों को ही पुनः सेवायुक्त किया गया है ?

†**श्री दातार :** प्रश्न तथा उसका उत्तर स्पष्ट बताता है कि आई० ए० एस० तथा आई० सी० एस० के निवृत्त पदाधिकारियों में से केवल ये ही १४ व्यक्ति हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा पुनः नौकरी में लगाया गया है ।

†**पंडित के० सी० शर्मा :** क्या उन सेवा-निवृत्त व्यक्तियों में से कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो कि ७० वर्ष से बड़ी आयु का है और उसे पुनः सेवानियुक्त कर दिया गया है?

†**श्री दातार :** जी, नहीं । मुझे इस प्रकार के किसी व्यक्ति का कोई ज्ञान नहीं ।

†**सेठ गोविन्द दास :** जितने लोग अभी फिर से रखे गये हैं उनको कितने दिनों के लिये रखा गया है ?

†**श्री दातार :** साधारणतया, उन्हें एक से तीन वर्ष की अवधि के लिये पुनः सेवानियुक्त किया जाता है ।

†**सेठ गोविन्द दास :** क्या जिन लोगों को शुरू में एक या तीन वर्ष के लिये रखा गया था, उनका समय और भी बढ़ाया गया है ?

†**श्री दातार :** संभव है कि एक या दो व्यक्तियों का समय बढ़ाया गया हो, परन्तु मेरे पास इस समय वे आंकडे नहीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सोने की खानें

†*८२१. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कितनी सोने की खानों से सोना निकाला जा रहा है; और

(ख) उनका वित्तीय मूल्य की दृष्टि से १९५३ से १९५५ तक वर्ष बार कितना उत्पादन हुआ था ?

†**प्राकृतिक संसाधन मन्त्री (श्री के० डी० मालवीय) :** (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २२**]

†**श्री डी० सी० शर्मा :** क्या पिछले वर्ष इन सोने की खानों का आधुनीकरण करने के बारे में कोई प्रयत्न किया गया था अथवा वे पुराने ढंग से ही काम में लाई जा रही हैं?

†**श्री के० डी० मालवीय :** स्वाभाविक रूप से सोना निकालने वाली खानें नवीनतम उपायों को अपनायेंगी ।

†**श्री डी० सी० शर्मा :** क्या इन खानों में श्रमिक कल्याण को नियमित करने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** जी, हाँ। इन सभी सोने की खानों में सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार श्रम कल्याण योजना लागू की जाती है ।

केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रणा बोड

†*८२२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड ने यह सिफ़ारिश की है कि प्रत्येक राज्य में एक योजना एकक स्थापित किया जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) :** (क) जी, हाँ ।

(ख) कार्यवाही का पुष्टीकरण होते ही उन सिफ़ारिशों के बारे में सभी राज्य सरकारों को सूचित कर दिया जायेगा ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी :** इस योजना एकक का क्या काम होगा ?

†**डा० एम० एम० दास :** योजना एकक का काम यह होगा कि वह विकास योजनाओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य सम्पर्क रखेगा ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या राज्यों को कोई वित्तीय सहायता को भी दी जायेगी ?

†**डा० एम० एम० दास :** जी, नहीं । जहाँ तक इस योजना एकक का सम्बन्ध है, कोई सहायता नहीं दी जायेगी ।

†**सरदार ए० एस० सहगल :** क्या शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकारों को इस के लिये विशेष पदाधिकारी नियुक्त करने के सम्बन्ध में कहा है ?

†**डा० एम० एम० दास :** जी, हाँ। शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकार की पंचवर्षीय योजना के अधीन योजनाओं की उचित कार्यान्विति की ओर ध्यान देने के लिये विशेष पदाधिकारी नियुक्त करने के लिये प्रार्थना की है ।

†**सरदार ए० एस० सहगल :** शिक्षा मंत्रालय राज्य सरकारों को कितनी वित्तीय सहायता देगी ?

†**डा० एम० एम० दास :** जहाँ तक इन विशेष पदाधिकारियों का सम्बन्ध है, इन पदाधिकारियों के वेतन का ५० प्रतिशत खर्च केन्द्रीय सरकार वहन करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेठ गोविन्द दास : जहां तक इन यूनिट्स का सम्बन्ध है, इन यूनिट्स के ऐसे प्रान्तों में जहां की मातृभाषा हिन्दी नहीं है, क्या उन को इस बात के लिये भी कहा जायगा कि वह इस के लिये कोई योजना पेश करे कि वहां पर हिन्दी का प्रचार कैसे हो सकता है ?

†**डा० एम० एम० दास :** केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड ने जनवरी की अपनी विगत बैठक में यह सिफ़ारिश की थी कि विभिन्न राज्यों में योजना एकत्र स्थापित किये जायें। अभी तो इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। जब केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड की कार्यवाहियां अन्तिम रूप धारण कर लेंगी, हम उस संकल्प को अर्थात् बोर्ड की सिफ़ारिशों को, राज्य सरकारों के पास भेज देंगे।

†**श्री डी० सी० शर्मा :** क्या इस योजना एकक का सम्बन्ध केवल शिक्षा से ही होगा अथवा अन्य विषयों से भी, और यदि शिक्षा से होगा, तो क्या शिक्षा के प्रत्येक पक्ष से अथवा किसी एक पक्ष से ?

†**डा० एम० एम० दास :** मैंने बताया है कि ये योजना एकक द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन विकास योजनाओं के सम्बंन्ध में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के मध्य सम्पर्क स्थापित करने का काम करेंगी।

†**श्री श्रीनारायण दास :** ये एकक किस प्रकार से संगठित किये जायेंगे ?

†**डा० एम० एम० दास :** जैसा मैंने कहा है यह सिफ़ारिश अभी राज्य सरकारों को नहीं भेजी गयी है। केवल केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड ने ही वह सिफ़ारिश की है। उस बैठक की कार्यवाही को अभी तक अन्तिम रूप भी नहीं दिया गया है।

आसाम ऑयल कम्पनी

†८२३. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असाम ऑयल कम्पनी ने तेल खोजने के अपने कार्य को अधिक विस्तृत करने के सम्बन्ध में अपनी इच्छा प्रकट की है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में आसाम ऑयल कम्पनी के प्रतिनिधियों और भारत सरकार में कोई बातचीत हुई है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) और (ख). जी, हाँ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : भारत सरकार और आसाम आयल कम्पनी के मध्य किस प्रकार की बातें हुई हैं ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : इस समय बातचीत हो रही है और मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह इस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये कुछ समय के लिये और प्रतीक्षा करें।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या सरकार ने उन्हें यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि इस प्रकार के उपक्रमों में सरकार ५१ प्रतिशत से कम का अंश नहीं लेगी ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : इन बातों के बारे में मैंने समाचार पत्रों में बहुत कुछ पढ़ा है।

†**श्री के० पी० त्रिपाठी** : हाल ही में एक घोषणा की गयी थी कि ५१ प्रतिशत अंश सरकार द्वारा लिया जायेगा। इससे पूर्व यह घोषणा की गयी थी कि ३३ १/३ प्रतिशत अंश लिया जायेगा। क्या द्वितीय घोषणा प्रथम घोषणा पर अभिभावी होगी?

†**श्री के० डी० मालवीय** : हमारी इच्छा यह है कि आसाम में तेल निकालने वाले इस उपक्रम में बहुत अधिक (नियंत्रण कर्ता) अंश हम प्राप्त करें। जैसा मैंने कहा है, बातचीत चल रही है और इसके सम्बन्ध में कुछ भी निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या सरकार का ध्यान आज के समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए शिक्षा मंत्री के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि वह ५१ प्रतिशत से कम स्वीकार नहीं करेंगे ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : जी, हाँ । मैंने कहा है कि हमारी इच्छा यह है कि प्रस्थापित समवाय में ५१ प्रतिशत अंश प्राप्त किया जायेगा ।

†**श्री क० पी० त्रिपाठी** : क्या यह सच है कि सरकार इस ५१ प्रतिशत के सम्बन्ध में बातचीत इस वचन के आधार पर कर रही है कि समवाय को अपना तेल शोधन कारखाना कलकत्ता में खोलने की अनुमति दी जायेगी; और, यदि हाँ, तो क्या सरकार समझती है कि पहले ही इस प्रकार के वचन दे देने ठीक नहीं हैं?

†**श्री के० डी० मालवीय** : सरकार ने कोई वचन नहीं दिया है सिवाय एक करार के जोकि आसाम आयल कम्पनी और सरकार के मध्य कुछ समय पूर्व संभवतः ५५ वर्गमील के एक छोटे से भू-खण्ड पर एक खोजने के लायसेन्स तथा खान के लायसेन्स के बारे में किया गया था । शेष करार जोकि दोनों पार्टियों में किये जाएंगे उन पर बातचीत हो रही है ।

पंजाब तथा पेप्सू में सेना की भूमि

†***८२४. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और पेप्सू में सेना की अतिरिक्त भूमि को बेचने के सम्बन्ध में किये गये निर्णय को कार्यान्वित करने के बारे में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ख) अभी तक पंजाब और पेप्सू में कुल कितनी भूमि बेची जा चुकी है?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) और (ख). पेप्सू राज्य में सेना की कोई अतिरिक्त भूमि नहीं अतः उसके बेचने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

जहाँ तक पंजाब का सम्बन्ध है, प्रारम्भिक परीक्षण ने यह बताया है कि सेना की वर्तमान आवश्यकताओं के हिसाब से कुछ एक कैम्प लगाने वाले ग्राऊंड अस्थायी रूप में अतिरिक्त हैं, परन्तु क्या यह सारी भूमि अथवा इस का कुछ अंश स्थायी रूप से अतिरिक्त घोषित किया जा सकता है और उसे बेचा जा सकता है इस पर अच्छी प्रकार से विचार किया जा रहा है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या पंजाब सरकार ने कैम्प लगाने वाले इन ग्राऊँडों को नये आदर्श गांव बनाने के लिये दे देने की प्रार्थना की है, क्या उसकी प्रार्थना को अस्वीकार करने का यही कारण है?

†**सरदार मजीठिया** : जैसा मैंने कहा है, सरकार अभी भी इस बात पर विचार कर रही है कि क्या इन ग्राऊँडों को स्थायी रूप से अतिरिक्त घोषित कर दिया जाये । इस के बारे में निर्णय होते ही फिर उस के बेचने का प्रश्न उत्पन्न होगा ।

तेल के सर्वेक्षण के लिये कैनेडियन दल

†***८२५. श्री भागवत झा आजाद** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का एक वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण करने के लिये भारत में एक कैनेडियन दल पहुँच गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस दल द्वारा देश के कौन-कौन से भागों का सर्वेक्षण किया जायेगा ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) राजस्थान में जैसलमेर के भागों का वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण करने के लिये (कोलम्बो योजना सहायता के द्वारा) एक कैनेडियन दल की सेवायें प्राप्त की गयी हैं । यह कार्य तेल खोजने की योजना का

†मूल अंग्रेजी में

केवल एक भाग है। आशा है कि वही दल विमानों द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पंजाब के मैदानों के भी वैमानिक दौरे करेगा ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : कैनेडियन दल के इस सर्वेक्षण पर क्या शर्तें लगाई गयी हैं ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : महत्त्वपूर्ण शर्तें ये हैं कि हमें इसके लिये कुछ भी अदा नहीं करना पड़ेगा; यह सब कुछ कोलम्बो योजना सहायता के अधीन किया गया है। जहां तक उनके अवास तथा खानपान का सम्बन्ध है उनके ठहरने का खर्च हम वहन करेंगे ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : यह दल इस देश में सर्वेक्षण पर लगभग कितना समय लगायेगा ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : इस समय वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण हो रहा है, प्रतिदिन वे विमानों से दौरा कर रहे हैं। आशा है कि राजस्थान का वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण इस मास के अन्त तक समाप्त हो जायेगा। और अगले मास उत्तर प्रदेश में कुछ एक वैमानिक सर्वेक्षण किये जायेंगे ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : तेल के सर्वेक्षण, खोज तथा बरमों से छेद कर के तल निकालने के लिये प्रत्येक देश को निमंत्रित करने के सम्बन्ध में सरकार की निश्चित रूप से क्या नीति है; और क्या सरकार ने मध्य एशिया में तेल सम्बन्धी घटनाओं से कोई शिक्षा ली है जहाँ पर यही झगड़े का एक कारण बन गया है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : यह तो एक बहुत बड़ा और व्यापक प्रश्न है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : अभी तक पूर्ण हो चुके किसी सर्वेक्षण का क्या परिणाम है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : इसी समय कुछ भी उत्तर देना समय से बहुत पहले की बात होगी। जब तक वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता ।

सम्पदा शुल्क

†*८२६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री १९ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से कराधान जाँच आयोग की इस सिफारिश पर कि, मृत्यु के पूर्व की उस अवधि को, जिसके बीच अन्तः जीवी व्यक्तियों के बीच दिये गये उपहार पर सम्पदा शुल्क लगता है, दो वर्ष से बढ़ा कर पांच वर्ष कर दिया जाये, विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय हुआ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) सरकार इस सिफारिश पर अभी विचार कर रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : यह निर्णय कब तक हो जायेगा ?

†**श्री एम० सी० शाह** : इसमें कुछ समय लगेगा ।

सम्पदा शुल्क

†*८२८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५५-५६ में अब तक राज्यों में सम्पदा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत कितनी राशि एकत्र हुई;

---

† मूल अंग्रेजी में

(ख) इस समय प्रत्येक राज्य में सम्पदा शुल्क के कितने मामले विचाराधीन हैं; और

(ग) क्या सरकार ने निलम्बित मामलों को जल्दी निपटाने के लिये कोई योजना बनाई है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २३**]

(ग) सम्पदा शुल्क के विवरणों को प्रस्तुत करने के लिये पात्र व्यक्तियों को ६ मास का समय दिया जाता है जिससे कुछ मामले सदैव निर्धारण के लिये पंजीयित रहते हैं किन्तु उनका निपटारा नहीं हो सकता । निलम्बित मामलों की संख्या इतनी अधिक नहीं कि उनके निपटारे के लिये कोई विशेष तरकीब काम में लायी जाये ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : विवरण से ज्ञात होता है कि २,७०० मामले अभी निलम्बित हैं इनमें से अभी कितने मामलों की जाँच की जा रही है तथा उनको निपटाने में अभी कितना समय लगेगा; क्या सरकार ने उनके निपटारे के लिये कोई विशेष व्यवस्था की है ?

†**श्री एम० सी० शाह** : जैसा कि मैं कह चुका हूं, पात्र व्यक्तियों को ६ महीने का समय दिया जाता है । तत्पश्चात् वे विवरण प्रस्तुत करते हैं । इन विवरणों के प्रस्तुत हो जाने के पश्चात् आयकर पदाधिकारी, जो कि सम्पदा शुल्क के नियंत्रक अथवा उपनियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं, इन मामलों का अध्ययन करते हैं । कुछ निलम्बित मामले भी हैं लेकिन वे इतने अधिक नहीं है कि कुछ चिन्ता या परेशानी पैदा करें ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : आय की कुल राशि क्या है जिसका इन मामलों में निर्धारण किया जायेगा ?

†**श्री एम० सी० शाह** : १-४-५५ से ३१-१-५६ तक प्राप्त हुई सम्पदा शुल्क की कुल राशि १,०५,९५,६७६ रुपये है और २,७७५ मामलों का निपटारा करना है । यह स्थिति ३१ जनवरी, १९५६ तक थी । तत्पश्चात् फरवरी के अन्त तक हमने कुल मांग के १,८६,०४,००४ रुपयों में से १,२१,१०,३३७ रुपये एकत्र कर लिये हैं ।

सैनिक इंजीनियरिंग सेवा (एम० ई० एस०) के कर्मचारी

†*६१९. **श्री केशव अय्यंगार** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एम० ई० एस० में केवल अघोषित (नान-गज़टेड) पदाधिकारियों को ही, गोपनीय रिपोर्टों के प्रयोजन के हेतु प्रतिवर्ष डाक्टरी परीक्षा करानी होती है; और

(ख) क्या उनकी डाक्टरी परीक्षा को खत्म करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) केवल उन अघोषित पदाधिकारियों की जो युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, प्रतिवर्ष डाक्टरी परीक्षा की जाती है ।

(ख) जी, नहीं ।

†**श्री केशव अय्यंगार** : पदाधिकारियों के घोषित और अघोषित होने से डाक्टरी परीक्षा के प्रश्न पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

†**श्री त्यागी** : वस्तुतः अधिकांश घोषित पदाधिकारियों को युद्ध क्षेत्र में नहीं जाना होता । इसलिये सामान्यतः उनकी डाक्टरी परीक्षा नहीं की जाती । लेकिन मंत्रालय इस प्रश्न का स्पष्टीकरण करने के लिये कुछ नियम जारी करने वाला है जिनमें निर्णय किया जायेगा कि नागरिकों के कौन से वर्ग युद्ध क्षेत्र में जा सकते हैं । तब यह स्पष्ट हो जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वीरस्वामी** : मेरा प्रश्न संख्या ८१७ महत्त्वपूर्ण है। उसे ले लिया जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह अनुपस्थित क्यों थे ? अब सूची समाप्त हो गई है। अब मैं उन सदस्यों के नाम पुकारूंगा जो उपस्थित नहीं थे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

†*८१०. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में शिक्षा-स्तर को बनाये रखने ने लिये एक समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो उस के निर्देश-पद क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) जी, हां।

(ख) विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तर को बनाये रखने तथा समन्वय की सुविधायें प्रदान करने के प्रश्न पर बिचार करने के लिये।

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : यह समिति अपना काम कब समाप्त करेगी और अपना प्रतिवेदन तक कब प्रस्तुत करेगी ?

†**डा० एम० एम० दास** : इस समिति की बैठक केवल एक बार अनौपचारिक रूप में हुई है।

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या यह समिति सारे क्षेत्रों का दौरा करेगी और विश्वविद्यालयों की शिक्षा से सम्बद्ध पदाधिकारियों से जानकारी एकत्र करेगी?

†**डा० एम० एम० दास** : मैं इस समय इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मेरे पास जानकारी नहीं है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : यह समिति केवल एक बार अनौपचारिक रूप से मिली, और शिक्षा मंत्रालय ने कुछ काम किया, इस बात को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निमित्त समिति के लिए कोई अवधि निश्चित की गई है?

†**डा० एम० एम० दास** : यस समिति ८ अक्तूबर, १९५५ को नियुक्त हुई। हमारा विचार है कि समिति शीघ्र ही अपना कार्य प्रारम्भ करेगी।

विद्यार्थियों की हड़तालें

†*८१७. **श्री वीरस्वामी** : क्या **शिक्षा** मंत्री २८ फरवरी, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव है कि विद्यार्थियों को राजनैतिक कार्यवाही में भाग लेने से रोका जाये;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) और (ख). राज्य सरकारों से यह कहा गया है कि राजनैतिक दलों के चुनाव आन्दोलनों में तरुण विद्यार्थियों का उपयोग करना राष्ट्र हित के विरुद्ध है। वे अपने क्षेत्र की शैक्षाणिक संस्थाओं को इस सम्बन्ध में जैसा उचित समझें लिखें। कोई अन्य योजना विचाराधीन नहीं है।

†**श्री वीरस्वामी** : क्या यह वांछनीय नहीं कि सारे भारत के विद्यार्थियों का एक सम्मेलन बुलाया जाये और विद्यार्थियों में उनकी अनुशासनहीनता तथा दुर्व्यवहार की चर्चा की जाये?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० एम० एम० दास** : यह बहुत वांछनीय हो सकता है, किन्तु केन्द्रीय सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह ऐसे निर्णय को सारे देश पर थोप सके ।

†**श्री वीरस्वामी** : क्या सरकार राज्य सरकारों के नाम ऐसे अनुदेश जारी करेगी कि वे विद्यार्थियों के राजनैतिक बैठकों में भाग लेने पर प्रतिबन्ध लगायें?

†**डा० एम० एम० दास** : जैसा कि मैं ने मूल उत्तर में कहा है, हमने राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में लिख दिया है ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या इस प्रश्न पर विद्यार्थियों की विभिन्न गोष्ठियों में चर्चा नहीं हुई, और यदि हुई तो उस पर क्या निर्णय हुए?

†**डा० एम० एम० दास** : मैं ठीक से नहीं कह सकता कि इस पर हाल में हुई गोष्ठियों में चर्चा भी की गई ।

†**सरदार ए० एस० सहगल** : क्या आप प्रश्न संख्या ८१९ लेने की कृपा करेंगे । यह एक महत्त्व-पूर्ण प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने की अनुमति देता रहा हूँ । दो माननीय सदस्यों ने प्रश्न रखे हैं उनमें से किसी ने किसी सदस्य को भी प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया है, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

१ अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : क्या मैं एक उत्तर की शुद्धि के सम्बन्ध में वक्तव्य दे सकता हूँ? प्रश्न ८१२ के सम्बन्ध में मेरे माननीय मित्र सरदार इकबाल सिंह ने एक सूबेदार-मेजर के वेतन के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा था । मैं समझा कि वह निवृत्ति-वेतन के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं और मैंने जो आँकड़े दिये वे उनके निवृत्ति-वेतन से सम्बन्ध रखते हैं । उनका वेतन ३६३ रुपये ८ आने है । उनके वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि अब उनकी सेवा के अन्तिम दिन हैं और वृद्धि से ही वह सूबेदार-मेजर बने हैं । ऐसे लोग, जिन्होंने अच्छी सेवायें की हैं, अवेतनिक कमीशन प्राप्त करते हैं, इसलिये उन्हें औरों से अधिक निवृत्ति-वेतन मिलता है ।

बीमे की किस्तें

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४. श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३ मार्च, १९५६ को लोक-सभा में जीवन बीमा किस्तों के सम्बन्ध में उन के द्वारा कही गई बातों से कई लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि निकट भविष्य में इन दरों में और भी कमी होगी;

(ख) क्या यह सच है कि इन संवादों से उत्पन्न हुई अनिश्चितता से जीवन बीमा का नया व्यापार रुक रहा है; और

(ग) क्या वित्त मंत्री जी बीमा किस्तों की दरों के सम्बन्ध में सरकार के अभिप्राय का स्पष्टी-करण करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

१ देखिये पृष्ठ संख्या ७७५

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)**: (क) से (ग). जी, हां। लोक-सभा में मेरे द्वारा कहीं गई बातों से कुछ लोगों ने यह तात्पर्य लिया है कि बीमे की किस्तों में और कमी होगी। इससे अस्थायी रूप में व्यापार को धक्का लगा होगा। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या किस्तों की दरों पर विचार करते समय सरकार ने मैसूर राज्य बीमा योजना की स्थिति का भी पुरविलोकन किया जिसकी किस्तें बहुत कम हैं ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : हम निकट भविष्य में दरों का कोई पुनर्विलोकन नहीं करना चाहते।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या बीमा के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान स्त्री और पुरुष के इस विभेद की ओर आकर्षित हुआ है कि स्त्री को किस्त की अधिक राशि देनी पड़ती है?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक सामान्य प्रश्न है।

जम्मू तथा काश्मीर के लिए पर्मिट

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ : श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १२ मार्च, १९५६ को अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी की कार्यकारिणी समिति के किसी सदस्य ने जम्मू जाने के लिये पर्मिट मांगा था;

(ख) क्या यह अनुमति पत्र (पर्मिट) जम्मू के आगामी नगर पालिका चुनाओं में जनसंघ आन्दोलन को संगठित करने के लिये मांगा गया था;

(ग) क्या १३ मार्च, १९५६ को वहां जाने की अनुमति नहीं दी गई; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (डा० काटजू)** : (क) ६ मार्च, १९५६ को श्री केदार नाथ साहनी ने एक सप्ताह के लिये जम्मू जाने के अनुमति के लिये आवेदन-पत्र दिया। अपने आवेदन-पत्र में उसने अपने आप को दिल्ली राज्य जनसंघ का महा मंत्री बताया था।

(ख) यात्रा का कारण "जनसंघ का काम" कहा गया था। जम्मू की नगर पालिका के चुनावों का कोई ज़िक्र नहीं किया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) जम्मू और काश्मीर में प्रवेश जम्मू और काश्मीर सरकार द्वारा प्रख्यापित जम्मू और काश्मीर प्रवेश (अनुज्ञा) नियम, १९५५ के अनुसार नियंत्रित है। उक्त सरकार की इच्छा के अनुसार अनुज्ञा (पर्मिट) के लिये श्री साहनी की प्रार्थना मंजूर नहीं की गई।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या यह सच है कि उक्त राज्य सरकार ने अनुज्ञा अस्वीकृत करने की सारी जिम्मेवारी अपने सिर से हटा कर भारत सरकार के ऊपर डाल दी है, जैसा कि कुछ दिन पहले कहा गया है ?

†**डा० काटजू** : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि नैशनल कान्फ्रेंस के उम्मीदवार की अवश्यम्भावी हार को रोकने के लिये ही इन नियमों को लागू किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० काटजू** : मैं कह चुका हूँ कि मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं ।

†**श्री बी० जी० देशपांडे** : क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्थगन प्रस्ताव की चर्चा के समय प्रतिरक्षा मंत्री ने यह वक्तव्य दिया था कि श्री साहनी को प्रवेश की अनुमति इस कारण नहीं दी गई क्योंकि वह जनसंघ के सदस्य थे, क्या सरकार ने उन राजनैतिक दलों की एक सूची बनाई है जिनके सदस्यों को वहाँ जाने की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए ।

†**डा० काटजू** : कोई ऐसी सूची नहीं बनाई गई है । प्रत्येक प्रश्न पर जब भी वह उत्पन्न हो, उसके गुणदोषों को देख कर ही विचार किया जाएगा ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : यदि भारत सरकार को यह बात मालूम है कि पंडित प्रेम नाथ डोगरा जनसंघ पार्टी के अध्यक्ष हैं और जम्मू में रहते हैं, यह कैसे न्यायोचित है कि जम्मू में वैध चुनाव प्रचार के लिये जनसंघ के सदस्यों पर रोक लगाई जाय ?

†**डा० काटजू** : जम्मू और काश्मीर में रहने वाले लोगों और उन लोगों, जो वहाँ नहीं रह रहे हैं, के बीच बहुत बड़ा अन्तर है ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : एक प्रश्न और ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने कई प्रश्नों की अनुमति दी है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मैसूर में अनुसूचित आदिम जातियों के लिये अनुदान

†*८०९. **श्री एन० राचय्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ में अनुसूचित आदिम जातियों के उत्थान के लिये अनुदान स्वरूप कुल कितनी राशि दी गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : १,३०,६८० रूपये ।

पंचवर्षीय योजना पर व्यय

†*८१५. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों ने भारत सरकार के समक्ष यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है कि पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में व्यय सम्बन्धी सही आंकड़े देना उनके लिये दुष्कर है; और

(ख) यदि हां, तो लेखा रखने के सम्बन्ध में कोई वैकल्पिक पद्धति का सुझाव दिया गया है?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : (क) कुछ समय पूर्व एक राज्य सरकार द्वारा इस आशय का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था ।

(ख) अधिकांश अवस्थाओं में योजना सम्बन्धी व्यय सामान्य व्यय से जटिल रूप में मिश्रित है और लेखे तथा बिलों और रसीदों—दोनों के रूप में प्रारूप सम्बन्धी बड़े हेरफेर किये बगैर लेखों में पूर्ण पृथककरण सम्भव नहीं है । विभागीय पदाधिकारियों से आशा रखी जाती है कि वे अपने रिकार्डों एवं नियमित लेखों में उपलब्ध होने वाले अन्य ब्योरों के आधार पर योजना सम्बन्धी व्यय का दर्शनार्थ लेखा रखें । इस प्रकार के लेखे रखने में विलम्ब एवं कठिनाईयाँ दूर करने के प्रश्न पर अनवरत पर्यावलोकन किया जाता है ।

खनिज पदार्थों का सर्वेक्षण

†*८१८. **श्री संगण्णा** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या खनिज पदार्थों की उपलब्धि का अनुमान स्थापित करने के लिये १९५५-५६ में उड़ीसा में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम हैं?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) और (ख). भूतत्वीय सर्वेक्षण की प्रगति जारी है और वस्तुतः जो ज़ाँच की जायेगी उसकी जानकारी शरद् ऋतु के अवसान पर भूतात्त्विकों के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर ही उपलब्ध होगी ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

†*८१९. **डा० रामा राव :**
श्री टी० बी० विट्ठल राव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र के लिये ब्रिटेन में ब्रिटिश सरकार और बैंकों से लिये जाने वाले ऋण पर किस दर पर ब्याज देना पड़ेगा;

(ख) क्या ब्याज का ब्रिटिश बैंक दर से कोई सम्बन्ध रहेगा यदि हां तो वस्तुतः दर कितनी रहेगी;

(ग) यदि सरकार ब्याज की इतनी ऊँची दर देने के लिये प्रस्तुत है तो क्या उन्हें समान अथवा इससे कम दर पर विशेष लोक ऋण के रूप में यह रकम नहीं मिल सकती है; और

(घ) ऋण की अदायगी में पौंड पावने का किस सीमा तक उपयोग किया जायेगा?

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : (क) और (ख). ब्रिटिश सरकार के ऋण पर ब्याज की दर उतनी ही होगी जितनी दर पर स्वयं सरकार को ऋण मिल सकता था । निगंम एवं प्रबन्ध का व्यय पूरा करने के लिये इसमें साधारण सा भाग और जोड़ा जायेगा । बैंकर्स सिंडिकेट द्वारा दिये जाने वाले ऋण के ब्याज की दर बैंक आफ इंग्लैण्ड की पुनः बट्टा कराने की दर से—जो न्यूनतम साढ़े चार प्रतिशत है—एक प्रतिशत अधिक रहेगी ।

(ग) वर्तमान वियणन परिस्थितियों में युक्तिसंगत शर्तों पर किसी प्रकार का विदेशी लोक ऋण लेना सम्भव नहीं है ।

(घ) पौंड पावना यथार्थ में देश के विदेश विनियम की समस्त आस्तियों का प्रतिनिधित्व करता है । समस्त विदेशी आय जिनमें ऋण स्वरूप प्राप्त होने वाली रकम भी सम्मिलित है जमा कर दी जाती है तथा ऋण का भुगतान और सम्पूर्ण व्यय खाते में से घटा दिया जाता है । इस दृष्टि से पौंड पावने से ऋण का पुनः भुगतान हो जायेगा ।

मुद्रण पाठशाला, इलाहाबाद

†*८२७. **श्री गार्डिलिंगन गौड़** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद की मुद्रण पाठशाला (स्कूल आफ प्रिंटिंग) के विविध पाठ्यक्रमों में प्रति वर्ष कितने विद्यार्थियों के प्रशिक्षण प्राप्त करने की आशा है?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : अपेक्षित जानकारी बताने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २४**]

विदेशी फर्में

४७८. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ में कौन से देशों की ग़ैर-सरकारी निगमित फर्मों ने भारत में कारोबार प्रारम्भ किया; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनकी कितनी पूंजी लगी हुई है तथा वे किस प्रकार का व्यवसाय करती हैं ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) और (ख). सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें उन ग़ैर-सरकारी कम्पनियों के बारे में मांगी गयी सूचना दी गयी है जो भारत से बाहर कहीं और संगठित हुई हैं लेकिन जिनके व्यापार का मुख्य स्थान भारत है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २५]**

केन्द्रीय अधिनियम

†४७९. **श्री डाभी** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इस हेतु कि अधिनियमों की आधुनिक शुद्धतम की गई प्रतियां तुरन्त देखी जा सकें अनिरसित केन्द्रीय अधिनियमों के खंडों को अलग-अलग पन्ने वाली जिल्दों के रूप में प्रकाशन आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य की क्या प्रगति है; और

(ग) सरकार को इस प्रकाशन कार्य के कब तक पूरा होने की आशा है ?

†**विधि तथा अल्प-संख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास)** : (क) जी, हां।

(ख) खण्ड १ प्रकाशित कर दिया गया है।

(ग) मार्च, १९५७ के अंत तक।

सैनिक कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†४८०. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ६ दिसम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ५७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू-काश्मीर मोर्चे पर सैनिक अफसरों और जवानों द्वारा स्वेच्छा श्रमदान से कितने क्वार्टर बनाये गये हैं और उनका अनुमानित मूल्य कितना है;

(ख) इस कार्य के लिये सरकारी निधि से कितनी सहायता दी गई है; और

(ग) क्या अन्य स्थानों पर भी ऐसे स्वेच्छा से किये गए निर्माण कार्य को प्रोत्साहन देने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जम्मू और काश्मीर क्षेत्र में ६५५ मकान बनाये गए हैं, जिन का मूल्य लगभग १,७२,७३२ रुपये है।

(ख) कोई नहीं।

(ग) यह प्रस्ताव किया गया है कि १ अप्रैल, १९५६ से एक वर्ष के लिये प्रयोग के ढंग पर फौजियों को स्वेच्छा से बैरकों के भरण-पोषण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय, जिसमें वर्ष में प्रत्येक अदर रैंक (अन्य श्रेणी के सैनिक) "७-आदमी" दिनों से अधिक कार्य न करें।

विश्व विद्यालय अनुदान आयोग

†४८१. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की हाल ही में अलीगढ़ में बैठकें हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इन बैठकों में क्या महत्त्वपूर्ण निर्णय किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड की एक वार्षिक बैठक और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड की एक संयुक्त बैठक अलीगढ़ में जनवरी, १९५६ में हुई थी ।

(ख) अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड की बैठक सम्बन्धी कार्यवाही का वृत्तांत प्राप्त नहीं हुआ है । संयुक्त बैठक का केवल महत्त्वपूर्ण निर्णय त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स पुनः स्थापन के सम्बन्ध में था। चर्चा के आधार पर स्थापित करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तैयार किये गये नोट की बातों को बैठक ने सामान्य रूप से अनुमोदित कर दिया, अर्थात

(१) कि विश्वविद्यालयों को हायर सेकण्डरी अथवा विश्वविद्यालय-पूर्व कोर्स के पश्चात् त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स की स्थापना करना चाहिये;

(२) कि अध्ययन कोर्स में नयनशीलता हो भले ही वह बी० ए० पास हो अथवा बी० ए० (आनर्स) किन्तु ज्ञान प्राप्ति के स्टेण्डर्ड में सुधार किया जाये; और

(३) कि एम० ए० डिग्री बी० ए० पास अथवा बी० ए० (आनर्स) के पश्चात् दो वर्ष की अवधि की सनातकोत्तर डिग्री हो ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के पदाधिकारी

†**४८२. श्री वेलायुधन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित अवर सचिवों, उप सचिवों और संयुक्त सचिवों की अलग-अलग कितनी संख्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** :

	संयुक्त सचिव	उप सचिव	अवर सचिव
अनुसूचित जाति	—	२	२*
अनसूचित आदिम जाति	—	—	—

*एक और पदाधिकारी अवर सचिव नियुक्त किया जा रहा है ।

भारतीय सांख्यकी संस्था, कलकत्ता

†**४८३. श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सांख्यकी के सुधार हेतु कलकत्ता की भारतीय सांख्यकी संस्था द्वारा आमंत्रित योजना और सांख्यकी सेन्ट्रल स्कूल, वारसा के रेक्टर प्रोफेसर ओम्सार लाञ्जें की क्या-क्या सिफारिशें और सुझाव हैं; और

(ख) क्या उन पर विचार किया गया है तथा उन्हें क्रियान्वित किया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : (क) प्रोफेसर लाञ्जें ने भारत में सांख्यकी सुधार के बारे में कोई सिफारिशें नहीं की हैं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है ।

भूतत्वीय सर्वेक्षण

†**४८४. श्री राधा रमण** :
श्री कृष्णाचार्य जोशी :

क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारत भूतत्वीय सर्वेक्षण जम्मू में जंगलगली और काकाकोट के बीच सर्वेक्षण कर रहा है;

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) सर्वेक्षण का पूर्ण व्योरा क्या है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) से (ग). भारत भूतत्वीय सर्वेक्षण इस क्षेत्र में वर्तमान में कोयले की पट्टी का प्राथमिक परीक्षण कर रहा है। इस पर विस्तृत कार्य बाद में किया जायेगा ।

अनुसूचित जातियों आदि को छात्रवृत्तियां

†४८५. **श्री वल्लाथरास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वह क्या आधार है जिस पर भारत सरकार की योग्यता छात्रवृत्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये छात्रवृत्तियों का १७·५ प्रतिशत संरक्षण किया गया है तथा क्या यह संरक्षण जनसंख्या से सम्बन्धित है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं कि योग्यता छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में उम्मीदवारों का चुनाव, जांच और परीक्षण के लिये पाठ्यक्रम उम्मीदवारों के अध्ययन की श्रेणी अथवा स्तर के बजाय सामान्यतया आयु के आधार पर निश्चित किया जाता है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) आधार वही है जिस पर उन सरकारी पदों की भर्ती के सम्बन्ध में सरकार ने १९५२ में इन जातियों के प्रार्थनापत्रों के लिये संरक्षण की अनुमति दी थी, जिनके लिये चुनाव अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता द्वारा केवल योग्यता के अनुसार किया जाता है ।

(ख) प्रत्येक राज्य से उम्मीदवारों का प्राथमिक चुनाव सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा उम्मीदवारों के लिये अत्यंत उपयुक्त पद्धति पर किया गया था । चुने हुये विद्यार्थियों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण उनके ज्ञान को देखने के लिये नहीं किया गया था जिसके लिये श्रेणी अथवा स्तर का प्रश्न संगत है अपितु विशेष रूप से बुद्धि के माप के लिये किया गया था । लिखित परीक्षा—जो केवल ९ वर्ष की आयु से अधिक उम्मीदवारों के लिये थी—का पाठ्यक्रम एक विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित किया गया था। सिंधिया स्कूल, ग्वालियर और माडर्न स्कूल, नई दिल्ली के प्रधान अध्यापक इस समिति के सदस्य थे।

मैसूर में कल्याण परियोजनाएं

†४८६. **श्री सिद्धनंजप्पा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड ने मैसूर राज्य में कल्याण परियोजनाओं के भवन निर्माण के लिये अनुदान मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो १९५५-५६ में कुल कितना अनुदान मंजूर किया गया है; और

(ग) उन कल्याण परियोजनाओं के नाम जिन्हें इस कार्य के लिये अनुदान प्राप्त हुआ है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, २० मार्च, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	७६६–८८
	तारांकित प्रश्न संख्या	
८००	कच्चे तांबे के निक्षेप... ...	७६६–६७
८०१	राज्य औद्योगिक उपक्रम	७६७
८०२	बर्मे (ड्रिलिंग रिग्स)	७६८–६९
८०३	नौसेना दिवस ...	७६९
८०४	उत्तुंग गवेषणा संस्था	७६९–७०
८०५	भारत का राज्य बैंक...	७७०–७२
८०६	आय-कर विभाग के कर्मचारियों के लिये आवास	७७२
८०७	वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूतावास ...	७७३
८०८	जीप गाड़ियों की खरीद	७७४–७५
८११	भू-रचना विज्ञान में प्रशिक्षण	७७५
८१२	भारतीय सेना के कर्मचारियों के वेतन तथा निवृत्ति वेतन ...	७७५–७७
८१३	तांबा	७७७
८१४	भारत का भौगोलिक केन्द्र ...	७७७–७८
८१६	यूनेस्को...	७७८
८२०	सेवा-निवृत्त आई० सी० एस० तथा आई ए० एस० पदाधिकारी	७७९
८२१	सोने की खानें	७८०
८२२	केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड	७८०–८१
८२३	आसाम ऑयल कम्पनी ...	७८१–८२
८२४	पंजाब तथा पेप्सू में सेना की भूमि	७८२
८२५	तेल के सर्वेक्षण के लिये कैनेडियन दल	७८२–८३
८२६	सम्पदा शुल्क	७८३
८२८	सम्पदा शुल्क	७८३–८४
६१९	सैनिक इंजीनियरिंग सेवा (एम० ई० एस०) के कर्मचारी	७८४–८५
८१०	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	७८५
८१७	विद्यार्थियों की हड़तालें	७८५–८६
	अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	७८६
	अल्पसूचना प्रश्न संख्या	
४	बीमे की किस्तें	७८६–८७
५	जम्मू तथा काश्मीर के लिए परिमट	७८७–८८

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	७८८–९२
	तारांकित	
	प्रश्न संख्या	
८०९	मैसूर में अनुसूचित आदिम जातियों के लिए अनुदान	७८८
८१५	पंचवर्षीय योजना पर व्यय ...	७८८
८१८	खनिज पदार्थों का सर्वेक्षण ...	७८८–८९
८१९	दुर्गापुर इस्पात कारखाना ...	७८९
८२७	मुद्रण पाठशाला, इलाहाबाद	७८९
	अतारांकित	
	प्रश्न संख्या	
४७८	विदेशी फर्में	७८९–९०
४७९	केन्द्रीय अधिनियम	७९०
४८०	सैनिक कर्मचारियों के रहने के लिए क्वार्टर ...	७९०
४८१	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	७९०–९१
४८२	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के पदाधिकारी	७९१
४८३	भारतीय सांख्य की संस्था, कलकत्ता ...	७९१
४८४	भूतत्वीय सर्वेक्षण	७९१–९२
४८५	अनुसूचित आदिम जातियों को छात्रवृत्तियां ...	७९२
४८६	मैसूर में कल्याण परियोजनाएं ...	७९२

M23LSD—29-5-57—190—GIPF.

मंगलवार
20 मार्च 1956

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड २, १९५६

(५ मार्च से २३ मार्च, १९५६)

सत्यमेव जयते

बारहवां सत्र, १९५६

(खण्ड २ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

(भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

(खण्ड २--५ मार्च से २३ मार्च, १९५६)

पृष्ठ

अंक १६, सोमवार, ५ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ६८१
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ६८१
अनुपूरक अनुदानों की मांगें--रेलवे १९५५-५६ ६८२
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, रेलवे, १९५०-५१ ६८२
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें रेलवे, १९५१-५२ ६८२
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें रेलवे, १९५२-५३ ६८२
रेलवे आय-व्ययक--सामान्य चर्चा ६८२-७२१

दैनिक संक्षेपिका ७२२

अंक १७, मंगलवार, ६ मार्च, १९५६

आय-व्ययक सम्बन्धी प्रस्तावों का भेद खुल जाने के बारे में प्रक्रिया का प्रश्न ७२३-३२
समिति के लिये निर्वाचन--भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति ७३२
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--
ब्रिटिश बैंक दर में परिवर्तन ७३२-३३
रेलवे आय-व्ययक सामान्य चर्चा ७३३-७६

दैनिक संक्षेपिका ७७७

अंक १८, बुधवार, ७ मार्च, १९५६

विशेषाधिकार का प्रश्न--
सत्र-काल में सदस्य के बन्दीकरण का वारंट ७७९
सभा का कार्य ... ७८४
रेलवे आय-व्ययक सामान्य चर्चा ७८५-८१८
अनुदानों की मांगें--रेलवे ८१८-३८
मांग संख्या १--रेलवे बोर्ड ८१९-३८
मांग संख्या २--विविध व्यय ८१९-३९
मांग संख्या ३--चालू लाइनें आदि के लिये भुगतान ८१९-३८
मांग संख्या १४--चालू लाइनों पर काम--(राजस्व)--श्रम कल्याण के अतिरिक्त ८१९-३८
मांग संख्या १५--नये रेल-पथों का निर्माण--पूंजी और अवक्षयण रक्षित निधि ८१९-३८

दैनिक संक्षेपिका ... ८३९

पृष्ठ

अंक १६, गुरूवार, ८ मार्च, १६५६

अध्यक्ष का निर्वाचन ... ८४१–४७
तारांकित प्रश्नों के उत्तर की शुद्धि ८४७–४८
सभा का कार्य ... ८४८
अनुदानों की मांगें––रेलवे ८४८–७४
मांग संख्या १––रेलवे बोर्ड ८४८–७४
मांग संख्या २––विविध व्यय ... ८४८–७४
मांग संख्या ३––चालू लाइनें, आदि के लिये भुगतान ... ८४८–७४
मांग संख्या १४––चालू लाइनों पर काम ––(राजस्व)–– श्रम कल्याण के अतिरिक्त ८४८–७४
मांग संख्या १५––नये रेल-पथों का निर्माण–– पूंजी और अवक्षयण रक्षित निधि ... ८४८–७४
मांग संख्या ४––साधारण कार्यवहन व्यय––प्रशासन ८७४–६३
मांग संख्या ५––साधारण कार्यवहन व्यय––मरम्मत तथा संधारण ८७४–६३
दैनिक संक्षेपिका ८६४

अंक २०, शुक्रवार, ६ मार्च, १६५६

आय-व्ययक सम्बन्धी प्रस्तावों का भेद खुल जाने के बारे में वक्तव्य ८६५
अनुदानों की मांगें––रेलवे ... ८६५–६२४
मांग संख्या ४––साधारण कार्यवहन व्यय-प्रशासन ८६५–६१०
मांग संख्या ५––साधारण कार्यवहन व्यय–मरम्मत तथा संधारण ८६५–६१०
मांग संख्या ६––साधारण कार्यवहन व्यय–संचालक कर्मचारी ६११–२४
मांग संख्या ७––साधारण कार्यवहन व्यय––संचालन (ईंधन) ... ६११–२४
मांग संख्या ८––साधारण कार्यवहन व्यय––कर्मचारियों तथा ईंधन के अतिरिक्त संचालन ६११–२४
मांग संख्या ६––साधारण कार्यवहन व्यय–विविध व्यय ६११–२४
मांग संख्या १०––साधारण कार्यवहन व्यय–श्रम कल्याण ६११–२४
राष्ट्रीय विकास (जनता द्वारा भाग लिया जाना) विधेयक ६२४
राष्ट्रीय पर्व और त्यौहार पर सवेतन छुट्टी विधेयक ६२४
श्री काशी-विश्वनाथ मन्दिर विधेयक विचार करने का प्रस्ताव ... ६२४–३५
भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक (धारा ७१-क आदि का हटाया जाना) विचार करने का प्रस्ताव ... ६३५–४३
कारखाना (संशोधन) विधेयक (धारा ५६ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना) विचार करने का प्रस्ताव ... ६४३–४५
दैनिक संक्षपिका ६४६

पृष्ठ

अंक २१, सोमवार, १२ मार्च, १९५६

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ९४७
लेखानुदानों की मांगें ९४७–५१
आय-व्ययक प्रस्थापनाओं का भेद खुल जाने के बारे में वक्तव्य ९५१–५५
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक ९५५
अनुदानों की मांगें––रेलवे ९५५–७३
मांग संख्या ६––सामान्य कार्यवहन व्यय––संचालन कर्मचारी ९५५–६८
मांग संख्या ७––सामान्य कार्यवहन व्यय––संचालन (ईंधन) ... ९५५–६८
मांग संख्या ८––सामान्य कार्यवहन व्यय––कर्मचारियों तथा ईंधन के अतिरिक्त संचालन व्यय ९५५–६८
मांग संख्या ९––सामान्य कार्यवहन व्यय––विविध व्यय ... ९५५–६८
मांग संख्या १०––सामान्य कार्यवहन व्यय––श्रम कल्याण ९५५–६८
मांग संख्या ११––अवक्षयण रक्षित निधि के लिये विनियोग ९६८–७२
मांग संख्या १२––साधारण राजस्व में देय लाभांश ९६८–७२
मांग संख्या १३––चालू लाइनों पर काम––(राजस्व)––श्रम कल्याण... ९६८–७२
मांग संख्या १६––चालू लाइनों पर काम विस्तार ९६८–७३
मांग संख्या १७––चालू लाइनों पर काम प्रतिस्थापन ९६८–७३
मांग संख्या १८––चालू लाइनों पर काम––विकास निधि ... ९६८–७३
मांग संख्या १९––विशाखापटनम् पत्तन पर पूंजी व्यय ९६८–७३
मांग संख्या २०––विकास निधि के लिये विनियोग ९६८–७३
विनियोग (रेलवे) विधेयक ९७३
१९५५–५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) और १९५०–५१, १९५१–५२ और १९५२–५३ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें––रेलवे ... ९७३–९२
विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक ९९२
विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक ... ९९२–९३
विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक ९९३
विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक ९९३
प्रतिलिप्याधिकार विधेयक––
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव ... ९९३–९५
पीलिया जांच-समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में चर्चा ९९५–१००१
दैनिक संक्षेपिका १००२–०३

अंक २२, मंगलवार, १३ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १००५
राज्य-सभा से संदेश १००५
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––
मनीपुर खाद्यान्न (यातायात) नियंत्रण आदेश, १९५१ के अमान्यीकरण से उत्पन्न हुई स्थिति १००६
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक ... १००६

पृष्ठ

विनियोग (रेलवे) विधेयक ... १००६
विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक १००७
विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक १००७
विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक १००७–०८
सामान्य आय-व्ययक––सामान्य चर्चा ... १००८–५१
पीलिया जांच समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में चर्चा १०५१–६१
दैनिक संक्षेपिका १०६२–६३

अंक २३, बुधवार, १४ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०६५
राज्य-सभा से संदेश १०६६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––
छयालीसवां प्रतिवेदन ... १०६६
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना––
पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों का त्रिपुरा में पुनर्वास १०६६–६७
विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक ... १०६७
सामान्य आय-व्ययक––सामान्य चर्चा ... १०६७–१११
दैनिक संक्षेपिका ... १११२

अंक २४, गुरुवार, १५ मार्च, १९५६

स्थगन प्रस्ताव––
जनसंघ के कार्यकर्त्ता को जम्मू जाने से मना करना १११३–१४
राज्य-सभा से संदेश १११४
भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक (धारा २ आदि का संशोधन) १११५
मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन)
विधेयक का वापस लिया जाना ... १११५
सामान्य आय-व्ययक––सामान्य चर्चा ... १११६–६३
दैनिक संक्षेपिका ... ११६४

अंक २५, शुक्रवार, १६ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ११६५
राज्य-सभा से संदेश ११६५–६६, ११९८
प्राक्कलन समिति––तेईसवां प्रतिवेदन ... ११६६
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति––
तेरहवां प्रतिवेदन ११६६
याचिका समिति––
आठवां प्रतिवेदन ११६६
सामान्य आय-व्ययक––सामान्य चर्चा ११६७–९७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––
छियालीसवां प्रतिवेदन ११९८
मद्य-निषेध के लिये अन्तिम तारीख नियत करने के बारे में संकल्प ११९८–१२०५, १२०६–१३
सभा-पटल पर रखे गये पत्र के बारे में औचित्य प्रश्न १२०६
दैनिक संक्षेपिका ... १२१४–१५

अंक २६, सोमवार, १६ मार्च, १६५६	पृष्ठ
आय-व्ययक सम्बन्धी प्रस्तावों का भेद खुल जाना	१२१७–१८
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ...	१२१८
राज्य-सभा से सन्देश	१२१८
प्राक्कलन समिति—	
बाईसवां प्रतिवेदन ...	१२१८
अनुपस्थिति की अनुमति	१२१६
जीवन-बीमा निगम विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	१२१६–७०
दैनिक संक्षेपिका ...	१२७१–७२
अंक २७, मंगलवार, २० मार्च, १६५६	
स्थगन प्रस्ताव—	
हुसैनीवाला हेडवर्क्स पर भारतीय तथा पाकिस्तानी सैनिक टुकड़ियों में मुठभेड़	१२७३
उपाध्यक्ष का निर्वाचन ...	१२७४–७६
विदेशी मामलों के सम्बन्ध में वक्तव्य	१२७६–८२
सभा-पटल पर रखा गया पत्र	१२८२
जीवन-बीमा निगम विधेयक	१२८२
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	१२८२–१३१०
आय-व्ययक सम्बन्धी प्रस्तावों का भेद खुल जाना	१३११–३१
दैनिक संक्षेपिका ...	१३३२
अंक २८, बुधवार, २१ मार्च, १६५६	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ...	१३३३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सैंतालीसवां प्रतिवेदन ...	१३३३
अनुदानों की मांगें— ...	१३३४–६७
मांग संख्या ११—प्रतिरक्षा मंत्रालय ...	१३३४–६७
मांग संख्या १२—प्रतिरक्षा सेवायें,—क्रियाकारी-सेना ...	१३३४–६७
मांग संख्या १३—प्रतिरक्षा सेवायें,—क्रियाकारी-नौ-सेना	१३३४–६७
मांग संख्या १४—प्रतिरक्षा सेवायें—क्रियाकारी—वायु बल	१३३४–६७
मांग संख्या १५—प्रतिरक्षा सेवायें—अक्रियाकारी व्यय	१३३४–६७
मांग संख्या १६—प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	१३३४–६७
मांग संख्या ११७—प्रतिरक्षा पर पूंजी व्यय ...	१३३४–६७
दैनिक संक्षेपिका ...	१३६८
अंक २६, गुरुवार, २२ मार्च, १६५६	
प्रश्नों की ग्राह्यता के बारे में घोषणा	१३६६
सभा का कार्य	१३६६–१४००
अनुदानों की मांगें	१४००–६२
मांग संख्या ५—संचार मंत्रालय	१४००–६२
मांग संख्या ६—भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्यवहन व्यय सहित)	१४००–६२

	पृष्ठ
मांग संख्या ७—अन्तरिक्ष विज्ञान	१४००–६२
मांग संख्या ८—समुद्र पार संचार सेवा ...	१४००–६२
मांग संख्या ९—उड्डयन	१४००–६२
मांग संख्या १०—संचार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	१४००–६२
मांग संख्या ११४—भारतीय डाक तथा तार पर पूंजी व्यय (राजस्व से न देय) ...	१४००–६२
मांग संख्या ११५—असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय	१४००–६२
मांग संख्या ११६—संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	१४००–६२
सभापति-तालिका के लिये नामनिर्देशन ...	१४६२
दैनिक संक्षेपिका ...	१४६३

अंक ३०, शुक्रवार, २३ मार्च, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

त्रावनकोर-कोचीन में मंत्रिमंडल की रचना	१४६५–६६
अनुदानों की मांगें ...	१४६६–९९
मांग संख्या ९५—परिवहन मंत्रालय ...	१४६६–९९
मांग संख्या ९६—पत्तन तथा पोतमार्ग-प्रदर्शन	१४६६–९९
मांग संख्या ९७—प्रकाश स्तम्भ तथा प्रकाशपोत	१४६६–९९
मांग संख्या ९८—केन्द्रीय मार्ग निधि ...	१४६६–९९
मांग संख्या ९९—संचार (राष्ट्रीय राजपथों सहित) ...	१४६६–९९
मांग संख्या १००—परिवहन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ...	१४६६–९९
मांग संख्या १४०—पत्तनों पर पूंजी व्यय	१४६६–९९
मांग संख्या १४१—सड़कों पर पूंजी व्यय ...	१४६६–९९
मांग संख्या १४२—परिवहन मंत्रालय पर अन्य पूंजी व्यय	१४६६–९९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— सैंतालीसवां प्रतिवेदन	१५००
सभा का कार्य ...	१५००
गोद लेने की प्रथा की समाप्ति विधेयक ...	१५००
बाल-विवाह रोक (संशोधन) विधेयक (धारा २ का संशोधन)	१५०१
समान पारिश्रमिक विधेयक ...	१५०१
दण्ड विधि संशोधन विधेयक	१५०१
भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक— (धारा २, आदि का संशोधन)	१५०१
राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधन ...	१५०२
कारखाना (संशोधन) विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव ...	१५०३
विधान मंडलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक ...	१५०५–१५
विचार करने का प्रस्ताव ...	१५०५
दैनिक संक्षेपिका	१५१६

M102LSD—190—21-3-58—GIPF

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

मंगलवार, २० मार्च, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११—३० म० पू०

स्थगन-प्रस्ताव

हुसैनिवाला हेडवर्क्स पर भारतीय तथा पाकिस्तानी सैनिक टुकड़ियों में मुठभेड़

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी का एक स्थगन-प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यह विषय माननीय प्रधान मंत्री के वक्तव्य में आ जायेगा। स्थगन-प्रस्ताव का विषय यह है :

> "फीरोजपुर जिले में हुसैनिवाला हेडवर्क्स पर भारतीय और पाकिस्तानी सैनिक टुकड़ियों में मुठभेड़ से उत्पन्न स्थिति और तदनन्तर भारत की सुरक्षा तथा प्रादेशिक प्रभुता का अतिक्रमण।"

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यदि आप अनुमति दें और सभा की इच्छा हो तो मैं लोक-सभा पटल पर तथ्य बताने वाले ब्योरे की एक प्रति रखने के लिये तैयार हूँ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या हम इस विषय को निर्वाचन के पश्चात ले सकते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हाँ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने केवल इसका उल्लेख कर दिया था क्योंकि सूची के अनुसार इसका उल्लेख किया जाना चाहिये था।

उपाध्यक्ष का निर्वाचन हो जाने तक मामला रुका रहेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इस सभा के सदस्य सरदार हुक्म सिंह को सभा का उपाध्यक्ष चुना जाये ।"

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसकी प्रस्थापना की जा कर समर्थन कर दिया गया है । अब मैं मतदान के लिये इसे सभा के समक्ष प्रस्तुत करूँगा । प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य सरदार हुक्म सिंह को सभा का उपाध्यक्ष चुना जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं घोषित करता हूँ कि सरदार हुक्म सिंह लोक-सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हो गये हैं । मैं सरदार हुक्म सिंह को उपाध्यक्ष पद पर आमंत्रित करता हूँ ।

मैं इस पद के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्वों से परिचित हूँ । सभापति-तालिका के सदस्य होने के नाते वह जिस भांति कार्य कर रहे हैं उसे देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि वह लोक-सभा के सदस्यों को पूर्ण सन्तोष प्रदान करेंगे । उनका राजनीति से सक्रिय सम्बन्ध है फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि वह अपने कर्तव्य पूर्ति में संतुलन रखेंगे । वह एक योग्य एडवोकेट रहे हैं और बाद में वह कपूरथला राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी बन गये थे ।

सरदार हुक्म सिंह संसद्विज्ञ हैं । वह १९४८ में संविधान सभा के सदस्य बने थे । उसके पश्चात् वह लगातार अस्थायी संसद् के सदस्य रहे हैं और १९५२ से लोक-सभा के सदस्य हैं ।

मैं सदस्यों की ओर से तथा अपनी ओर से उपाध्यक्ष-पद पर उनका स्वागत करता हूँ ।

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला-भटिंडा) : मैं कृतज्ञता से गद्गद् हो गया हूँ । मैं जानता हूँ कि इस पद के अनेक उत्तरदायित्व हैं । इसके साथ ही मैं अपनी त्रुटियों और अभावों से परिचित हूँ तथा मैं इस बात से भयभीत हूँ कि क्या मैं इस भव्य पद के कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों की पूर्ति कर सकूंगा । किन्तु सदस्यों की उदारता और उनकी इस चेष्टा में मुझे पूरा विश्वास है कि वह इस देश में संसदीय प्रणाली की सफलता देखने के इच्छुक हैं ।

मैंने विरोधी दल के सदस्यों से कहा था कि सरकार विरोधी दल के किसी व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाने का विचार कर रही है । यदि वह किसी अन्य व्यक्ति का नाम प्रस्तावित करना चाहते तो मैं अपना नाम वापिस ले सकता था । मैं किसी व्यक्ति के पास नहीं गया, मैंने किसी बड़े आदमी से इस विषय में कुछ नहीं कहा । बिना मांगे ही मुझे यह मिल गया है । पता नहीं सरकार ने मुझे क्यों इस स्थान के लिये चुना है ।

†**श्री अलगू राय शास्त्री** (जिला आज़मगढ़—पूर्व व जिला बलिया—पश्चिम) : आप की योग्यता के आधार पर ।

†**सरदार हुक्म सिंह** : पंजाबी में एक कहावत है :

"साईं दे मन ज्ञानी तां कमली वी सिआनी"

जब माननीय सदस्य ने मुझे स्वीकार कर लिया है तो फिर मैं कैसा भी हूँ, उन्हीं द्वारा स्वीकृत किया हुआ हूँ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ मित्रों का यहां न होना निस्संदेह ही चिन्तनीय है। मैंने उनसे स्पष्ट रूप में कह दिया था कि यदि वे मुझे नहीं चाहते हैं तो मैं खड़ा नहीं हूँगा। किन्तु उन्होंने अपनी शुभकामनाएं मेरे पास भेजी हैं।

लोक-सभा में मेरी पार्टी के केवल दो सदस्य हैं। आशा है कि सदस्य मुझे सदस्य बने रहने की अनुमति देंगे। मैं इस बात का आश्वासन दिला दूँ कि अध्यक्ष पद पर बैठते समय मैं प्रत्येक दल और सदस्य के प्रति न्याय करने के लिये प्रयत्नशील रहूँगा।

यदि मैं असफल रहा तो भविष्य में कभी विरोधी दल का सदस्य इस पद के लिये नहीं चुना जायेगा। यदि मैं सफल हुआ तो उनके कार्य को बढ़ावा मिलेगा।

विरोधी दल के व्यक्ति को इस पद पर चुनने के लिये मैं प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों को धन्यवाद देता हूँ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** चूंकि उपाध्यक्ष पद के लिये प्रस्ताव मेरे द्वारा किया गया था स्वाभाविक है कि मैं इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करूँ। मैं विरोधी दल के सदस्य सरदार हुक्म सिंह का इस उच्च पद पर स्वागत करता हूँ।

इस पद के लिये उनका नाम प्रस्तावित करने का एक मुख्य कारण यह है कि वह इस पद सम्बन्धी अनुभवों से सम्पन्न हैं। वह सभापति पद पर काम करते रहे हैं। हम ने दल गत नीति से इस पर विचार नहीं किया और न ही इसलिये ऐसा किया कि हम विरोधी दल के सदस्य को लेने के लिये उत्सुक थे किन्तु इसका केवल यह कारण था कि हमें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो इसके लिये उपयुक्त हो और जिसने इस कार्य में अपनी योग्यता प्रदर्शित की हो।

मुझे इस में कोई सन्देह नहीं है कि सरदार हुक्म सिंह का चुनाव सभा का सर्वानुमत चुनाव है। इसमें वे लोग भी हैं जो यहां उपस्थित नहीं हैं। मुझे खेद है कि वे यहां नहीं हैं। कदाचित् इसका कारण यह है कि उन्हें उस विषय में अपनाई गई प्रक्रिया पसन्द न हो। नाम में आपत्ति नहीं है यह प्रक्रिया सम्बन्धी बात है। कल ही विरोधी दल के कुछ माननीय सदस्यों से मुझे इस विषय पर बातचीत का अवसर मिला था। मैंने उन से कहा कि यह बात मुझे पहले नहीं सूझी। हम सब यह विश्वास रखते हैं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय इस उच्च पद पर पूर्ण निष्पक्ष होकर कार्य करें। हमारा यह भी विश्वास है कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव में जब कभी भी तथा जिस सीमा तक संभव हो लोक-सभा और दलों के प्रतिनिधि सदस्यों से परामर्श किया जाना चाहिये।

स्वाभाविक है कि इस विषय में मुख्य उत्तरदायित्व सरकार का है। वह बहुमत दल की प्रतिनिधि है। किन्तु सर्वसम्मत चुनाव के लिये इस प्रकार के मामले में सरकार तथा बहुसंख्यक दल के नेता को दूसरे व्यक्तियों से भी परामर्श करना चाहिये। ऐसे अवसर हो सकते हैं कि विभिन्न मत हो—यह दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी—तो बहुमत वाले दल को ही निर्णय करना पड़ेगा। अतः मेरी और मेरे सहयोगियों की सम्मति में इस विषय में पूर्व मंत्रणा की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक और प्रश्न जिसे मैंने बाद में सुना वह है कि इस कार्य के लिये प्रस्थापना अथवा प्रस्ताव मुझे करना चाहिये था अथवा किन्हीं विरोधी सदस्यों को। यह बहुत बड़ा प्रश्न है। दोनों इसे कर सकते थे। निजी रूप से मेरा यह विचार था कि यदि मुझे इस बात का ध्यान पहले आया होता तो प्रस्ताव मैं करता—मैं प्रस्ताव करने का इच्छुक था क्योंकि सरदार हुक्म सिंह का नाम उपाध्यक्ष पद के लिये प्रस्तावित करने का कार्य एक सौभाग्य की बात है—यदि मुझे स्मरण रहता तो यह बात मुझे अच्छी लगती कि विरोधी दल के किसी सदस्य को इस नाम का समर्थन करने के लिये आमंत्रित करता जब कि मैं इसके लिये प्रस्ताव करता। किन्तु यह बात मेरे ध्यान में नहीं आई और किसी ने इस का उल्लेख नहीं किया और मैंने यह प्रस्ताव रख दिया।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कल आखिरी घड़ी में मेरे सामने यह सुझाव रखा गया कि मैं यह प्रस्ताव वापिस लेकर दूसरा प्रस्ताव रखूं, जिसका समर्थन विरोधी दल के सर्स्दस्य करें। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन चूंकि यह प्रस्ताव कार्य-सूची में सम्मिलित किया जा चुका था यह सुझाव मुझे उचित नहीं लगा कि उसे वापिस लेने के लिये मैं आपकी अनुमति प्राप्त करूँ और इस जटिल प्रक्रिया में उलझूं।

लेकिन मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि इन मामलों के सम्बन्ध में कोई बड़ा मतभेद नहीं है। हम सब माननीय सदस्य के उपाध्यक्ष पद पर चुने जाने के सम्बन्ध में सहमत हैं। प्रस्ताव में विरोधी दल के सदस्य के सहयोग का मैं प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करता किन्तु उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों में अलग रहना ही उत्तम समझा है। मुझे इस पर खेद है।

†**श्री एस० एल० सक्सेना** (जिला गोरखपुर—उत्तर) : मैं एक मिनिट बोलना चाहता हूँ .....

†**अध्यक्ष महोदय :** यह आवश्यक नहीं है। इससे मतभेद पैदा होंगे।

मेरा विश्वास है कि सरदार हुक्म सिंह के मृदुल व्यवहार से लोक-सभा के सभी सदस्यों का सर्वानुमत समर्थन उन्हें प्राप्त होगा। निर्वाचन सर्वसम्मत है। कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है।

विदेशी मामलों के सम्बन्ध में वक्तव्य

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** जैसा लोक-सभा को विदित है हमें पिछले कुछ महीनों में भारत में अनेक विख्यात व्यक्तियों के स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भिन्न-भिन्न संस्कृति और विचारधारा तथा शासन पद्धति वाले देशों से सद्भावना-दूत बन कर यह अतिथि आये। हमने इन सब व्यक्तियों का स्नेह तथा सौहार्द के साथ स्वागत किया। यह स्वागत हमारी वैदेशिक नीति के प्रतीक होने के साथ ही हमारे देश और जनता की परम्परा के अनुरूप है। मैंने इस सब महानुभावों के साथ विश्व की महत्वपूर्ण समस्याओं और उस देश तथा भारत के परस्पर हितों से सम्बन्धित मामलों पर लम्बी और विस्तृत चर्चा की। मैं इस अवसर पर यह बताऊंगा कि यह वार्त्ता कितनी मूल्यवान थी और मुझे उनसे कितना लाभ हुआ है। निस्संदेह, यह आशा नहीं की जा सकती कि इन बातों के परिणामस्वरूप हमारे देश अथवा अन्य सम्बन्धित देश की विदेशी नीति में सहसा कोई परिवर्तन होगा। विदेश नीतियों का निर्माण और परिवर्तन इस प्रकार नहीं होता है। यह बातचीत स्पष्ट एवं अनौपचारिक वातावरण में हुई। इससे हमें तथा आगन्तुक महानुभावों को एक दूसरे का दृष्टिकोण भली प्रकार समझने का अवसर मिला है। अपने-अपने देशों की नीति का निर्माण एवं निर्देशन करने वाले व्यक्तियों के मस्तिष्क को अच्छी प्रकार समझ पाये हैं। जिन मामलों पर हम सहमत नहीं हो पाये हमने एक दूसरे से भिन्न मत अपनाना स्वीकार कर लिया है। प्रस्तुत वक्तव्य में यह सम्भव नहीं है कि मैं इन चर्चाओं की सम्पूर्ण पृष्ठभूमि का वर्णन करूँ अथवा उन सब समस्याओं की चर्चा करूँ जिन से विश्व पीड़ित है तथा जिनसे हम सम्बन्धित हैं। कदाचित्, थोड़े समय पश्चात् मैं इन अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का निर्देश सभा के समक्ष करूँ। वर्तमान में मैं उन महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख करूँगा जिन पर माननीय अतिथियों के साथ हमने चर्चा की थी।

इन यात्राओं में से प्रमुख ब्रिटेन के विदेश मंत्री श्री सेलविन लायड, अमेरिका के विदेश सचिव श्री डलेस और फ्रांस के विदेश मंत्री श्री एम० पिनै हैं। हमने संसार के तीन प्रमुख देशों के प्रतिनिधियों के रूप में उनका स्वागत किया तथा उनमें से प्रत्येक के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा की। तनाव कम करने एवं सब देशों का ध्येय—शान्ति की संवर्द्धि के लिये बातचीत की गई। इन राजनीतिज्ञों

---

†मूल अंग्रेजी में

के यहां आगमन का कारण कराची में सीटो परिषद् की बैठक थी। यह आश्चर्यजनक बात थी कि परिषद् ने एक सदस्य के कहने पर काश्मीर का विषय भी इस में सम्मिलित कर लिया और अन्तिम विज्ञप्ति में इस प्रश्न पर अपना निर्णय भी दे दिया। ऐसा करने में परिषद् ने उस संगठन के प्रति हमारी आशंकाओं की पुष्टि कर दी जिसका यह प्रतिनिधित्व करता है। दक्षिण-पूर्वी एशिया संधि का उद्देश्य जिसकी उन्होंने घोषणा कर रखी है वह संधि के सदस्य-देशों की बाहरी आक्रमण एवं आन्तरिक विध्वंसकारी कार्यवाहियों के प्रति रक्षात्मक शक्ति में वृद्धि करना है। सीटो परिषद् में काश्मीर के प्रश्न पर किस प्रकार विचार किया जा सकता है यह बात हमें स्पष्ट नहीं हुई। काश्मीर पर इसके निर्देश का केवल यही अभिप्राय हो सकता है कि एक सैनिक संधि एक देश का समर्थन कर रही है अर्थात् भारत के साथ विवाद में पाकिस्तान का समर्थन किया जा रहा है। एक ऐसे देश के विरुद्ध हानिकारक कार्य करना जो संधि संगठन के अलग-अलग देशों के प्रति मैत्री रखता है हर समय अनुचित समझा जायेगा। इस मामले में एक पहलू और भी है। इस अपराधजनक घोषणा में राष्ट्रमण्डल के तीन देशों ने भी अपने आपको सम्बन्धित किया है, इससे हमें बड़ा खेद हुआ है, परिषद् के द्वारा स्वीकृत इस असामान्य प्रक्रिया पर हमने अलग-अलग देशों को विरोधपत्र भेज दिया है।

पाकिस्तान को अमेरिकी सैनिक सहायता के बारे में मैंने श्री डलेस से बातचीत की। मैंने उन्हें बताया कि इस सहायता से हम किस प्रकार चिन्तित हो रहे हैं। पाकिस्तान में जो वातावरण है वह भारत के प्रति धमकियों एवं संकट से पूर्ण प्रतीत होता है। पाकिस्तान समाचार पत्रों में भारत की तीव्र आलोचना की जाती है और समय-समय पर उत्तरदायी नेताओं के विद्वेषपूर्ण वक्तव्य उनमें छपते रहते हैं। हाल में ही सीमा पर होने वाले कांड फिर बढ़ गए हैं। ये घटनायें जिस तेज़ी से और जिस विस्तृत क्षेत्र में हो रही हैं, उससे उनका महत्व और बढ़ गया है। इन बातों से इस देश में यह धारणा दृढ़ होती जा रही है कि पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने के पीछे अमेरिका का उद्देश्य चाहे जो कुछ हो, स्वयं पाकिस्तान में सैनिक शक्ति के अर्जन का प्रत्यक्ष परिणाम यह है कि इसका वहां पर इस दृष्टि से स्वागत नहीं किया जा रहा है कि उससे पाकिस्तान की किसी शक्तिशाली आक्रान्ता के विरुद्ध प्रतिरक्षात्मक सामर्थ्य बढ़ जायेगी वरन् इसका इसलिये स्वागत किया जा रहा है कि अब उन्हें भारत के साथ अपने झगड़ों को ताकत से सुलझाने की आशा है।

हम भारतवासी पाकिस्तान का भला चाहते हैं। उसने हाल ही में अपने को गणराज्य घोषित किया है। और उसके इतिहास में एक नये अध्याय के आरम्भ होने पर हम अपनी शुभकामनायें उसे प्रकट करते हैं। हम अपने एक मंत्री को एक विशेष प्रतिनिधि के रूप में कराची भेज रहे हैं। वह स्वयं वहां जाकर हमारी ओर से बधाई देंगे। हमारा इरादा यह नहीं है कि पाकिस्तान अथवा किसी अन्य देश से, प्रतियोगिता के लिये सामर्थ्यवान होते हुए भी, शस्त्रास्त्रों की होड़ शुरू की जाय। हमारी शक्तियां और साधन पूर्ण रूप से हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में लगे हुए हैं और आने वाले बहुत से वर्षों में भी उन में लगे रहेंगे। हम में से कोई भी यह नहीं चाहेगा कि अपने सीमित साधनों के किसी भी भाग को शस्त्रास्त्रों पर अग्रेतर व्यय के लिये लगाया जाय। फिर भी भारत के भविष्य के लिये जो उत्तरदायी हैं उन्हें कुछ तथ्यों की ओर तो ध्यान देना ही होगा। मैं इस बात पर केवल खेद और निराशा ही प्रकट कर सकता हूँ कि ऐसे समय जब कि हम एशियावासियों की शक्ति विकास कार्यों पर लगनी चाहिये इस सैनिक सहायता से तनातनी और अस्थिरता बढ़ाने के लिये एक नई बात शुरू की गई है। मैंने इस सम्बन्ध में श्री डलेस के सामने भी अपने विचार स्पष्ट कर दिये हैं और मुझे आशा है कि अब वह हमारी भावनाओं को भली प्रकार समझ सकेंगे।

हाल की घटनायें सैनिक संधियों पर पुनः ध्यान केन्द्रित करती हैं। ये संधियां कम होने के बजाय बढ़ती सी प्रतीत हो रही हैं। पिछले वायदों, आश्वासनों और घोषणाओं के बावजूद ये संधियां ज़ोर पकड़ती और फैलती सी प्रतीत होती हैं। सभी संधियों का यही इतिहास है और विशेषकर

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

दक्षिण-पूर्वी एशिया प्रतिरक्षा संधि और बगदाद करार के सम्बन्ध में यह बात अधिक लागू होती है। पहली संधि का जन्म उस समय हुआ जब युद्धकाल के एक लम्बे काल के बाद दक्षिण-पूर्वी एशिया में शान्ति थी। तनाव कम हुआ और लोगों ने सामान्य परिस्थितियों की आशा की। निकट भविष्य में युद्ध की कोई संम्भावना नहीं थी, फिर भी राहत व आशा के उदय के ऐसे समय में यह संधि हुई और तुरन्त ही परिणाम यह हुआ कि तनाव बढ़ गया। अभी हाल में हुई बगदाद संधि ने पश्चिमी एशिया में फूट, असुरक्षा व असन्तोष पैदा किया है। इस प्रकार जिन उद्देश्यों के लिये ये संधियां हुईं वे ही समाप्त हो रहे हैं। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि इन दोनों संधियों से और इसी प्रकार की सैनिक संधियों और गठजोड़ों से प्रदेशों की भीतरी प्रतिरक्षात्मक शक्ति नहीं बढ़ती है जिसके लिये कि वे की जाती हैं।

किसी भी गुट द्वारा सैनिक संधियों के होते हुए निशस्त्रीकरण सम्बन्धी बातचीत और युद्ध के लिए अग्रेतर तैयारियां असंगत हैं और स्वीकृत प्रयोजनों की खिल्ली उड़ाना है। यदि नीतियों में परिवर्तन करने से सामान्य भलाई होती हो और ऐसा करना शान्ति के हितों में हो तो चाहे बड़े राष्ट्र उनमें लिप्त क्यों न हों, नीतियों में परिवर्तन के लिये सदैव समय है। जहां पर अब तनातनी है वहां सैनिक संधियों और दो शक्तियों के मुकाबले से खिचाव कम नहीं हो सकता और शान्ति और स्थिरता पुनः स्थापित नहीं की जा सकती है। हमारा यह विश्वास है और प्रत्येक नए अनुभव के साथ हमारे इस विश्वास में अग्रेतर दृढ़ता आती जाती है कि पंचशील के नाम से प्रख्यात पांच सिद्धान्तों पर चल कर और उन पर कायम रह कर ही अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और स्थिरता के एक नए युग का उदय हो सकता है।

अणुशक्ति ने और इसके फलस्वरूप तैयार होने वाले खतरनाक शस्त्रों ने न केवल सैनिक मामलों में बल्कि अन्य मामलों में भी पहले विचारों को बेकार बना दिया है। इसलिये विचार-शील लोगों ने और राष्ट्रों के नेताओं ने युद्ध का विरोध किया है। इस नई स्थिति में शीत युद्ध के विचार से चिपके रहने में कोई तुक नहीं है। हमने बार-बार कहा है कि परमाणविक व उद्जन बमों पर प्रतिबन्ध लगना चाहिये और अणुशक्ति का प्रयोग केवल मानवता के हित के लिये होना चाहिये। इसका नियंत्रण बड़े राष्ट्रों के हाथों में न हो। यदि युद्ध का विरोध किया जाता है तब शीतयुद्ध अतर्कसंगत और हानि-कारक बन जाता है, यह केवल घृणा और भय और सदैव रहने वाले खतरे को एक परमाणविक युद्ध में परिवर्तन करने का वातावरण ही बनाए रख सकता है।

मैंने गोआ के सम्बन्ध में भी श्री डलेस से बातचीत की थी। जैसा कि लोक-सभा को विदित है, कुछ सप्ताह पूर्व श्री डलेस व पुर्तगाली विदेश मंत्री श्री कुन्हा ने गोआ पर एक संयुक्त वक्तव्य दिया था जिससे सारे भारत में नाराजगी की एक गहरी भावना फैल गई थी। हमने तुरन्त ही इस मामले को अमेरिका सरकार के सामने रखा और उन्हें समझाया कि गोआ की वर्तमान स्थिति के प्रसंग में अमेरिका के विदेश मंत्री का ऐसा वक्तव्य देना कहां तक उचित था। इससे तो पुर्तगाल को निकृष्ट कोटि के उपनिवेशवाद की नीति पर चलने के लिये प्रोत्साहन मिलता है। मैंने उस समय लोक-सभा को बताया था कि मैं इस विषय पर अमेरिका सरकार से हुआ पत्रव्यवहार सभा-पटल पर रखूंगा। आज मैं वह पत्र व्यवहार लोक-सभा पटल पर रख रहा हूँ और माननीय सदस्यों को हमारे पत्र व अमेरिका के उत्तर देखने का अवसर मिलेगा। [**देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २६**]

मेरे साथ वार्ता के दौरान में श्री डलेस ने मुझे विश्वास दिलाया था कि संयुक्त वक्तव्य निकालने का अर्थ अमेरिका द्वारा भारत के विरुद्ध पुर्तगाल का समर्थन करना नहीं था। हम भी वास्तव में इस आश्वासन पर संदेह नहीं करते हैं लेकिन फिर भी स्थिति ऐसी है कि संयुक्त विज्ञप्ति का अर्थ, विशेष रूप से पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा यह लगाया जा रहा है कि अमेरिका पुर्तगालियों के दावों का समर्थन करता है। हमने अमेरिका के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। और मैं पुनः यहां कहूँगा कि किसी भी हालत में हम भारतीय भूमि पर पुर्तगाली उपनिवेशवाद के अन्तिम चिन्हों को सहन नहीं करेंगे। हमने धैर्य से काम लिया है और लेते रहेंगे। (**श्री वी० जी० देशपांडे** : क्यों ?)

परन्तु इस मामले पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। मुझे अब भी आशा है कि मित्र देश पुर्तगाल को यह समझायेंगे कि १६वीं शताब्दी के उपनिवेशवाद की नीति को २०वीं शताब्दी आधी बीत जाने पर भी जारी रखना बुद्धिमत्ता नहीं है।

पश्चिमी एशिया में स्थिति के सम्बन्ध में मैंने तीनों मंत्रियों से विस्तृत रूप से बातचीत की थी। सभी इस बात पर सहमत हैं कि यह स्थिति बहुत ही नाजुक है। मैं इस कठिन समस्या के तुरन्त समाधान के लिये कोई मंत्रणा नहीं देना चाहता। इसके साथ ही मुझे इस बात में भी कोई सन्देह नहीं है कि खिंचाव में शनैः शनैः ढील होने से ही समाधान निकल सकता है। यहां पर भी पश्चिमी एशिया में जो वर्तमान झगड़ों के कीटाणु फूट निकले हैं उनके लिये कुछ सीमा तक बगदाद संधि उत्तरदायी है। इसने अरब एकता को तितर-बितर कर दिया है और इस प्रकार जो समस्या पहले से जटिल थी उसे और भी जटिल बना दिया है।

मैंने इन्डोचीन की स्थिति पर तीनों विदेश मंत्रियों से और ब्रिटेन के विदेश मंत्री से जो जेनेवा सम्मेलन के सह सभापति हैं, विशेषरूप से चर्चा की थी, जेनेवा राष्ट्रों के निमन्त्रण पर जब हमने इन्डोचीन में तीन अन्तर्राष्ट्रीय आयोगों का सभापतित्व स्वीकार किया था, तो हमने ऐसा इस आशा से किया था कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के इस झगड़े वाले प्रदेश में जो कि हमारे इतने निकट है और जिससे हमारे कितने ही प्राचीन व एतिहासिक सम्बन्ध हैं, स्थायी रूप से अन्त में शान्ति स्थापित हो सकेगी। अब ऐसा मालूम देता है कि जेनेवा की अन्तिम घोषणा में वियतनाम के दो भागों के एकीकरण के लिये प्रारम्भिक कार्यवाही के रूप में चुनावों के सम्बन्ध में जो समय अनुसूचित किया गया था वह अब पूरा होता दिखाई नहीं देता है। इसलिये जहां तक इस स्थिति का हम से सम्बन्ध है हम उस का पुनर्विलोकन करने के लिये विवश हैं। हम अपने उत्तरदायित्व से भागना नहीं चाहते या ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते जो किसी शान्तिमय समझौते में बाधक बन जाये। इसलिये हमने दो सह-सभापतियों को यह सुझाव दिया है कि वे स्थिति का पुनर्विलोकन करें और जेनेवा करार के पालन के लिये क्या कार्यवाहियां की जानी चाहियें इसका निर्णय करें, मुझे आशा है कि दोनों सह-सभापति मिलकर वर्तमान स्थिति पर विचार करेंगे।

तीनों विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत में पूर्वी एशिया की वर्तमान स्थिति, विशेषतया क्विमोय व मात्सू तथा ताइवान की स्थिति पर भी विचार किया गया। मैंने उन्हें फिर एक बार बताया कि हमारे दृष्टिकोण से पूर्वी एशिया में झगड़े का मूल कारण एक स्पष्ट तथ्य की अवहेलना करना है। वह तथ्य है नए चीन का उदय, एकीकृत चीन जैसा कि वह अपने इतिहास में पहले कभी नहीं था, शक्तिशाली और अपने अधिकारों और गौरव से चेतन, मेरे विचार में जब तक चीन लोक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र में स्थान नहीं दिया जाता तब तक पूर्वी एशिया की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। विशेष रूप से मैंने यह विचार व्यक्त किया था कि जब तक क्विमोय व मात्सू आक्रमणकारी सेनाओं के हाथों में रहते हैं तब तक चीन अपने को कभी सुरक्षित नहीं समझेगा। इसलिये प्रथम आवश्यक कार्यवाही इन द्वीपों से उन सेनाओं को हटाना होगा जिससे वे मुख्य भूमि के भाग बन जायें। ताइवान का मामला तब भी रह जायेगा परन्तु मेरा विश्वास है कि यदि तटीय द्वीप चीन को लौटा दिये जायें तो ताइवान की समस्या कुछ आसानी से हल की जा सकेगी।

जेनेवा में अमेरिका और चीन के राजदूतों के बीच बातचीत किस प्रकार चल रही है इस प्रसंग में हम उस बातचीत को बड़ी दिलचस्पी से देखते-भालते रहे हैं। दोनों पक्षों ने मोटे तौर पर यह स्वीकार कर लिया है कि उन्हें अपने झगड़ों को शान्तिमय वार्तालाप के द्वारा निबटाना चाहिये। अब मुख्य कठिनाई इस सिद्धान्त को ताइवान के विशिष्ट मामले पर लागू करने के सम्बन्ध में है। हमें आशा है कि इस सम्बन्ध में भी एक सन्तोषजनक सूत्र ढूंढ लिया जायेगा और फिर अन्य अवशिष्ट विषयों पर बातचीत के लिये भी रास्ता तैयार हो सकेगा जिनमें दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच एक बैठक का होना भी है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

उत्तरी अफ्रीका के सम्बन्ध में श्री पिने से जो मेरी बातचीत हुई थी उसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा। हम भारत में फ्रांस की उन कार्यवाहियों की प्रशंसा व स्वागत करते हैं जिनके अनुसार उसने मोरक्को व ट्यूनिसिया को सम्पूर्ण प्रभुता देने का निर्णय किया है। अल्जीरिया की जटिल समस्या शेष रहती है। मुझे यह देख कर प्रसन्नता हुई कि श्री पिने स्थिति को यथार्थिक दृष्टि से देखते हैं। वहां की समस्या लगभग साढ़े बारह लाख यूरोपियनों के वहां रहने से और भी जटिल बन गई है जो कि वहां कुछ पीढ़ियों से बस गए हैं। मेरे विचार में सदन नहीं चाहेगा कि मैं इस बातचीत के और आगे विस्तार में जाऊँ। मुझे आशा है कि अल्जीरिया की समस्या भी फ्रांसीसी व अल्जीरियन जनता की पारस्परिक इच्छा के अनुसार सुलझ जायेगी।

श्री पिने के दिल्ली पहुँचने से कुछ ही पहले, फ्रांस सरकार से, भारत में भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों के वैधानिक हस्तान्तरण के सम्बन्ध में सन्धि का प्रारूप हमें प्राप्त हुआ था। इस प्रारूप पर करार के सम्बन्ध में हमें कोई कठिनाई दिखाई नहीं देती और मुझे आशा है कि वैधानिक हस्तान्तरण का कार्य शीघ्र पूरा हो जायेगा।

यदि उद्देश्य शान्ति स्थापित करना है तो उस के लिये निःशस्त्रीकरण अनिवार्य है। प्रत्येक कठिन प्रश्न की भांति सम्भवतः कदम-कदम करके आगे बढ़ना सुगम होता है। संयुक्त राष्ट्र के निःशस्त्रीकरण आयोग की एक उपसमिति की बैठक लन्दन में हो रही है और इस विषय पर काफ़ी हद तक करार भी हो गया है। परन्तु दुर्भाग्यवश विश्व में अभी भी तनाव बढ़ रहा है और इससे निःशस्त्रीकरण के पक्ष में अनुकूल वातावरण नहीं बन पाता और तब भी घातक एवं संहारक शस्त्रास्त्रों का निर्माण एवं संग्रह जिस तेज़ी से बढ़ रहा है उसे देखते हुए यह अनिवार्य प्रतीत होता है कि निःशस्त्रीकरण किया जाय। हमारी मांग है कि उद्जन बम एवं अणुबमों के उत्पादन, प्रयोग और परीक्षणों पर बिना शर्त प्रतिबन्ध लगा दिया जाये और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये परीक्षात्मक विस्फोट स्थगित किये जायें और शस्त्रीकरण विराम संधियां की जायें।

मैं इस अवसर पर हाल के ही सप्ताहों में हुई एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना की ओर लोक-सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मास्को में हाल में सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी का बीसवां अधिवेशन हुआ था। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि इस अधिवेशन ने एक नई लीक और एक नई नीति अपनाई है। यह नई नीति राजनैतिक विचारों से और व्यावहारिक नीति से, दोनों दृष्टिकोणों से, संसार की वर्तमान स्थिति की अधिकाधिक वास्तविक सराहना पर आधारित प्रतीत होती है और अनुकूलन तथा समायोजन की एक सार्थक प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है। अपने सिद्धान्तों के अनुसार हम अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, जैसे कि हम अपने घरेलू मामलों में दूसरों का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप पसन्द नहीं करते हैं। परन्तु किसी भी देश में कोई भी महत्वपूर्ण घटना, जो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति पर चलने के लिये अनुकूल वातावरण स्थापित करने की दिशा में एक पग मालूम दे, वह हमारे लिये और दूसरों के लिये भी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि हम सोवियत संघ के बीसवें अधिवेशन के निर्णयों के सम्बन्ध में यह महसूस करते हैं कि इन के दूरगामी प्रभाव होने की आशा है, मुझे आशा है कि इस परिवर्तन से संसार के तनाव में अग्रेतर कमी होगी।

पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने कल अपनी संसद् में जो भाषण दिया था उसकी मैं संक्षेप में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। इस भाषण पर विचार व्यक्त करने से पूर्व मैं उसकी संपूर्ण और अधिक अधिकृत रिपोर्ट प्राप्त होने की सामान्यतया प्रतीक्षा करूँगा परन्तु क्योंकि मैं आज अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ इसलिये मैं समझता हूँ कि मुझे इस सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहिये।

मैंने इस भाषण की संक्षिप्त रिपोर्ट खेद और आश्चर्य के साथ पढ़ी है। चौधरी मुहम्मद अली क्रोध में बोले हैं और कुछ वक्तव्य ऐसे दिये हैं जो स्पष्ट रूप से गलत हैं। उन्होंने कहा है कि भारत

पाकिस्तान के विरुद्ध भय एवं घृणा का प्रचार कर रहा है और उसने पाकिस्तान के विरुद्ध घृणा का वातावरण तैयार कर लिया है। इस सम्बन्ध में भारतीय और पाकिस्तानी प्रैस की तुलना आसानी से की जा सकती है और भारत तथा पाकिस्तान के उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा दिये गए वक्तव्यों को सुगमता से मिलाया जा सकता है।

पाकिस्तान में भारत पर काफ़ी समय से विषमय आक्षेप किये जा रहे हैं और जिहाद के लिये बारम्बार अपील की जाती है। क्या भारत में किसी उत्तरदायी व्यक्ति या समाचारपत्र ने युद्ध की कभी कोई बात की है या घृणा जैसी कोई बात कही है? अभी तक भारत में पूर्वी पाकिस्तान से विशाल संख्या में प्रव्रजक चले आ रहे हैं और उनका आना बन्द नहीं हुआ है। यह हम पर एक भारी बोझ है और गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः हमने उनका ध्यान इसकी ओर और उन कारणों की ओर जो लोगों को अपने मकान और रहने-सहने की जगहों और भूमियों को छोड़ने और एक अन्य देश में पनाह लेने पर मजबूर करते हैं, आकृष्ट किया है।

श्री मुहम्मद अली ने हाल की सीमा घटनाओं की चर्चा की है और कहा है कि वे भारत द्वारा की गई थीं और इनमें से प्रत्येक घटना में भारतीय पक्ष की ओर से आक्रमण किया गया था। इस प्रकार के झूठे वक्तव्य का प्रतिवाद करने में मुझे जरा भी कठिनाई नहीं होगी।

जितना हमें मालूम है मैं इन घटनाओं की लम्बी सूचियां दे सकता हूँ। और उनके पीछे जो तथ्य हैं वे दे सकता हूँ और कोई भी निष्पक्ष प्राधिकारी उनकी जांच करके निर्णय कर सकता है। मैं यहां केवल एक ही सुविदित घटना की चर्चा करूँगा क्योंकि उस मामले में एक निष्पक्ष प्राधिकारी ने जांच की थी और देखभाल कर अपना निर्णय दिया था। वह जम्मू सीमा पर हुई नेकोवाल घटना है। संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों ने इसकी जांच पड़ताल की थी और स्पष्टरूप से यह बताया था कि दोष किसका है। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधान मंत्री ने हमें सर्व सामान्य रीति से आश्वासन दिया था कि वह संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों के निर्णय का पालन करेंगे और जो दोषी हैं उन्हें सज़ा देंगे। हम उस आश्वासन के पूरे होने की अभी तक राह देख रहे हैं। हमने कई बार लिखा परन्तु उसका कुछ भी फल नहीं निकला।

श्री मुहम्मद अली ने कहा है कि उन्होंने मुझे पत्र लिखा था और कुछ सुझाव दिये थे और उन्हें मेरी ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। यह ठीक है। परन्तु उनका संदेश मुझे परसों रात मिला था। उस पर विचार करने के लिये हमें केवल एक ही दिन मिला है। उसका शीघ्र उत्तर भेजने की हमें आशा है। अपने संदेश में श्री मुहम्मद अली ने भारत पाकिस्तान सीमांकन के लिये ११ और १२ मार्च, १९५५ को संयुक्त संचालन समिति की बैठक में किए गए एक निर्णय की चर्चा की है और इस निर्णय को कार्य रूप में परिणत करने में विलम्ब का आरोप स्पष्टरूप से भारत पर लगाया है, मई, १९५५ में हमारे गृह-कार्य मंत्री ने पाकिस्तान के गृह-कार्य मंत्री के साथ एक बैठक में इस निर्णय पर अग्रेतर विचार किया था उनमें एक करार हुआ था जिसे पंत-मिर्ज़ा करार कहा जाता है। पाकिस्तान सरकार ने दिसम्बर, १९५५ के अन्त तक इस करार के अनुसमर्थन के लिये कोई कार्यवाही नहीं की और इस करार में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया जो व्यवहारिक रूप में करार में काफी फेरबदल करते थे। तथापि भारत-पाकिस्तान सीमांकन के लिये मैं प्रधान मंत्री के प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ और हम इस पर तुरन्त ही कार्य करने के लिये तैयार हैं।

श्री मुहम्मद अली ने अपने भाषण में सुझाव दिया है कि भारत और पाकिस्तान को यह घोषणा करनी चाहिये कि वे एक दूसरे से कभी युद्ध नहीं करेंगे। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि हम गत कई वर्षों से भारत और पाकिस्तान द्वारा युद्ध न करने की घोषणा करने का सुझाव देते रहे हैं। तथापि हमारे प्रस्ताव को पाकिस्तान सरकार ने स्वीकार नहीं किया था। मुझे प्रसन्नता है कि श्री मुहम्मद अली अब इस प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहे हैं और हम खुशी से इस विषय पर अग्रेतर कार्यवाही करेंगे।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष से बढ़कर और कोई मूर्खता नहीं हो सकती है । हमने दोनों देशों में मित्रता की भावनाएं पैदा करने की कोशिश की है और मुझे विश्वास है कि बहुत सी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बावजूद आज भी भारतीय जनता और पाकिस्तान की जनता के बीच अत्यधिक मित्रता है। सैनिक कार्यवाहियों से या युद्ध की धमकियों से या तथा कथित ताकत से झगड़े सुलझाने की धमकी से हम कभी भी एक दूसरे के निकट नहीं आयेंगे। इस अणुबम के संसार में भारत और पाकिस्तान दोनों शक्तिहीन हैं। परन्तु हम अन्य क्षेत्रों में, मित्रता में, सहयोग में और अपनी जनता का स्तर ऊंचा उठाने में, शक्ति का विकास कर सकते हैं। मैं अत्यन्त सद्भावना से और गम्भीरता से पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को पंचशील का सिद्धान्त प्रस्तुत करता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि हम इन पांच सिद्धान्तों के आधार पर एक दूसरे से व्यवहार करें तो भय और संदेह का भूत भाग जायेगा ।

स्थगन-प्रस्ताव

हुसैनिवाला हैडवर्क्स पर भारतीय सैनिक टुकड़ियों में मुठभेड़

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय प्रधान मंत्री के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए मैं स्थगन-प्रस्ताव पर जिस की मैंने अभी चर्चा की थी––अपनी सम्मति नहीं देता ।

जीवन बीमा निगम विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा जीवन बीमा निगम विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा प्रारम्भ करेगी । श्री एच० जी० वैष्णव अपना भाषण जारी रखेंगे। परन्तु, इससे पहले कि श्री एच० जी० वैष्णव अपना भाषण प्रारम्भ करें, माननीय प्रधान मंत्री हुसनिवाला की सीमा-घटनाओं सम्बन्धी ब्योरा सभा-पटल पर रख दें ।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र

हुसैनिवाला की सीमा-घटनाओं के बारे में संक्षिप्त तथ्य कथन

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : चूंकि सभा हुसैनिवाला की हाल की सीमा-घटनाओं के सम्बन्ध में ठीक-ठीक बातें जानना चाहती है, मैं सभा-पटल पर इन घटनाओं से सम्बन्धित तथ्यों का संक्षिप्त विवरण रखता हूँ। मैं इसे पढ़ कर सभा का समय नहीं लेना चाहता। **[देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २७]**

†**अध्यक्ष महोदय** : इसे परिचालित कर दिया जायेगा और सब सदस्यों को एक-एक प्रति भेज दी जायेगी ।

जीवन बीमा निगम विधेयक

†**श्री एच० जी० वैष्णव** (अम्बड़) : मैं कल खंड १० के सम्बन्ध में यह बता रहा था कि उप खंड (१) के सम्बन्ध में जो आश्वासन दिये जा रहे हैं वे उपखंड (२) से बेकार हो जाते हैं। यही कारण है कि सर्वत्र कर्मचारियों के मन में आशंका उत्पन्न हो गई है। इसके अतिरिक्त ये उपबन्ध केवल उन कर्मचारियों पर लागू होंगे जो बीमा कम्पनियों के पूर्णकालिक कर्मचारी हैं। परन्तु सच यह है

†मूल अंग्रेजी में

कि बीमा कम्पनियों में इन पूर्णकालिक कर्मचारियों के अलावा एजेंट, सब एजेंट जैसे अन्य लोग भी होते हैं जो कम्पनी के पूर्णकालिक कर्मचारी न होकर कमीशन पर काम करते हैं। विधेयक में इन लोगों के लिये कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। प्रवर समिति को इस पहलू की ओर ध्यान देना चाहिये ।

अब मैं खंड ४ पर आता हूँ जो निगम की रचना के सम्बन्ध में है। बहुत से माननीय मित्रों ने यह कहा है कि खंड ४ में केवल एक निगम की रचना का उपबन्ध है जिसके १५ सदस्य होंगे। यदि इस बात का भी उल्लेख कर दिया जाता कि ये सदस्य किस आधार पर चुने जायेंगे तो अधिक अच्छा होता। यह आवश्यक है कि बीमाधारियों तथा कर्मचारियों दोनों ही के प्रतिनिधि इस निगम में हों। प्रवर समिति को इस बात पर भी विचार करना चाहिये।

खंड ३४ में यह उपबन्ध है कि यदि कार्यपालिका अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे दे कि बीमा अधिनियम के या अन्य संविहित विधियों के सब या कुछ उपबन्ध निगम पर लागू होंगे तो वे उपबन्ध निगम पर लागू होंगे, अन्यथा नहीं। मेरे विचार में यह उपबन्ध संविधान के विरुद्ध है। प्रवर समिति को इस पर विचार करना चाहिये।

अब मैं उन खंडों पर आता हूँ जिनके द्वारा निगम के सम्बन्ध में नियम बनाने की शक्तियां दी गई हैं। वे खंड हैं ९ (२), ३८ (१) और ३९ (१)। विधेयक में यह उपबन्ध तो है कि खंड ३८ (१) के अन्तर्गत बनाये गये सब नियम संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जायेंगे, परन्तु यह नहीं कहा गया है कि अन्य दो खंडों के अन्तर्गत बनाये गये नियम भी संसद् के समक्ष रखे जायेंगे। यह बात ठीक नहीं है। सभी नियम जो नियम द्वारा बनाये जायें वे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने चाहियें। मुझे आशा है कि प्रवर समिति इस बात पर भी विचार करेगी।

जीवन बीमा के सम्बन्ध में सारे भारत में एक ही निगम रहेगा। मैं समझता हूं कि यह एकाधिकार है और इस एकाधिकार का, किसी सीमा तक, देश के बीमा व्यवसाय पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। बिना स्पर्धा के कारबार में सुधार होने की कम ही सम्भावना रहती है। मेरी राय में गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये भी कुछ गुंजाइश छोड़ी जानी चाहिये ताकि कारबार में वृद्धि हो सके। परन्तु विधेयक में इसके लिये कोई उपबन्ध नहीं किया गया है।

क्षेत्रीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। विभिन्न क्षेत्रों के लिये मैनेजर नियुक्त किये गये हैं। परन्तु बीमा व्यवसाय भविष्य में देहाती क्षेत्रों में बहुत फैलेगा। अब तक तो देहाती क्षेत्रों में व्यवसाय कम्पनियों के क्षेत्र कार्यकर्ताओं (फील्ड वर्कर्स) द्वारा चलाया जा रहा था। परन्तु अब निगम उनकी सेवायें कैसे प्राप्त कर सकेगा। इसलिये कोई ऐसा उपबन्ध किया जाना होगा कि एजेंट नियुक्त किये जायें जो पूर्णकालिक न हों और कमीशन पर कार्य करें।

मुख्य उद्देश्य यह है कि लघु बचतों को महत्व दिया जाये। यह उद्देश्य केवल तभी पूरा हो सकेगा जब कोई ऐसा उपबन्ध किया जाये।

इन सब बातों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि प्रवर समिति इन बातों पर विचार करेगी और आशा करता हूं कि उचित संशोधन करके एक उपयुक्त विधान प्रस्तुत किया जायेगा।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** (हुगली) : १९ जनवरी को माननीय वित्त मंत्री ने रेडियो पर जो भाषण दिया, उसके बाद बीमा व्यवसाय के कुछ उत्तरदायी व्यक्तियों ने बहुत स्पष्ट वक्तव्य दिये हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बहुत बड़ी बीमा कम्पनी के प्रधान ने बम्बई में एक भाषण में कहा कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि बीमा व्यवसाय में कुछ कमजोरियां हैं। मैं चाहता हूँ कि व्यवसाय के बड़े-बड़े निष्पक्ष लोगों की बातों पर ध्यान दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एन० सी० चटर्जी]

इनके साथ-साथ श्री देशमुख के विरुद्ध की गई इस आलोचना में भी कुछ सार है कि वह केवल कुछ व्यक्तियों या कुछ कम्पनियों के कदाचारों के आधार पर सारे व्यवसाय पर ही दोषारोपण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। संसद् के लिये यह उचित नहीं होगा कि वह उन सब अच्छी बातों को भूल जाये जो भारत के बीमा व्यवसाय ने की हैं। मैं इस तथ्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता कि भारत में बीमा व्यसवाय ने अत्यन्त सन्तोषजनक प्रगति की है। १९३८ में ४३ करोड़ रुपये से कुछ अधिक मूल्य का नया कारबार हुआ था जो १९५४ में बढ़ कर २१३ करोड़ रुपये का हो गया। आशा है कि १९५५ में यह और भी अधिक बढ़ा होगा। जहां तक जीवन बीमा के कुल कारबार का सम्बन्ध है, यह १९३८ में २१८ करोड़ रुपये का था और १९५५ के अन्त में इसके ११५० करोड़ रुपये का हो जाने की सम्भावना है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि व्यवसाय ने कितनी तरक्की की है।

मुझे यह भी पता चला है कि जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण की घोषणा के बाद नये कारबार की प्रगति मंद पड़ गई है। फिर भी मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस बात में कहाँ तक सत्यता है।

अब मैं निगम की स्थापना के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। सारे देश के लिये एक निगम की स्थापना का कार्य-कुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उस दशा में कोई स्पर्धा नहीं होगी। जानकार लोगों की राय है कि कई निगम स्थापित किये जाने चाहियें और प्रत्येक को पर्याप्त स्वायत्तता दी जानी चाहिये ताकि वे स्पर्धा के द्वारा कारबार का विस्तार कर सकें।

विधेयक में यह उपबन्ध तो है कि निगम के चार क्षेत्रीय कार्यालय होंगे—बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में, परन्तु यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि निगम का केन्द्रीय कार्यालय कहां होगा।

निगम का जो प्रबन्ध-ढांचा होगा वह भारत सरकार द्वारा स्थापित अन्य निगमों के प्रबन्धों ढांचों से मिलता-जुलता है। परन्तु विधेयक में यह उपबन्ध नहीं है कि निगम के प्रबन्धकों में ऐसे लोग सम्मिलित किये जायेंगे जिन्हें इस कारबार के संचालन का पर्याप्त अनुभव हो।

जहां तक क्षेत्रीय कार्यालयों का सम्बन्ध है, इस बात में संदेह है कि केवल चार क्षेत्रीय कार्यालयों से काम चल सकेगा। यदि आप बीमा व्यवसाय का विस्तार गांवों तक करना चाहते हैं तो अधिक क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने चाहियें।

खंड १८ में सरकार द्वारा कुछ निदेश दिये जाने का उपबन्ध है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार को निदेश देने की शक्ति केवल कुछ विशेष मामलों में ही मिलनी चाहिये। यदि यह खंड वर्तमान रूप में कायम रखा गया तो प्रस्थापित निगम नौकरशाही का एक अंग मात्र बन जायेगा।

खंड ६ (३) में यह कहा गया है कि निगम अपने कृत्यों के निर्वहन में, जहां तक सम्भव हो, व्यापार के सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबन्ध तो कर दिया गया है; परन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि इस पर अमल भी किया जायेगा या नहीं। प्रायः यह देखा गया है कि मंत्रालय निगमों के दिन प्रति दिन के कार्य में भी अनुचित रूप में हस्तक्षेप करता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि स्वयं विधेयक में यह उपबन्ध कर दिया जाये कि निगम को अपेक्षित स्वायत्तता प्राप्त होगी। यदि ऐसा उपबन्ध नहीं किया गया तो यह वाणिज्यिक आधार पर कार्य न कर सकेगा।

अब मैं कर्मचारियों के विषय में कुछ निवेदन करूँगा। खंद १० (१) में यह उपबन्ध है कि वर्तमान बीमा कम्पनियों का प्रत्येक पूर्णकालिक कर्मचारी निगम का कर्मचारी रहा आयेगा। परन्तु खंड १० (२) में यह कहा गया है कि सरकार कुछ अवस्थाओं में इन कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन कर सकेगी। यह चीज़ ठीक नहीं है।

राष्ट्रीयकरण के पक्ष में मुख्य तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि पहले व्यवसाय में संलग्न एजेंटों के कारण बीमाधारियों को नुक्सान पहुँचता था। कहा गया है कि अब इनकी संख्या में कमी की जायेगी ताकि बीमाधारियों को फायदा पहुँचाया जा सके। इसका तात्पर्य यह जान पड़ता है कि सरकार छंटनी कर सकेगी, यदि ऐसा किया गया तो, इसका सारे व्यवसाय पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिये हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि अनुभवी एजेंट आदि बेरोजगार न होने पायें।

मुझे पता चला है कि कुछ लोगों को नौकरी से अलग किये जाने के नोटिस मिल गये हैं। नोटिस का आधार यह बताया जाता है कि अन्तरिम काल में वे कारबार का निश्चित अभ्यंश पूरा नहीं कर पाये थे। यह उचित नहीं है क्योंकि राष्ट्रीयकरण की नीति की घोषणा से संभ्रान्ति फैल गई थी इसलिये कारबार मंद हो गया था।

मेरा खयाल है कि यदि माननीय मंत्री यह सुझाव स्वीकार कर लेते हैं कि राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ गैर-सरकारी क्षेत्र भी कायम रहें तो सम्भवतः देश का अधिक हित होता। जिन कम्पनियों ने विगत काल में अच्छा कार्य किया है, उन्हें कायम रहने दिया जाता। आखिर हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि हमारा निगम नौकरशाही का एक अंग न बनने पाये। कार्यकुशलता के लिये स्पर्धा आवश्यक है; अन्यथा इससे बीमाधारियों को कोई लाभ नहीं पहुँचेगा और करदाताओं पर भी इसका बोझ पड़ेगा।

कुछ शब्द मुझे प्रतिकर के विषय में भी कहने हैं। विधेयक की प्रथम अनुसूची में दी गई योजना में प्रतिकर निश्चित करने के सिद्धान्त दिये गये हैं। दो तरीके दिये गये हैं।

पहले तरीके के अनुसार प्रतिकर अंशधारियों को आवंटित अतिरेक-अंश की वार्षिक औसत का बीस गुना होगा। परन्तु व्याख्या में यह कहा गया है कि यह प्रतिकर पिछले दो जीवनांक-अनुसंधानों में अंशधारियों को आवंटित अतिरेक अंश के ५ प्रतिशत से अधिक और ३ प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये।

दूसरा तरीका यह है कि अंशधारियों को आवंटित अतिरेक -अंश को दस तक से गुणा कर दिया जाये और इसमें प्रदत्त पूंजी जोड़ कर पूंजीगत व्यय घटा दिया जाये।

ओरियन्टल कम्पनी के सम्बन्ध में हिसाब फैलाया गया है। पहला मूल्यांकन १९५१ में हुआ था और दूसरा १९५४ में। १९५१ के मूल्यांकन में अतिरेक ३५७·८९ लाख रुपये था और १९५४ के मूल्यांकन में ६२३·३२ लाख रुपये। अंशधारियों को आवंटित राशि १९५१ तथा १९५४ में क्रमशः १५·७५ लाख और २१·५७ लाख रुपये थी। पहले तरीके के अनुसार प्रतिकर की राशि १२४·४ लाख रुपये फैलती है और दूसरे तरीके के अनुसार ६८·२ लाख रुपये।

अतः मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री जो कुछ कर रहे हैं वह उचित नहीं है। मैं उन से तथा प्रवर समिति से यह प्रार्थना करूँगा कि वह इस बात पर विचार करें कि क्या प्रतिकर के सम्बन्ध में ५ प्रतिशत की उपरि सीमा निर्धारित करना उचित है; जहां तक मुझे स्मरण है, यह पहले तो १० प्रतिशत हुआ करती थी, परन्तु १९५० में इसे घटाकर ७॥ प्रतिशत कर दिया गया था। यह ७॥ प्रतिशत भी अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। अतः इस विधेयक का यह उपबन्ध कि बीमा समवायों को अतिरिक्त राशि के अंश का केवल ५ प्रतिशत दिया जाये, न तो बीमा अधिनियम के अनुसार है और न ही अन्य देशों की रीति के अनुरूप है। अतः ऐसा करना उचित नहीं है।

इसके अतिरिक्त इसे मूल्यांकन की तिथि के आधार पर भी निर्धारित करना उचित नहीं है। इसके दो कारण हैं। प्रथम तो यह कि १९४५ से ५१ तक का काल देश के विभाजन के कारण एक असामान्य सा काल था। दूसरा कारण यह है कि मुश्किल से दो वर्ष ही हुए हैं जब कि बीमा उद्योग युद्धोत्तर काल में कुछ संभल सका है। बीमा सम्बन्धी आंकड़े बताते हैं कि इस उद्योग में १९५४ में

[श्री एन० सी० चटर्जी]

५४ प्रतिशत उन्नति हुई है जब कि १९५३ में केवल ६ प्रतिशत हुई थी। अतः प्रतिकर के लिये बहुत पहले से, उदाहरणार्थ १९५१ के आंकड़ों के आधार पर हिसाब लगाना जीवन बीमा की वर्तमान क्षमता का अवमानन करना है।

इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि जीवन बीमा समवायों की आस्तियों का मूल्यांकन ३१ दिसम्बर, १९५५ के आधार पर किया जाये और फिर प्रतिकर की राशि को प्रथम अनुसूची के भाग क के अनुसार निर्धारित किया जाये परन्तु इस अपवादसहित कि अंशधारियों को आवंटित अतिरेक अंश को उक्त मूल्यांकन द्वारा मालूम किये गये अतिरेक के ७-१/२ प्रतिशत के तुल्य समझा जाये। मैं समझता हूँ कि यही एक सर्वोत्तम उपाय है।

मैं यह भी चाहता हूँ कि कोई ऐसा उपबन्ध भी बनाया जाये जिससे बीमे के वार्षिक प्रतिवेदन, खाते तथा संतुलन पत्र इस सभा के सामने प्रस्तुत किये जा सकें। प्रतिकर उचित हो तथा न्याय संगत हो।

आज बीमा व्यापार सर्वांगीण उन्नति कर रहा है। अतः वित्त मंत्री तथा प्रवर समिति से प्रार्थना है कि वह इन सभी बातों की ओर पूरा ध्यान दें ताकि यह उद्योग पूर्णरूपेण वाणिज्यिक आधार पर चल सके और उचित प्रकार से उन्नति कर सके।

†**श्री ए० के० गोपालन** (कन्नूर) : बीमे का राष्ट्रीयकरण एक उचित कदम है, अतः मैं इसका स्वागत करता हूँ। यह उद्योग अन्य उद्योगों से कुछ भिन्न-सा है। इसमें अंशधारियों को अथवा प्रबन्धकों को किसी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है। अतः इसका राष्ट्रीयकरण करना ही एक उचित कार्य है।

प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या गैर-सरकारी उद्योगों से देश का हित हो रहा है। मेरा उत्तर यही है कि नहीं, वे देश का हित नहीं कर रहे हैं। गैर-सकरारी उद्योगों में प्रबन्धक गण ही वित्त लगाते हैं, अतः अपने स्वार्थ को सम्मुख रख कर वे केवल उन्हीं उद्योगों में धन लगाते हैं जिन से उनकी अपनी स्वार्थ सिद्धि हो; वे राष्ट्रहित की कोई चिन्ता नहीं करते।

वैसे तो मैं सरकार के इस निर्णय का स्वागत करता हूँ कि वह गैर-सरकारी क्षेत्र में भी धन विनियोग के सिद्धान्त निर्धारित करेगी, परन्तु मैं समझता हूँ कि इस विधेयक में सरकार द्वारा प्रस्थापित किये गये कई सुझाव तो बेहूदा हैं। मैं प्रवर समिति का ध्यान इन चार बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात है सरकार का यह निर्णय कि गैर-सरकारी क्षेत्र में वर्तमान विनियोग सरकारी क्षेत्र के विनियोग के वर्तमान अनुपात में कायम रखा जायेगा; दूसरी बात है विनियोग का उत्तरदायित्व जीवन बीमा निगम पर छोड़ा जाना, तीसरी बात है बड़े ऊँचे दर पर प्रतिकर देने की योजना, और चौथी बात है सरकार का यह निर्णय कि जहां पर समवाय की आस्तियां उसके दायित्वों से कम हो जाये वहां पर पालिसी का मूल्य कम कर देना।

सरकार बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किस लिये कर रही है ? इसीलिये न कि इस धन को देश की विकास योजनाओं पर लगाया जा सके ? अब देखना यह है कि वे उद्योग क्या हैं जिनका विकास करके हम अधिक उन्नति कर सकते हैं। वे भारी उद्योग हैं। ये भारी उद्योग अधिकतर सरकारी क्षेत्र में हैं। उनमें से बहुत से उद्योगों के विकास कार्यक्रम में धनाभाव के कारण कमी करनी पड़ी है। फिर यह आश्वासन क्यों दिया जा रहा है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में विनियोग का वर्तमान अनुपात कायम रखा जायेगा ? मेरा सुझाव यह है कि गैर-सरकारी क्षेत्र को धन अंशपूंजी के रूप में दिया जाये।

हम सरकार को यह सुझाव देते रहे हैं कि वह एक विनियोग निधि बनाये। १९४६ में भी इस के बारे में एक सिफारिश की गई थी। हम चाहते हैं कि बीमा व्यवसाय का सारा धन केन्द्रीय सरकार अपने पास ले ले और फिर राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उस धन का उपयोग किया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

विनियोग का अधिकार किसी निगम को दिये जाने के पक्ष में नहीं है। यह एक प्रकार से अपने आपको धोखा देना होगा। इससे राष्ट्रीय हित को दृष्टि में रख कर धन का विनियोग न हो सकेगा। अतः उस निगम को धन विनियोग का कोई अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये, हाँ, दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिये तथा अन्य आकस्मिक कार्यों के लिये आवश्यक धन ही उन्हें दिया जाये।

हमें इस बात की आशंका है कि इस निगम में ऐसे व्यक्तियों को लगा दिया जायेगा जो कि पुराने ख्याल वाले हों और राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं हैं। यह मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति, बीमा के एक अधीक्षक को जिन्होंने पहले ही राष्ट्रीयकरण का घोर विरोध किया था परन्तु राष्ट्रीयकरण के शीघ्र ही बाद जो उसके पक्ष में हो गये अब न ही केवल भारत की सब से बड़ी बीमा कम्पनी ओरियन्टल का ही अपितु बम्बई की विदेशी कम्पिनियों का भी अभिरक्षक बना दिया गया है।

इसी प्रकार से एक और व्यक्ति भी जो कि राष्ट्रीयकरण होने से पूर्व अपने लेखों द्वारा राष्ट्रीयकरण का घोर विरोध कर रहा था, उसे आज बीमा व्यापार के विकास का सारा उत्तरदायित्व सौंप दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस प्रकार के व्यक्ति राष्ट्र की क्या सेवा करेंगे। अतः मेरा यह सुझाव है कि इन पदों पर नियुक्त किये जाने वाले लोगों के नामो पर संसद् का अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

प्रतिकर के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूँ कि इसकी दर बहुत ऊँची निर्धारित की गई है विधेयक में यह उपबन्धित किया गया है कि समवायों को, अंशधारियों को आवंटित वार्षिक औसत अतिरेक का बीस गुना या प्रदत्त पूंजी तथा वार्षिक औसत अतिरेक का दस गुना दिया जाये। यह दर बहुत ऊँची है। जैसा मैंने पहले भी कहा है बीमा व्यापार में अंश पूंजी का कोई अधिक महत्व नहीं है। योजना के अनुसार तो ओरियन्टल, लक्ष्मी आदि बड़े-बड़े बीमा समवायों को उनके औसत अतिरेक का बीस गुना प्रतिकर दिया जायेगा। इसका अर्थ यह है कि सरकार एक बहुत बड़ी राशि प्रतिकर के रूप में दे रही है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ।

इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण के समय सरकार ने यह कहा था कि यह एक विशेष मामला है इसीलिये अधिक प्रतिकर दिया गया है और ऐसा भविष्य में कदापि नहीं किया जायगा। परन्तु अब जब बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, तब फिर अधिक प्रतिकर दिया जा रहा है। मैं इस का विरोध करता हूँ।

वार्षिक औसत अतिरेक के सम्बन्ध में मेरा यह कथन है कि यह राशि बीमे की अधिक किस्तों तथा मृत्यु संख्या अनुपात के कम होने से उत्पन्न होती है यह दोनों बातें बीमाधारियों तथा समाज या राज्य पर निर्भर करती है। अतः इस लाभ के लिये राज्य या बीमाधारी जिम्मेदार हैं। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि इस लाभ का श्रेय बीमा कम्पनियों को कैसे दिया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त विदेशी बीमा समवायों के साथ जो पक्षपात पूर्ण व्यावहार किया जा रहा है मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अध्यादेश के प्रकाशित होने के उपरान्त विदेशी बीमा समवायों का एक प्रतिनिधि मंडल भारत में आया था जिसके परिणामस्वरूप उसकी इच्छानुसार विधेयक में कई उपबन्ध रखे गये। विधेयक के खंड २७ में इन समवायों को कुछ अस्तियां दी जाने की व्यवस्था की गई है। मैं समझता हूँ कि यह रकम प्रति हज़ार रुपये के बीमे पर चालीस रुपये के हिसाब से फैलाई जानी है जब कि इन समवायों द्वारा १००० रुपये के बीमे पर औसत वार्षिक उपबन्ध ३५ रु० बनता है। सब लोग यह जानते हैं कि बीमा समवाय अपना सारा व्यापार अपने प्रथम वर्ष की किस्तों से ही चलाते हैं इसलिये मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि उन्हें प्रतिकर देने की आवश्यकता ही क्या है। और फिर वे समवाय भारत से बाहर पंजीबद्ध हैं और उन का कोई भी अंश भारत में नहीं खरीदा गया है। इसलिये उन्हें प्रतिकर देने का कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है।

[श्री ए० के० गोपालन]

इसके अतिरिक्त खंड १४ (२) में उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि वे प्रतिकर के प्रश्न के सम्बन्ध में न्यायाधिकरण तक भी पहुँच सकता है जब कि, इसी सभा में हमने एक संशोधन पास किया है कि प्रतिकर के प्रश्न पर न्यायालय में कोई मामला नहीं चलाया जा सकता। अतः खंड १४ (२) संविधान के संशोधन के ही प्रतिकूल है। सरकार की प्रस्थापना यह है कि यदि किसी समवाय की सम्पत्ति उसके दायित्वों से कम है तो उसकी पालिसी का मूल्य कम कर दिया जाये, परन्तु मैं इस नीति को ठीक नहीं समझता यह तो एक प्रकार से बीमाधारियों को दण्ड देना है जब कि उनका अपना कोई अपराध नहीं।

सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि इस का भी राष्ट्रीयकरण किया जाय। इससे अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी और इससे इस प्रकार के समवायों को सहायता भी मिलेगी।

इसके अतिरिक्त हमारा यह सुझाव है कि जब भी इस बात की आशंका हो कि किसी समवाय में कुछ गबन हुआ है तो उसके गत तीन वर्षों के खातों का परीक्षण किया जाय और उस समवाय के विरुद्ध कठोर कार्यवाई की जाय। इसके अतिरिक्त हमारा यह भी सुझाव है कि बीमा समवायों के प्रबन्ध में अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संथा के प्रतिनिधियों को भी पूरा स्थान दिया जाय ताकि सारा कार्य सहयोग से चल सके।

इस उद्योग के भावी रूप के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि इसे चार क्षेत्रों (ज़ोन) में विभाजित किया जायगा परन्तु मेरा यह सुझाव है कि उद्योग में प्रतियोगिता की भावना को उत्पन्न करने के लिये इसे और अधिक क्षेत्रों में बांटा जाय।

हमें यह आश्वासन दिया गया है कि किसी भी कर्मचारी को काम से नहीं निकाला जायगा, परन्तु इस अध्यादेश को लागू होने के उपरान्त नागपुर में आन्ध्र बीमा कम्पनी तथा अन्य कई कम्पनियों के कर्मचारियों को नोटिस दिये गये हैं। मेरी प्रार्थना है कि उन्हें वापिस लिया जाय। वेतनक्रम के सम्बन्ध में कुछ एक समवायों और उनके कर्मचारियों के मध्य कई करार हो चुके हैं। परन्तु अभिरक्षक उन्हें स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं। मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकार के सभी समवायों को अभिस्वीकार किया जाय और कर्मचारियों को हर प्रकार की सुविधा प्रदान की जाय।

राष्ट्रीयकृत उद्योग में वर्तमान कर्मचारियों को ही अधिमान दिया जाय। यदि उनके अतिरिक्त नये कर्मचारी रखने हों तो ऐसे लोगों को अधिमान दिया जाय जो कि गत पांच वर्षों में छंटनी में आ चुके हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा अन्य प्रकार के अधिनियम इन कर्मचारियों पर लागू हों, अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संथा को अभिस्वीकार किया जाय और कर्मचारियों को कार्मिक संघ अधिनियम द्वारा प्राप्त सभी प्रकार की सुविधायें दी जाय।

मैं नौकरशाही प्रणाली के विरुद्ध आपको सचेत कर देना चाहता हूँ क्योंकि यही वास्तव में व्यापार के मार्ग में सब से बड़ी बाधा है। अतः हमें इस बुरी प्रणाली के विरुद्ध लड़ना होगा।

क्षेत्र प्रणाली के सम्बन्ध में मैंने पहले ही कहा है कि यदि हम बीमा व्यापार को गति देना चाहते हैं तो प्रतियोगिता अवश्य होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त किस्त आय का ७५ प्रतिशत राज्य को प्राप्त हो जिससे राज्य का भला हो सके। प्रवर समिति से यह प्रार्थना है कि वह इन सभी बातों पर अच्छी प्रकार से विचार करे हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि इसे इस प्रकार से लागू किया जायगा कि यह आगामी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत देश के विकास में अत्यन्त सहायक सिद्ध होगा।

†**श्री जी० एच० देशपांडे** (नासिक-मध्य) : मैं इस विधेयक का पूरी तरह समर्थन करता हूं। देश भर में इसका स्वागत हुआ है। अपने निर्वाचन क्षेत्र से मुझे अनेक पत्र प्राप्त हो रहे हैं जिनमें

†मूल अंग्रेजी में

लोगों ने इस विधेयक से बहुत संतोष प्रकट किया है। इस सदन में भी केवल बड़े व्यवसाय के कुछ प्रतिनिधियों को छोड़कर सभी ने इसका समर्थन किया है। जो लोग बीमा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने भी इसका स्वागत किया है। इस क्षेत्र के एक कर्मचारी ने जो ३० वर्ष से यहां काम कर रहा है मुझे लिखा है कि ये बीमा कम्पनियां लगभग १५० लोगों की जागीरों की तरह थीं। सब तरह का भ्रष्टाचार वहां प्रचलित था। फील्ड वर्कर्स का जीवन सबसे खराब था तथा एजेंटों इन्सपैक्टरों, ब्रांच मैनेजरों आदि में एक ही असामी के लिये स्पर्धा होती थी तथा वे गंदी युक्तियां प्रयुक्त करते थे। इस सबके ऊपर ये पूंजीपति राष्ट्र-विरोधी कार्यवाइयों में अपना प्रभाव प्रयुक्त करते थे ।

तो इस प्रकार यह बीमा व्यवसाय अब तक इस प्रकार चल रहा था। अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोई काम नहीं किया गया है। मुझे पूरी आशा है कि नवीन परिस्थितियों म इस व्यवसाय को ग्रामों में भी फैलाया जायगा। इससे हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना की क्रियान्विति में भी सहायता मिलेगी। इस सदन ने अनेक बार समाजवादी ढाँचे को स्वीकार किया है। यह विधेयक उसी दिशा में एक कदम है। यद्यपि इस मामले में हमें दूसरे देशों के अनुभव से फायदा उठाना चाहिये, फिर भी मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस कार्य में सफल रहेंगे ।

†**श्री मूलचन्द दुबे** (ज़िला फर्रुखाबाद—उत्तर) : कुछ सदस्यों ने कहा है कि कतिपय बीमा कम्पनियों ने सामान्य स्तर ऊँचा रक्खा है, इसलिये समस्त उद्योग का राष्ट्रीयकरण न करके उन कम्पनियों को निजी तौर पर रहने दिया जाता—और किसी लिये नहीं तो कम से कम स्पर्धा के लिये ही। लेकिन हम आंकड़ों से देखते हैं कि १११ बीमा कम्पनियों में से गत दस वर्षों में २५ कम्पनियों का दिवाला निकल चुका है तथा २५ की हालत खराब है। ऐसी दशा में यह सम्भव नहीं था कि कुछ को छोड़ दिया जाता और शेष का राष्ट्रीयकरण हो जाता। वे लाखों गरीब लोग जिन्होंने अपनी बचत से पालिसी खरीदी है संरक्षण के हकदार हैं।

किन्तु एक दो बातें मेरी समझ में नहीं आतीं। पहली चीज़ है मुआवज़े के बारे में कि यह किस प्रकार आगणित किया जायेगा। विधेयक के साथ संलग्न अनुसूची अत्यन्त टेक्निकल भाषा में गठित है जो समझ में नहीं आती। 'इंश्योरेंस इयर बुक' से मैं देखता हूँ केवल ११ कम्पनियों ने लाभांश घोषित किए हैं और इन लाभांशों में ८७-१/२ प्रतिशत से १ प्रतिशत तक विभिन्नता है। मैं जानना चाहता हूँ कि इन विभिन्न लाभाशों के मध्य और जिन कम्पनियों ने कोई लाभांश घोषित नहीं किया है उन्हें किस प्रकार मुआवजा दिया जायगा। क्या इसमें वही सिद्धान्त अपनाया जाएगा जो जमीदारी उन्मूलन में अपनाया गया था अर्थात् बड़ी जमींदारियों पर कम दर से और छोटी ज़मीदारियों पर अधिक दर से मुआवज़ा! मुझे आशा है वित्त मंत्री इस बात को स्पष्ट करेंगे ।

दूसरी बात जो स्पष्ट नहीं है वह यह है कि विधेयक के एक खंड में उपबन्धित है कि, दुर्भावना से किये गये संविदों के अलावा, कम्पनियों द्वारा किये गये सब संविदों की शर्तों को पूरा किया जायेगा। मेरा निवेदन है कि प्रत्येक कम्पनी ने अपने एजेंटों अर्थात् फील्ड वर्कर्स से संविदे किये हैं। प्रश्न यह है कि उन संविदों को पूरा किया जायगा अथवा निगम की इच्छा के अनुसार उन्हें संशोधित और संपरिवर्तित कर दिया जायगा। एक और जो कठिनाई है वह है विभिन्न कम्पनियों के विभिन्न कर्मचारियों के वेतनक्रमों के वैज्ञानिकन की । उनकी संख्या बहुत अधिक है तथा एक ही प्रकार के कार्य के लिये एक कम्पनी के वेतनक्रमों में दूसरी से बहुत अंतर है। आशा है वित्त मंत्री जी इस बात पर भी प्रकाश डालेंगे।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुहीउद्दीन** (हैदराबाद नगर): इस विधेयक के लाने पर मैं सरकार को बधाई देता हूँ। बीमा कम्पनियां, सिन्द्री फैक्टरी अथवा जहाज़ बनाने के कारखाने की तरह का उद्योग नहीं है। उन्हें लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या से वास्ता पड़ता है। इन बीमा कम्पनियों के ४५ लाख पालिसीदार हैं और आने वाले समय में इनकी संख्या करोड़ों तक पहुँचेगी। इस संख्या की वृद्धि के साथ-साथ कठिनाइयों में भी वृद्धि होने की आशा है। श्री अशोक मेहता ने संगठन के क्षेत्र में अनेक सुझाव दिये हैं और मुझे आशा है कि प्रवर समिति उन सब सुझावों पर विचार करेगी जो कार्यक्षमता बढ़ाने के लिये दिये गये हैं। वित्त मंत्रालय को मेरा सुझाव है कि रेलवे संगठन में जो सुधार किये गये हैं उनसे शिक्षा ले। मैं ज़ोर देकर यह कहना चाहूंगा कि प्रवर समिति इस बात पर विचार करे कि निगम के प्रादेशिक संगठन को किस प्रकार मज़बूत बनाया जाये। किन्तु मेरा सुझाव है कि डिवीजनल मैनेजरों को पर्याप्त अधिकार प्रदान किये जायें जिससे कि उत्तरदायित्व और पहल स्थानीय क्षेत्रों में रहे।

श्री ए० के० गोपालन ने कहा कि विदेशी कम्पनियों को मुआवज़ा नहीं दिया जाना चाहिये। मैं समझता हूँ कि विदेशी कम्पनियों को मुआवज़ा देने का यह प्रश्न उठता ही नहीं है। सरकार विदेशी कम्पनियों के शेयर नहीं ले रही है। विधेयक में यह उपबन्ध कर दिया गया है कि व्यवसाय को बनाने के लिये यदि ये कम्पनियां कोई राशि लाई थीं तो वह वापस की जा सकती हैं। किन्तु इमारतें तथा अन्य सामान इसी देश में प्राप्त बीमा प्रीमियम की राशि से खरीदे गये हैं। उनके शेयर सरकार नहीं ले रही है। इसलिये मैं नहीं समझता कि शेयरों का उन्हें मुआवज़ा देने का प्रश्न किस प्रकार उठता है।

कर्मचारियों का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश इसका हमें एयरलाइन्स कारपोरेशन में कुछ अनुभव हो चुका है। वहाँ लगभग सभी कर्मचारियों के ग्रेड बढ़ा दिये गये हैं। यदि नीचे के कर्मचारियों के ग्रेड बढ़ाए जायें, उनका आर्थिक स्तर बढ़ाया जाये, तो कोई हर्ज़ नहीं है। लेकिन यदि कर्मचारियों के दबाव से सब ओर वृद्धि की जायेगी तो बीमा वित्त कम पड़ जायगा और यह चीज़ पालिसीदारों के हित में नहीं होगी।

विधेयक से यह स्पष्ट नहीं है कि हैदराबाद, मैसूर आदि राज्यों की बीमा स्कीमों को भी लिया जायगा या नहीं। ये स्कीमें इन राज्यों में गत ३०-३५ वर्ष से चालू हैं। उदाहरणार्थ हैदराबाद में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को अनिवार्यतः अपने वेतन के कम से कम ५ प्रतिशत से बीमा कराना पड़ता है। यदि इसे भी लिया गया तो इस बीमे का रूप किस प्रकार का रहेगा। और बोनस क्या होगा? यह चीज़ कृपया स्पष्ट की जाये।

अन्त में मैं एक बात जो अन्य सदस्यों द्वारा भी कही गई है, दोहराऊँगा। वह यह कि पालिसी परिपक्व हो जाने पर उसका भुगतान शीघ्रता से होना चाहिये तथा पालिसी के उत्सर्जन मूल्य (सरेंडर वैल्यू) पर ऋण जितना शीघ्र हो सके दिया जाना चाहिये। निगम द्वारा पूर्णतया व्यावसायिक सिद्धान्त अपनाये जाने चाहियें तथा डिवीजनल संगठनों को पर्याप्त अधिकार देने चाहिये।

†**डा० सुरेशचन्द्र** (औरंगाबाद) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ। जब सरकार कारबारी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो इसे इन उपक्रमों के संघटन के समय लोक स्वामित्व, लोक-उत्तरदायित्व तथा व्यवसायिक प्रबन्ध को ध्यान में रखना चाहिये। यह ठीक है कि हम इस तरह के उपक्रमों को या तो निगमों द्वारा चलाते हैं या संयुक्त स्कंध समवायों द्वारा। इस काम को चलाने के लिये देश को विभिन्न क्षेत्रों में बांटने का जो निश्चय किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूँ तथा निवेदन करता हूँ कि क्षेत्रीय प्रबन्धकों को काम चलाने के लिये पर्याप्त स्वतन्त्रता दी जानी चाहिये। इसके साथ ही मैं श्री चटर्जी की इस बात का समर्थन करता हूँ कि इस निगम को अधिक स्वतन्त्रता तथा स्वायत्तता दी जानी चाहिये। किन्तु भारत में इन स्वायत्त निगमों का हमारा अनुभव यह रहा है कि उनमें

†मूल अंग्रेजी में

निरंकुश होने की प्रवृत्ति आ जाती है। हम देख चुके हैं कि इन स्वायत्त निगमों पर संसद् अधिक नियंत्रण व्यवहृत नहीं कर सकी है। प्रतिवेदन हमें बहुत कम प्राप्त होते हैं तथा इन निगमों के कार्यकरण की हम विस्तारपूर्वक जांच नहीं कर सकते और उन पर अधिक ध्यान नहीं दे सकते। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यद्यपि निगम का होना अच्छा है तथापि हमें एक नया खंड जोड़ कर संसद् द्वारा नियंत्रण बढ़ा देना चाहिये। नियम बनाने के अधिकार भी संसद् को दिये जाने चाहिये। तभी हम इन निगमों पर अधिक नियंत्रण व्यवहृत कर सकेंगे और अतिव्ययता को रोक सकेंगे जैसा कि दामोदर घाटी निगम तथा अन्य निगमों में की गई है।

मैं फील्ड वर्कर्स की नौकरी के सुरक्षण के बारे में भी कहना चाहूँगा। खंड १० में यह कहा गया है कि बीमा कम्पनियों के समस्त कर्मचारी उसी वेतन पर तथा उन्हीं शर्तों पर निगम के कर्मचारी बन जायेंगे। इस खंड के बावजूद भी कर्मचारियों के दिलों में काफी भय-सा है। हमें यह याद रखना चाहिये कि इस व्यवसाय का जीवन तत्व ये फील्ड वर्कर्स ही हैं और हमें उनकी शंकाओं पर ग़ौर करना चाहिये।

देश भर से बीमा कर्मचारियों के पास से मेरे पास पत्र आ रहे हैं। वे नहीं जानते कि उनके वेतनों का क्या होगा, क्या एक स्थान से दूसरे पर उनका तबादला होगा इत्यादि। उनमें से कुछ ग्रेजुएट नहीं हैं और कुछ मैट्रिक तक भी नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने इस लाइन में अच्छा काम किया है। उनके दिलों में डर है। मुझे आशा है कि प्रवर समिति विस्तार से इन बातों पर विचार करेगी और देखेगी कि उनके साथ कोई अन्याय न हो।

हमारा विचार अब इस व्यवसाय को ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाने का है। जैसा श्री मोरे ने सुझाव दिया, हमें इस अवसर का प्रयोग ग्राम्य क्षेत्रों में--और शहरी क्षेत्रों में भी--लोगों को ऋण तथा अन्य सुविधायें देकर करना चाहिये जिससे वे मकान बना सकें, अपने बच्चों का विवाह कर सकें; और यदि कोई वहाँ से संसद् के लिये चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे भी वह सुविधा प्राप्त हो। स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं भी उन्हें प्राप्त होनी चाहियें। ये सुविधायें अन्य देशों में प्रदान की जा रही हैं।

अन्त में मैं फिर यह सुझाव दूंगा कि निगमों को निरंकुश बनने से रोका जाये। इसक लिये संसद् का उन पर अधिक नियंत्रण हो तथा वह उनके लिये नियम भी बनाए।

श्री बी० डी० पांडे (जिला अल्मोड़ा--उत्तर-पूर्व) : मैं जनाब को बधाई देता हूँ कि आप इस तख्त ताऊस पर बैठे। इस रोजे चमन में से कमल को निकाल कर अच्छी जगह रख दिया गया है इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूँ और अपने आपको भी बधाई देता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपकी मेहरबानी है लेकिन इस वक्त तो आप इस बिल पर बोलने के लिये खड़े हुए हैं।

श्री बी० डी० पांडे : उस वक्त मुझे बोलने का मौका नहीं मिला था इसलिये इस वक्त हुज़ूर की खिदमत में मैंने अपने ख्यालात का इज़हार कर दिया।

मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि सरकार को बनिया होना चाहिये। सरकार को तो राजा होना चाहिये। गेहूँ भी हम खरीदते हैं, लोहा भी खरीदते हैं, सीमेंट भी खरीदते हैं और इसमें छीजन होती है तो सरकार की बदनामी होती है और देशमुख साहब कस-कस कर टैक्स लगा रहे हैं। लेकिन उससे भी पूरा नहीं पड़ता क्योंकि जो काम है वह बहुत बड़ा है। इस हिन्दुस्तान को जो कि एक उजड़ा हुआ चमन है उसको फिर से बसाने का काम बहुत कठिन है। उसके वास्ते रुपया नहीं है। अब यह कहा जा रहा है कि इंश्योरेंस को लो, बैंकों को लो। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसमें जो मुनाफे की बनिया वृत्ति आती है वह राजा के वास्ते ठीक नहीं है। राजा को तो राज्य ही करना चाहिये।

[श्री बी० डी० पांडे]

असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टा च महीपति। जो राजा है उसको तो असंतुष्ट ही रहना चाहिये और ब्राह्मण को संतुष्ट रहना चाहिये। राजा को बनिया नहीं बनना चाहिये। राजा के लिये बनिया वृत्ति खराब है। हम जो इस वक्त जीवन बीमा को लूट रहे हैं वह इसीलिये कि उन्होंने बेईमानी से नफा कमाया है। यदि हम भी वेसा ही करने लगेंगे तो हममें और बनियों में क्या फर्क रह जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर माननीय मेम्बर अपनी तवज्जह इस तरफ रखें तो ज्यादा बेहतर होगा ।

श्री बी० डी० पांडे : हुजूर मैं मित्रों द्वारा कुछ गड़बड़ा गया।

इस विषय में बहुत ही बातें कही गई हैं। मैंने इस विषय पर पहले भी कुछ कहा था। कुछ थोड़ी सी बातें और कहना चाहता हूँ। मैं कुछ मौके के अनुसार बातें कहना चाहता हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात तो एजेंटों की है। बीमा का एजेंट मक्खन सा मुलायम होता है। जब मिलता है तो नमस्ते करता है। कभी पान खिलाता है, कभी चाय पिलाता है। आपके घर पर आता है, कचहरी में आता है वह कैसा अच्छा आदमी होता है। सरकार का जो एजेंट होगा वह तो ऐसा होगा या नहीं कह नहीं सकते। उसके दिल में तो अपना रोब होगा। वह तो कहेगा कि मैं तो सरकारी आदमी हूँ, मैं इसको क्यों नमस्ते करूँ। ये बिजनेस टैक्टिक्स (व्यवसायिक युक्तियों) सरकार के पास नहीं है। मैं देखता हूँ कि हमारे यहां रोडवेज की गवर्नमेंट की मोटरें चलती हैं और निजी कम्पनियों की भी मोटरें चलती हैं। निजी कम्पनियों की मोटरों को हम अपने घर ले जाते हैं और उनसे काम लेते हैं। जो काम हम चाहते हैं वे कर देते हैं। लेकिन सरकारी रोडवेज़ वाले बात नहीं करते। वे तो रोब दिखाते हैं। तो राजा के तो राजमद होता ही है। राजा को बनिया नहीं होना चाहिये। राजा में डांट डपट होनी चाहिये। उसका जो एजेंट होगा, जो जनरल मैनेजर होगा वह डांट डपट दिखायेगा। लेकिन इससे तो यह काम चलेगा नहीं। मैंने देखा है कि जो लोग अपनी मोटरें चलाते हैं वे उनको अहतियात से चलाते हैं। उनको उसका दर्द रहता है। उसको डर रहता है कि अगर मैं इसको ब्रेक के बगैर चलाऊंगा या जल्दी में चलाऊंगा तो यह टूट जायेगी। लेकिन जो सरकारी ड्राइवर है उसके रोब को देखिये, वह कैसी शान से आता है। कंडक्टर को देखिये कि कितनी शान दिखाता है। निजी आदमी शान नहीं दिखाता। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस काम में बनिया वृत्ति जरूर होनी चाहिये उसके बिना काम नहीं चलेगा, और राजा में बनिया वृत्ति हो नहीं सकती। राजा तो रोब ही दिखाता है और डांट डपट ही दिखाता है। उसमें तो राजमद होता है।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा मध्य) : वैलफेयर स्टेट (लोक-कल्याण राज्य) में वैसा रोब नहीं होगा ।

श्री बी० डी० पांडे : वैलफेयर स्टेट के मानी क्या हैं ? गांधी जी ने राम राज कहा था, हम वैलफेयर स्टेट कहते हैं और अब सोशलिस्टिक पैटर्न (समाजवादी ढांचा) है। लेकिन मैं तो अब बुढ़ापे में बदलूं या नहीं कह नहीं सकता। मैं तो सन् १९०५ से कांग्रेस मैन हूँ और जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। मैं बदल नहीं सकता। मैं सरकार का समर्थक रहा हूँ और मरते दम तक रहूँगा। मैं यह नहीं कहता हूँ कि मैं सोशलिस्ट हूँ या नहीं।

और न मैं उस ढंग की सोशलिज्म ठीक समझता हूँ। उड़ीसा के जो गवर्नर महोदय हैं उन्होंने इस सम्बन्ध में जो कहा है उसको आप सब लोगों ने सुना होगा। उन्होंने यह कहा है कि हम अमीरों को गरीब नहीं बनाने जा रहे हैं अपितु गरीबों को अमीर बनाने जा रहे हैं।

इसको तो बहुत कहते हैं कि एक व्यक्ति की अधिक से अधिक आमदनी पर सीलिंग (उपरि सीमा) रक्खी जानी चाहिये, आप सीलिंग रखते हैं, तो रखिये लेकिन मेरा कहना है कि यह जो आप निरंतर टैक्स लगाते जाते हैं। तो इस टैक्सेशन की भी कोई सीलिंग होनी चाहिये कि इससे ज्यादा टैक्स नहीं

लगेगा। टैक्स तो आप लोगों से अनाप-शनाप वसूल करते चले जायें और उनकी आमदनी पर आप सीलिंग मुक़र्रर कर दें और टैक्सों से होने वाली अपनी आय पर आप कोई सीलिंग न रक्खें, यह ठीक नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिये। सीलिंग अगर हो तो सब जगह होनी चाहिये। जिस तरह से आज आप चल रहे हैं इसको मैं सोशलिज्म (समाजवाद) नहीं मानता और यह सोशल्जिम मैं समझ ही नहीं पाता हूँ .....

उपाध्यक्ष महोदय : मेम्बर महोदय को तीन-चार बातें अभी कहनी हैं और उनको न कह कर वे सोशलिज्म में चले गये हैं।

श्री बी० डी० पांडे : मैं अभी बहुत थोड़े में जो कुछ मुझे इस विधेयक के बारे में कहना है कह दूंगा। मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि छीना झपटी का राज्य मैं ठीक नहीं समझता हूँ। अलबत्ता रजामंदी से आप उन चीज़ों को अगर प्राइवेट लोगों के हाथ से लेकर सरकार द्वारा चलायें तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। गांधी जी का रजामंदी का जो नियम था उसके अनुसार अगर आप चलकर इन चीजों को अपने हाथ में लेते हैं तो मुझे शिकायत नहीं है। अब उपाध्यक्ष महोदय, आपके इस कुर्सी पर बैठने से हमको यह लाभ होगा कि अब मास्टर तारासिंह की कृपाण नहीं चलेगी बल्कि अब ज़बान चलेगी और आपसी बातचीत और वाद-विवाद के ज़रिये हम अपने मसले और सवालात हल कर सकेंगे। छीना झपटी का राज्य नहीं होगा, डराने धमकाने का राज्य नहीं होगा, बल्कि बहस से और कनविंस (समाधान) करा के उनको अपनी तरफ ले आयेंगे।

मैं उन सज्जन का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन वे नौ करोड़ की हैसियत रखने वाली कम्पनी के जनरल मैनेजर थे, उनको उनकी ऊंची जगह से हटा कर उनके हाथ में लगभग ८० लाख रुपये की हैसियत की कम्पनी दे दी गई और मैं समझता हूँ कि इस तरह की तबदीली करके उनका अपमान ही हुआ कि एक करोड़पति को लखपति की जगह ले जाकर आपने बैठा दिया और लखपति को करोड़पति की जगह आपने बैठाल दिया है और इसी में दिलशिकनी (मनमुटाव) होती है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की गड़बड़ी नहीं करनी चाहिये और उनके पद और प्रतिष्ठा को हमें क़ायम रखना चाहिये, उनका हमें विश्वास करना चाहिये और हम लोगों को उनको किसी तरह से डराना और धमकाना नहीं चाहिये बल्कि उनको पुचकार कर अपनी तरफ़ करना चाहिये।

इसी तरह मुझे एजेंटों के बारे में कहना है कि सरकार को यह देखना चाहिये कि वे अपनी जगह पर क़ायम बने रहें और वे अपना काम जिस खूबी से अभी तक करते आये हैं आगे भी करते रहें।

इस इंश्योरेंस के व्यवसाय के बारे में इस हाउस में सबसे कम अगर कोई जानने वाला है तो शायद वह मैं हूँ। मैंने अपना बीमा नहीं कराया और बाप दादों की जायदाद पर अपनी गुज़र करता था और वह भी उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा के विनाश के साथ खत्म हो गई। आज मुझे अफ़सोस इस बात का हो रहा है कि मैंने अपने जीवन का बीमा क्यों नहीं कराया जो कि इस बुढ़ापे की अवस्था में मेरे लिये सहायक सिद्ध होता। इस बीमे के व्यवसाय के बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं है लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि मैनेजरों के ऊपर आप नियंत्रण अवश्य रक्खें और देखें कि वे ठीक प्रकार से अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहे हैं या नहीं लेकिन साथ ही उनकी अप्रतिष्ठा भी नहीं होनी चाहिये। एजेंटी के काम पर हमारे वही नम्र स्वभाव वाले व्यक्ति रक्खे जायें जो इस काम को कुशलतापूर्वक और योग्यतापूर्वक निभा सकें और इस काम पर बुलडौग कुत्ते के समान काटने वाले आदमी नहीं रखे जाने चाहियें, नहीं तो हमारा काम ठीक से नहीं चलेगा।

[श्री बी० डी० पांडे]

मैं सरकार को चेतावनी भी इस सम्बन्ध में देना चाहता हूँ कि जो दोष हम पूंजीपतियों पर लगाते हैं और जिस पूंजीवादी मनोवृत्ति को समाप्त करने के लिये हम यह और इस प्रकार के अन्य कदम उठा रहे हैं, तो हमें देखना है और सावधान रहना है कि वह पूंजीवादी मनोवृत्ति और सब कुछ स्वयं ही हड़प जाने और दूसरों से छीन कर खा जाने की मनोवृत्ति कहीं शासक वर्ग में न घुस जाय और इस तरह की खराब और दूषित मनोवृत्ति यदि हमारे शासक वर्ग में आ गई तो यह प्रजातंत्रवाद के लिये अहितकर होगा। वह दूषित मनोवृत्ति हम में नहीं आनी चाहिये।

†**श्री गिडवानी** (थाना) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। किन्तु मुझे एक बात की ओर सरकार का विषेश ध्यान दिलाना है। कल मुझे विस्थापित कम्पनियों के कुछ प्रतिनिधि मिले थे। उन्होंने मुझे इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ बातें बताई हैं। मैं उन बातों को प्रवर समिति में रखना चाहता हूँ। वे मुख्यत: इस प्रकार हैं कि जीवन बीमा निगम विधेयक के अन्तर्गत जो प्रतिकर योजना बनाई गई है वह विस्थापित बीमा कम्पनियों के लिये न्याययुक्त नहीं है। क्योंकि विभाजन के पश्चात् उनकी बहुत सी अचल सम्पत्ति पाकिस्तान में रह गई थी जिसके कारण उनकी बहुत सी पूंजी आस्तियां कम हो गई हैं। फिर उन्हें विभाजन के दौरान में अनेकों लोगों के कत्ले आम के शिकार बनने के कारण अधिक दावे भुगताने पड़े हैं और साथ ही उन्हें अपनी पुन:स्थापना पर बड़ी राशि खर्च करनी पड़ी है। ये सब असाधारण प्रकार के व्यय हैं और भविष्य में इनके पुन: होने की कोई सम्भावना नहीं है। अब यदि राष्ट्रीयकरण न होता तो ये कम्पनियां धीरे-धीरे उस हानि को पूरा कर लेतीं। उनका कहना है कि क्योंकि यह एक असाधारण स्थिति थी इसलिये जब सरकार कम्पनियों का मूल्यांकन करे तो उसे उनकी इन हानियों आदि का भी ध्यान रखना चाहिये। इन कम्पनियों के विनियोजनों का मूल्यांकन उसी कीमत के आधार पर किया जाना चाहिये जो कि विभाजन के समय प्रवर्तित थी। यदि सरकार यह बात मानने को तैयार नहीं है तो उसे इन कम्पनियों का मूल्यांकन इस आधार पर करना चाहिये कि मानों वे और कोई नया कारोबार नहीं करेंगी और केवल वर्तमान कार्य को ही सम्पन्न करती रहेंगी। इसी प्रकार से इन कम्पनियों को अपने दायित्वों से कुछ राहत मिल सकती है। यह बात शेयर होल्डरों और पालिसी होल्डरों दोनों पर लागू होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार उनकी इन बातों पर विचार करेगी और विस्थापित कम्पनियों को अन्य कम्पनियों के साथ नहीं रखेगी जहाँ तक सम्भव हो सकेगा उन्हें इस कष्ट से उबारने का प्रयत्न करेगी।

हमें परामर्शदाता बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति बड़ी सावधानी से करनी चाहिये, क्योंकि कई सदस्यों ने इस योजना के सफल होने में सन्देह प्रकट किया है। अब देखना यह है कि क्या सरकार इस उद्योग को मितव्ययता से चला सकेगी तथा अपने ग्राहकों की उतनी ही सन्तुष्टि कर सकेगी जितनी कि गैर-सरकारी कम्पनियां करती रही हैं। मुझे भी इस सम्बन्ध में कुछ अनुभव हो चुका है। मैं लोक-लेखा समिति का सदस्य रह चुका हूँ। हमने देखा है कि औद्योगिक वित्त निगम में कैसे अधिक-व्यय होता रहा, और उसके जिन सदस्यों को निष्पक्ष होना था वह कैसे अपने स्वार्थों को ही बढ़ाते रहे उसका मैनेजर सदा अपने आपको एक निरंकुश प्रशासक समझता रहा और स्वीकृति से पहले ही कितने व्यय करता रहा। इस प्रकार हमने देखा कि इस प्रकार काम करने वाली मशीनरी गैर-सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा कहीं अधिक खर्चीली थी। पुनर्वास वित्त संस्था की भी यही दशा रही। उसमें रिटायर्ड व्यक्तियों को चैयरमेन नियुक्त किया जाता है। पीछे से सभी शक्तियों पर एकाधिकार जमा लेते हैं। परिणाम यह होता है कि यह अधिक अच्छी प्रकार काम नहीं कर सकती हैं। और जब यह बातें लोक-लेखा समिति के सामने खुलती हैं तो सरकार अपने मान और प्रतिष्ठा की दुहाई देने लगती है और इनमें अधिक अथवा सारवान् परिवर्तन नहीं करने देती है। इस सबका परिणाम

†मूल अंग्रेजी में

यह होता है कि सरकार प्राइवेट लोगों के मुकाबले में बदनाम हो जाती है। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि वह इन सब विषयों में बड़ी सावधान रहें। हम एक नया साहस का काम कर रहे हैं। देश के सब लोग तथा पूंजीपति हमें देख रहे हैं। हमें हर पाई के लिये सावधान रहना चाहिये ताकि लोग प्रशासन के बारे में किसी प्रकार की शिकायत न कर सकें।

†**श्री केशव अय्यंगार** (बंगलौर—उत्तर) : मेरे विचार में हमारे देश में बीमा उद्योग का उतना विकास नहीं हुआ है जितना कि इसे एक स्वतन्त्र देश में होना चाहिये था। हमारे यहां लगभग २१० गैर-सरकारी कम्पनियां हैं। केवल तीन ही ऐसे राज्य हैं जो बीमा का कार्य स्वयं करते हैं। सौभाग्य से मैं एक ऐसे राज्य से ही आया हूँ जहाँ बीमा उद्योग १८९१ से ही सरकार के हाथ में है। वहाँ पर पहले तो यह केवल सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित था किन्तु अब धीरे-धीरे जनता तक फैल गया है। मैं उन आदमियों में से नहीं हूँ जो यह समझते हैं कि कुछ बीमा कम्पनियों की घपलाबाज़ी के कारण इस व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया गया है। आज राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। पिछले कुछ दशाब्दियों से यह व्यवसाय विभिन्न देशों में सरकारों के हाथों में आ रहा है। अतः इसकी अब यहां भी आवश्यकता ही थी।

मेरे विचार में यह ठीक दिशा में एक ठीक पग उठाया गया है। अब इसका क्षेत्र बढ़ जायेगा और यह व्यवसाय ग्रामों तक फैल जायेगा। इसका भाण्डागार निगमों की स्थापना पर भी बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और कई दूर-दूर तक के ग्रामों को इससे बड़ी राहत मिलेगी।

दूसरे देशों से मुकाबला करते हुए मैं कहूँगा कि सरकार ने इस व्यवसाय का विस्तार बढ़ाने के लिये अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेकर एक बड़ा परोपकार किया है। इसका कुछ कम्पनियों के डायरेक्टरों को छोड़ कर शेष सभी लोगों ने स्वागत किया है। हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि इस व्यवसाय में जितने व्यक्ति काम कर रहे हैं उन सबका प्रत्येक स्तर पर प्रतिनिधान बना रहे। हमें उनके हितों की रक्षा का ध्यान रखना चाहिये। मेरे विचार में एक बड़े आयोग के स्थान पर हमें कोई बीस के करीब प्रादेशिक परिषदें बनानी चाहिये। वे इस क्षेत्र में एक स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न कर सकती हैं। मेरे विचार में प्रवर समिति इस विषय पर भी विचार करेगी।

खण्ड १० में भी एक बात छूट गई है। हमने नेकनियत चीफ़ ऐजन्टों के प्रश्न को बिल्कुल छोड़ दिया है। उनकी एजन्सियाँ लगभग ऐसे ही काम कर रही हैं जैसे कि कई ब्रांच आफिस कार्य कर रहे हैं। उनके नीचे कई कर्मचारी भी हैं, खंड १० की शब्दावली का इस प्रकार संशोधन करना चाहिये कि वे भी इस के अन्तर्गत आ जायें।

मेरा एक और सुझाव है। राज्य समितियों को भी बीमा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कामों पर विचार करना चाहिये ? हमारे देश में अभी बहुत कम लोगों ने बीमा कराया है। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिये कि यह व्यवसाय के सुभीते देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँच जायें।

†**श्री बंसीलाल** (जयपुर) : यह एक ऐतिहासिक महत्व का विधेयक है। पिछले कुछ दिनों से इसकी खूब चर्चा हो रही है और उस पर तरह-तरह के विचार व्यक्त किये गये हैं, जो लोग राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं उनके दिल में भी सन्देह है कि इससे लोगों को कुछ लाभ होगा अथवा नहीं।

इस विधेयक की सफलता या असफलता पर हमारे देश का भविष्य निर्भर है। यह एक बड़े साहस का काम है। यदि यह असफल हो जाता है तो हमें अन्य क्षेत्रों में भी राष्ट्रीयकरण को रोक देना पड़ेगा। किन्तु यह सब कुछ जिस वातावरण में हुआ है वह ठीक नहीं था। यदि इस सब का उद्देश्य केवल इतना ही है कि अब इस प्रकार से प्राप्त होने वाली निधि को इमानदारी से प्रयोग किया जाय तो यह ठीक नहीं है। हमारा लक्ष्य यह होन चाहिये : 'धन से सेवा की ओर' तभी इस सारी योजना का कुछ लाभ हो सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बंसीलाल]

विधेयक के उद्देश्यों में बताया गया है कि यह पालिसी होल्डरों को अपने जीवन बीमा के सम्बन्ध में पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिये बनाया गया है। तथा यह बीमा व्यवसाय को अधिक विस्तृत क्षेत्र विशेषतया ग्रामों आदि तक फैलाने के लिये बनाया जा रहा है ताकि लोगों की बचत को और अधिक बढ़ाया जा सके। मेरे विचार में इन उद्देश्यों में बहुत कुछ निहित है। किन्तु उनमें कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां भी हो सकती हैं।

इस बिल का सम्बन्ध एक निगम बनाने से है। हमें यह निगम बड़ी सावधानी से बनाना चाहिये अन्यथा इसकी भी वही दशा होगी जो औद्योगिक वित्त निगम की हुई है। वित्त मंत्री को जांच करानी चाहिये कि विभिन्न राज्यों में इस औद्योगिक विकास निगम ने किस सीमा तक कार्य किया है और कैसा कार्य किया है, इसके कौन-कौन कर्मचारी हैं? मेरे राज्य राजस्थान में इससे बड़ी आशाएं बंधी थीं। किन्तु अब सभी करोड़पति ही इसके मालिक बन बैठे हैं। वे अपने ही मनमाने ढंग से काम करते हैं। हमें इस निगम में इस प्रकार के व्यक्तियों को रखना चाहिये कि तनिक भी भ्रष्टाचार न फैल सके। मुझे पता लगा है कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बीमा व्यवसाय में बढ़ी वृद्धि आ रही है। इस बात को तो सरकार ही जानती है। यह बीमा उद्योग अधिकतर लोगों को समझाने बुझाने पर ही चलता है। इसके बिना इसमें एक बड़ी भारी त्रुटि आ जाती है। सरकार को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिये।

राजस्थान में कोई अच्छी बीमा कम्पनी नहीं है। जो एक दो कम्पनियां हैं उन्हें हम रुपया देते हैं और वे उसे बाहर कहीं लगा देती हैं। मेरा निवेदन है कि इस विधेयक में ऐसा उपबन्ध होना चाहिये कि किसी राज्य विशेष से प्राप्त होने वाला धन कुछ निश्चित अनुपात में उसी राज्य में अवश्यमेव लगाया जाय ताकि निगम बड़े-बड़े उपक्रमों पर ही सारा धन न लगा दे। मुझे इस में तनिक भी सन्देह नहीं है कि निगम अच्छे कार्यों में ही रुपया विनियोजित करेगा।

३ अथवा ४ स्थानों पर प्रादेशिक परिषदें बनाने का सुझाव रखा गया है। मैं चाहता हूँ कि उन स्थानों में अजमेर का नाम भी सम्मिलित कर लिया जाय। क्योंकि राजस्थान में अजमेर ही एक ऐसी जगह है जहां पर सभी बीमा कम्पनियों का एक न एक आफिस है। मैं नहीं समझ सकता कि जब दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता आदि का नाम लिया जा रहा है तो इस स्थान को क्यों छोड़ा जा रहा है। इन परिषदों के निर्माण के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जहां तक हो सके इन्हें राजनीति से दूर ही रखा जाय। यह कांग्रेस अथवा किसी और पार्टी के हाथ में नहीं जाना चाहिये। इसमें सारे राष्ट्र को साझीदार बनाना चाहिये।

प्रत्येक राज्य में एक प्रादेशिक परिषद होनी चाहिये और दोनों सभाओं के प्रत्येक संसद् सदस्य को अपने-अपने राज्य की परषिद् का सदस्य होना चाहिये। इस प्रकार से सारा राष्ट्र इसमें साझीदार बन सकता है। इसका प्रबन्ध किसी वर्ग विशेष के व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये मेरा अनुमान है सरकार लगभग १५ व्यक्तियों का संवरण करेगी। यह एक बड़ी भारी कला है। इसमें बड़ी सावधानी रखनी चाहिये। हमारे देश वासियों को यह अनुभव होना चाहिये कि बीमा में कोई राजनीति नहीं है। मैं इसी दृष्टि से प्रादेशिक परिषदों के निर्माण का सुझाव दे रहा हूँ। इस विधेयक के प्रवर्त्तन में आने के साथ ही प्रत्येक राज्य में परिषद् बन जानी चाहिये। और प्रत्येक संसद् सदस्य पदेन उसका सदस्य होना चाहिये। अन्यथा इसमें बड़ी कमी रह जायेगी।

हम बीमा उद्योग को गांव तक ले जाना चाहते हैं। यह एक बड़ा भारी काम है। शायद निगम में एक भी ऐसा व्यक्ति न हो जो ग्रामीण पक्ष पर विचार कर सके। तब वह इसे गांवों तक नहीं ले जायेंगे। वास्तव में सरकार की अधिकांश योजनायें इसीलिये गांवों तक नहीं पहुँचती हैं क्योंकि जिन व्यक्तियों के हाथ में बागडोर होती है उनमें से कोई भी ग्रामीण स्वभाव को नहीं समझता है।

गांवों के लोग भी अभी बीमा कराने में कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं। क्योंकि उन्हें डर रहता है कि पालिसी के पूरा हो जाने पर भी शायद ही उन्हें रुपया न मिले। यदि किसी पालिसी होल्डर की बीवी अथवा बच्चों को छः-छः महीने अथवा साल-साल तक पैसा नहीं दिया जायेगा तो मेरे विचार में शायद ही गांवों में बीमा व्यवसाय सफल हो। प्रवर समिति को इस विषय में विशेष सावधानी बर्तनी चाहिये ।

पहले प्राइवेट कम्पनियों के एजेंट हमारे पास आते थे। और हमारा बीमा कराते थे। इसी प्रकार प्रत्येक कम्पनी के अपने डाक्टर भी थे। जो प्रायः बहुत अच्छी रिपोर्ट देते थे। अब सरकार को भी ध्यान रखना चाहिये कि वह इस मामले में अधिक कठोरता न करे अन्यथा यह सारा काम चौपट हो जायगा।

इसके अलावा अभी तो सरकार ने जीवन बीमा को ही अपने हाथ में लिया है। लेकिन शीघ्र ही वह समय आ रहा है जब उसे अन्य प्रकार के बीमा को भी अपने हाथ में लेने का विचार करना पड़ेगा। तब वित्त मंत्री को ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं दोहरे काम के कारण व्यय का अनुपात अधिक न हो जाय। इस विधेयक में कहा गया है कि बीमा कम्पनियों के पूर्णकालिक कर्मचारियों को उन्हीं शर्तों पर बहाल रखा जायेगा। यह बड़ी नुकसान दायक शर्त है। क्योंकि इस समय कई प्रबन्धकों आदि को पांच-पांच छः-छः हज़ार रुपये वेतन मिल रहा है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य के डरने की कोई जरूरत नहीं है। निगम को वेतन कम करने की शक्ति है ।

†**श्री बंसीलाल** : मेरा निवेदन यह है कि खंड १० में उनको उसी शर्त पर रखने के लिये आश्वासन दिया गया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मगर हमेशा के लिये नहीं। निगम उनको नौकर रख लेगा और फिर देखेगा कि उनको कितना वेतन देना उचित है।

†**श्री बंसीलाल** : इस प्रकार का कोई उपबन्ध नहीं है। खंड ११ में केवल अस्थायी कर्मचारियों के लिये ही इस प्रकार का उपबन्ध है। अतः यदि आप लोगों का रुपया ऐसे व्यक्तियों के हाथ में जाने से बचाना चाहते हैं तो आपको इन व्यक्तियों के लिये भी इस विधेयक में कोई न कोई उपबन्ध रखना चाहिये। और साथ ही हमें अल्पकालिक कर्मचारियों को भी नहीं भूलना चाहिये क्योंकि वास्तव में वही इस उद्योग की रीढ़ है।

हम बीमा के काम में पंचायतों से भी कुछ सहायता ले सकते हैं। इससे उनके साधन भी बढ़ सकते हैं। जैसे यदि ग्राम पंचायत राजस्व इकट्ठा करती हैं तो इसे १० प्रतिशत पारिश्रमिक मिलता है। ऐसे ही इसको बीमा का काम करने पर भी कुछ न कुछ मिल सकता है और वह ग्रामीण लोगों को अच्छी प्रकार समझा भी सकती है। अतः हम गांवों में उनकी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं ।

अन्त में मैं वित्त मंत्री को इस विधेयक को इतनी जल्दी यहां लाने के लिये बधाई देता हूँ ।

श्री दिगम्बर सिंह (जिला एटा—पश्चिम व जिला मैनपुरी—पश्चिम व जिला मथुरा—पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाउस के सामने प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी इस लोक-सभा में हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इस विधेयक को रक्खा और उससे अधिक खुशी मुझे उस वक्त हुई कि जब एक अध्यादेश के द्वारा इस बीमा व्यवसाय के ऊपर अधिकार किया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानता हूँ कि बहुत से लोग जिनमें कि कुछ हमारे साथी भी हैं, इसकी कुछ बातों का विरोध भी करते हैं लेकिन यदि हम देश की उन्नति चाहते हैं, यदि हम देश को

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दिगम्बर सिंह]

आगे बढ़ाना चाहते हैं और विशेष कर आपने उस सोशिलिस्टक पैटर्न (समाजावादी ढांचे) के आधार पर जिसको कि कांग्रेस ने देश के लिये निश्चित किया है, उसके आधार पर इस देश की व्यवस्था करना चाहते हैं तो हमारे लिये आवश्यक है कि हम इस तरह के कदम उठायें ? इस सरकार ने जो यह एक साहस पूर्ण कदम उठाया है और देश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है, मैं समझता हूँ कि सरकार इस महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कार्य के लिये सबसे अधिक बधाई की पात्र है। जो लोग यह उम्मीद करते हैं कि हर एक काम उस ढंग से होना चाहिये जिसके लिये कि गांधी जी हमसे कहा करते थे और जैसा कि अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि जिस तरह से सरकार ने इस सम्बन्ध में व्यवहार किया है वह गांधी जी की नीति के अनुसार नहीं था और यही नहीं उन्होंने तो एक तरह से कांग्रेस ने जो सोशलिस्टक पैटर्न पर समाज की व्यवस्था करने की नीति अपनाई है, उसका विरोध किया और मेरी तो समझ में उनकी बात आती नहीं कि एक तरफ तो वह कांग्रेस दल के अन्दर हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस द्वारा स्वीकृत नीति का इस तरह विरोध करते हैं और मैं समझता हूँ कि वह इस बात को भी जानते होंगे कि कांग्रेस द्वारा इस नीति को स्वीकृत कराने वालों में अधिकतर वही लोग हैं जो गांधी जी के अनुयायी हैं और उनके सिद्धान्तों में विश्वास रखते हैं, ऐसी सूरत में हमें उनकी यह बात समझ में नहीं आती कि आज कांग्रेस गवर्नमेंट प्रजातंत्र और गांधी जी के बताये हुए नियमों के अनुसार आचरण नहीं कर रही है। मैं अपने उन मित्रों से पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारा संविधान हमको इस तरह के विधेयक को पारित करने की अनुमति नहीं देता ? और क्या जो अध्यादेश इसके पहले इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा लाया गया वह संविधान के अनुकूल नहीं था ? मैं समझता हूँ कि ये दोनों ही चीज़ें संविधान और प्रजातन्त्रवाद के अनुकूल हैं और हमारा यह कदम हमको प्रजातन्त्रवाद की ओर ले जाने वाला है। ऐसी हालत में मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे वे साथी प्रजातन्त्रवाद के लिये इसमें कौन-सा खतरा देख रहे हैं। मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूँ कि जब देश की भलाई का सवाल हो और उसको आगे बढ़ाने का सवाल हो, तब वही तरीका अच्छा माना जायगा जो देश को आगे बढ़ाने वाला हो, चाहे वह कोई भी तरीका हो। अब समय आ गया है कि जब हम सरकार का साहस बढ़ायें ताकि इस तरह के कार्य करके सरकार एक एक कदम आगे बढ़े। सरकार यही नहीं है कि इस तरह का कार्य करे बल्कि में तो यह उम्मीद करता हूँ कि उसको इससे और भी आगे बढ़ कर कार्य करना चाहिये। जैसे कि हमारे साथी यह कह रहे थे कि सरकार को बनिये का काम नहीं करना चाहिये, मैं तो कहता हूँ कि वह बनियेगीरी का काम नहीं कर रही है, वह उस बनिये की तरह से काम नहीं कर रही है जो जनता को चूस कर अपना ज्यादा से ज्यादा फायदा करना चाहता है बल्कि हमारी सरकार तो उन पूंजीपति बनियों को कह रही है कि महात्मा गांधी के आदेश के अनुसार आप जनता के ट्रस्टी बन कर रहिये जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तब सरकार ने उनका कार्यभार कम किया, मैं समझता हूँ कि ट्रस्टियों के ऊपर जो सेवा भाव रहता है उसकी अगर सरकार ने कुछ हलका कर दिया है, तो उनको तो इसके लिये खुशी होनी चाहिये और मुझे तो अपने साथी की यह शिकायत सुनकर दुःख हुआ कि एक व्यक्ति जिसके हाथ में ९ करोड़ रुपये का काम था उसके जिम्मे अब थोड़े से लाख रुपयों का काम कर दिया गया है। मैं कहता हूं कि अगर उसकी तनख्वाह में कमी कर दी गई होती तब तो उसके लिये रंज करने और शिकायतें करने का मौका था लेकिन अगर उसका काम हल्का कर दिया गया तो बजाय उसके लिये शिकायत करने के उसको तो सरकार का अहसानमन्द (कृतज्ञ) होना चाहिये। इसलिये मैं तो कहता हूँ कि जो लोग हमारे इस देश की उन्नति में जिस तरह के कार्य सरकार करती है, उनमें बाधा पहुँचाते हैं तो वे एक तरह से हमारे उस काम में रोड़ा अटकाते हैं कि जो गांधी जी हमसे कराना चाहते थे और हमारे वे साथी जिनके कि पास पूंजीवाद का समर्थन करने के लिये कोई ग्राउंड (आधार) नहीं है, जिनको कि जमींदारी प्रथा के खत्म हो जाने से दुःख हो रहा है, उनके लिये अब

यही तरीका आलोचना करने के लिये बाकी रह गया है कि सरकार बनियागीरी करती है और सरकार इस तरह से उनसे एक एक करके चीजें छीन रही है।

सरकार के हाथ में अब यह काम जा रहा है। कुछ लोगों ने जो इसकी आलोचना की है कि इस काम के सरकार के हाथ में चले जाने से अब इसके कर्मचारी जनता की खुशामद नहीं करेंगे, उनकी चापलूसी नहीं करेंगे तो मुझे तो उससे खुशी हुई है। मैं तो चाहता हूँ कि हमारी जनता के अन्दर कोई भी आदमी केवल तनख्वाह पाने के कारण किसी की खुशामद न करे। हमको चाहियें कि हम उन लोगों को अच्छी तरह से इस बात को समझायें, उनके सामने अच्छी तरह से इस बात को रक्खें कि सरकारी कर्मचारियों के द्वारा किसी की खुशामद नहीं होनी चाहिये। हमारे साथी ने कहा रोडवेज़ सरकार द्वारा चालू करने से पहले जो बस कंडक्टर वग़ैरह होते थे, ड्राइवर होते थे, उनसे यह आशा की जाती थी कि वे हमारे घरों पर बस को ले जायें, मालिक लोग यह चाहते थे कि वे उनके बच्चों को संभालें उनका बोझ भी ढोयें और दूसरे काम करें और वे ऐसा करते थे अब नहीं करते। अगर आज बस कंडक्टर और बस ड्राइवर ऐसा नहीं करते तो यह हमारा सौभाग्य है। कम से कम आज वह दिन तो आया जब कि हमारी बसों पर काम करने वाले लोग हैं वह उतनी ही इज्जत और स्वाभिमान रखते हैं जो कि देश का बड़े से बड़ा आदमी रखता है। जब हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऊपर ले जाना चाहते हैं तो यह कैसे सम्भव हो सकता है कि हम कर्मचारियों से यह आशा करें कि वह जनता की खुशामद या चापलूसी करें?

मैं जानता हूँ कि सरकार द्वारा किये जाने वाले कामों में बहुत सी कठिनाइयां और परेशानियां भी आती हैं, उनमें से बहुत सी इसलिये भी आती हैं कि सरकारी कर्मचारी ठीक काम नहीं करते, लेकिन बहुत से आदमी नहीं, दो चार ही ऐसे हो सकते हैं जो कि देश का काम करने वालों का, देश की सेवा करने वालों का विरोध करते हैं।

मैं बहुत अधिक विस्तार में न जा कर यही कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है कि हम सरकार को इस साहसपूर्ण कार्य के करने के लिये बधाई दें। हमें इस बात का गर्व है कि हमारी सरकार ने ऐसे साहस का काम किया और हम आशा करते हैं कि आगे चल कर वह और भी साहस का परिचय देगी। मेरे साथी ने सुझाव दिया है कि बीमा कार्य के लिये जो समितियां हर एक सूबे में बनाई जायें उनमें विधायकों को रक्खा जाय। मेरी समझ में नहीं आता कि यह किस प्रकार से सम्भव हो सकता है। अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह की समिति बनाई जाय और यहां पर जो ८६ पार्लियामेंट के मेम्बर हैं, जो राज्य सभा के सदस्य हैं तथा जो एम० एल०एज़ हैं, उन सबको रक्खा जाय तो शायद उनकी संख्या ५५० से भी अधिक हो जायेगी। इतने अधिक सदस्यों की समिति बनाने से वहां पर कार्य करना असम्भव हो जायेगा। साथ ही समितियों का कोरम भी पूरा करना मुश्किल हो जायेगा। इसलिये इतनी बड़ी समितियां बनाना तो कठिन होगा, ये बड़े-बड़े काम हैं उनको प्रजातन्त्रीय रूप देने से बड़ी कठिनाइयां और परेशानियां पैदा हो जाती हैं। इस प्रकार के कार्यों में हमें यह देखना चाहिये कि वहां पर काम ठीक और योग्य आदमियों के हाथों में हो। इनमें तो यह सुझाव है कि रिटायर्ड हाई कोर्ट जज भी हों, जो कि काफी योग्य होंगे। फिर भी उनके कार्यों पर विचार करने का, पार्लियामेंट को अधिकार होंगे तो फिर इस तरह का काम करने से क्या लाभ जिससे कि झंझट बढ़ जाय? मैं तो इस विश्वास का हूँ कि जो छोटे-छोटे काम होते हैं उनमें भी अगर हम डिमाक्रेसी या प्रजातन्त्र का नाम ले आते हैं तो बहुत मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। अभी तो हमारा प्रजातन्त्र प्रारम्भिक अवस्था में है। जिस प्रकार से हम कालेज के विद्यार्थियों को भले ही बहुत सी बातों में छूट दे देते हैं और प्रोफेसर्स उनके कामों में बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन जो प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी होते हैं जिनको भले बुरे का अधिक ज्ञान नहीं होता, हैं, उन पर कुछ सख्ती बरतनी पड़ती है, उसी प्रकार से अगर हम प्रारम्भिक प्रजातन्त्र पर कुछ सख्ती नहीं करेंगे, उनको गलत मार्ग पर छोड़ देंगे और गलत बात कह कर गलत ढंग से कार्य करने की स्वतन्त्रता दे

[श्री दिगम्बर सिंह]

देंगे तो उस का फल खराब होगा। आज आप गांवों में जा कर देखिये, बहुत से ऐसे सवाल हो सकते हैं जिनमें प्रजातन्त्रीय ढंग अपनाया जाये तो हानि हो सकती है। आज आप गांवों में जाकर आम लोगों की राय ले लीजिये कि यहां अछूतों को रखा जाय या नहीं तो शायद बहुत से ऐसे गांव हो सकते हैं जो कि बहुमत से यह तय कर दें कि अछूतों को निकाल दिया जाय। लेकिन यह बात ठीक तो नहीं हो सकती है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूँ कि सरकार और देश के अन्दर जो ढीली रीति-नीति चला करती है, जो हम आज ज्यादा धीरे-धीरे चल रहे हैं, उसको छोड़ कर इस तरह से कदम उठाने चाहियें जिनके उठाने से हमारे मुल्क का भला हो और जो हमारे इस कार्य में सहायक हों।

अन्त में मैं अधिक समय न लेते हुए मैं सरकार को और अपने वित्त मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्य को किया। मैं यह भी बधाई के योग्य कार्य समझता हूँ कि हमारे वित्त मंत्री हर मामलों में, विशेष कर इस प्रकार के कामों में धीरे-धीरे कदम बढ़ाते हैं किन्तु इसमें कुछ शीघ्रता की है। और इस प्रकार से वह देश के सामने एक दृष्टांत रख रहे हैं कि हम समझ बूझ कर कदम उठाने चाहिये। मैं समझता हूँ कि देश के लोग, विशेषकर देहात की अधिकतर जनता, किसान इस मामले में, मज़दूर आपके सहायक हैं। अगर कुछ थोड़े से लोग, जिनके स्वार्थों को हानि पहुंचती है, सरकार के साथ सहयोग नहीं करते हैं तो आप उसकी परवाह न करें।

सरदार इकबाल सिंह (फाजिल्का–सिरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को इस बिल को लाने के लिये और खास तौर पर इंश्योरेंस (बीमा) को नेशनलाइज (राष्ट्रीयकरण) करने के लिये बधाई देता हूँ। इस बारे में मैं बहुत कुछ न कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी यह काम आधा ही हुआ है। आपने लाइफ इंश्योरेंस (जीवन बीमा) को तो नेशनलाइज कर दिया लेकिन जब तक जेनरल इंश्योरेन्स को आप नेशनलाइज नहीं करेंगे उस वक्त तक यह काम मुकम्मिल नहीं कहा जा सकता है।

इस सिलसिले में मैं एक बात यह कहना चाहता हूँ कि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत क्राप (फसल) और कैटल (पशु) इंश्योरेन्स की है। जब तक इन दोनों चीजों को नहीं लिया जाता है तब तक मैं समझता हूँ कि यह इंश्योरेंस शायद शहरों तक ही महदूद रहे तो रहे, लेकिन देहातों में नहीं पहुँच सकेगा। देहातों में इसको ले जाने के लिये इन दो चीजों की बहुत जरूरत है। लेकिन जब तक आप जेनरल इंश्योरेन्स को नैशनलाइज नहीं करते हैं तब तक क्राप इंश्योरैन्स और जेनरल इंश्योरेंस, जिनकी देश को सख्त जरूरत है, खयाल ही खयाल रहेगा, वह कभी भी मुकम्मिल नहीं हो सकते हैं। इसलिये मैं समझता हूँ कि इस बिल के स्कोप (क्षेत्र) को गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिये और एक साल के बाद जल्दी से जल्दी जेनलर इंश्योरेंस को नेशनलाइज करके क्राप इंश्योरेंस और कैटल इंश्योरेंस को अमल में लाने के लिये कदम बढ़ाना चाहिये। यह मैं इसलिये कह रहा हूँ कि जो इंश्योरेन्स कम्पनियां हैं उनके हाथ से जब लाइफ का काम निकल जायेगा। तो वह उन्हीं चीजों पर ज्यादा तवज्जह देंगी जो उनके लिये ज्यादा लाभदायक होंगी, इस लिहाज से कि कहीं दूसरे व्यापार जो वे करें वह भी न नेशनलाइज हो जायें। उनके लिये जो सबसे ज्यादा लाभदायक काम होगा वह मोटरों और फायर का इंश्योरेंस होगा इसलिये वह कैटल और क्राप इंश्योरेन्स की तरफ तो कभी ध्यान भी नहीं देंगे। वह कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहेंगी जिसमें उनको नुक्सान होने का अंदेशा (डर) हो। जब कभी कोई नया काम शुरू किया जाता है तो उसमें कभी-कभी तो नफा होता है और कभी-कभी घाटा भी हो सकता है, इसलिये इन दो नई लाइनों को शुरू करने के लिये प्राइवेट कम्पनियां कभी भी आगे नहीं आना चाहेंगी। इसलिये आपको एक अलाहदा डिपार्टमेंट बनाकर इन दो इंश्योरेन्सों को चलाना होगा, लेकिन इसके लिये जरूरी है कि आप पहले जेनरल इंश्योरेंस को नेशनलाइज करें।

अब मैं इस बिल की बाबत कुछ कहना चाहता हूँ और वह यह है कि यहां पर एक कारपोरेशन बनाया जा रहा है। मैं जानता हूँ कि लाइफ इंश्योरेन्स के लिये कारपोरेशन बनाने की वजह यही थी कि सरकार जानती थी कि जो धन इंश्योरेंस कम्पनियों में था वह उन कामों में लगाया जाता था जिनका बहुत ज्यादा फायदा जनता को नहीं पहुंचता था। अब सरकार के सुपरविजन (देख रेख) में इन फंड्स को देश की बहबूदी (कल्याण) की स्कीमों में इस्तेमाल किया जायेगा, उन कामों में इस्तेमाल किया जायेगा जो देश की तरक्की के लिये ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे। मेरा यह नुक्ता नजर (दृष्टिकोण) है कि इंश्योरेंस के लिये एक बहुत बड़ी फील्ड (क्षेत्र) देहातों में है। और जरूरत है कि उस फील्ड में इंश्योरेस को आज ज्यादा बढ़ाया जाय। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक एक कारपोरेशन ही रहेगा जिसको कि आप बनाने जा रहे हैं, उस वक्त तक कोई कम्पिटीशन (स्पर्धा) पैदा नहीं हो सकता। जब कोई मोनोपली (एकाधिकार) आती है तो खर्चा तो बढ़ता जाता है लेकिन बाज वक्त ऐसा होता है कि जो मोनोपली की अच्छाइयां होती हैं वह पीछे पड़ जाती है और उनकी बुराइयां आगे आ जाती हैं। इसलिये मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कारपोरेशन बनाना ही है तो एक कारपोरेशन तो वह बनायें जो कि आप बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप एक रूरल इंश्योरेन्स कारपोरेशन (ग्राम्य बीमा निगम) भी बनाइये जो कि सिर्फ इस बात पर कंसेन्ट्रेट (ध्यान) करे, इस नुक्ता नजर को सामने रक्खे कि उसको देहातों में जाकर इंश्योरेंस को बढ़ाना है और कर्जा देना है। यह कारपोरेशन पहले तो गवर्नमेंट के कामों के लिये रुपया देगा, उसके बाद जो कुछ बचेगा उस रिजर्व फंड (रक्षित निधि) से वह उन लोगों को कर्जा देगा जिनकी बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज चल रही हैं। इसके साथ जो दूसरा कारपोरेशन हो जो कि देहातों में काम करेगा वह उन लोगों को मदद करेगा जो कि देहातों में रहते हैं। इस तरह से देहात के लोगों को पता चलेगा कि वह लोग जो इंश्योरेंस करवा रहे हैं उससे जो रुपया जमा होगा वह लाजिमी तौर पर उन स्कीमों पर खर्च होगा जो हिन्दुस्तान के देहातों के लिये लाभदायक होंगी। मेरा यह नुक्ता नजर है कि देहातों में एक बड़ा फील्ड है जिसके लिये हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर ने भी कहा कि एक अन्नोन (अज्ञात) फील्ड है, वहां पर इस काम को बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन इसके लिये यह जरूरी है कि वहां के लोगों को यह मालूम हो कि जो रुपया हम देंगे वह या तो सरकार की भलाई की स्कीमों पर कर्जे के तौर पर खर्च होगा या फिर उन स्कीमों पर लगेगा जिनसे देहातों का सीधा ताल्लुक है।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आप कोआपरेटिव बैंक बना रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इन कोआपरेटिव बैंक्स के ज़रिये से आप बहुत सी स्कीमें देहातों में चला सकते हैं। अगर आप रूरल इनश्योरेंस कारपोरेशन या ऐसी ही कोई कारपोरेशन जो कि देहातों के अन्दर ही काम करे, उनको इन स्कीमों के चलाने की जिम्मेदारी सौंपेंगे तो आप अवश्य कामयाब होंगे और आप बहुत अच्छे नतीजे निकलने की आशा कर सकते हैं। इसका फायदा यह होगा कि देहाती लोग बहुत ज्यादा तादाद में इनश्योरेंस करायेंगे। जो नजरिया (दृष्टिकोण) आपका है कि देहातों में इस चीज़ को फैलाया जाये उसमें आपको कामयाबी तभी मिल सकती है अगर आप कोई रूलर कारपोरेशन की स्थापना करें। इसलिये, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिये से यह कहना चाहता हूँ कि एक कारपोरेशन रखने के बजाये अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम दो कारपोरेशनस ज़रूर रखी जानी चाहियें। जो रूरल कारपोरेशन होगी वह देहातों में जो स्कीमें चलाई जायेंगी, चाह वे बड़ी हों या छोटी, स्माल स्केल इंडस्ट्री (छोटे पैमाने के उद्योग) हो या काटेज इंडस्ट्री, (कुटीर उद्योग) जो भी देहात में स्कीम या इंडस्ट्री चलाई जायेगी उसको कर्ज़ा देगी। इससे आप जो काटेज इंडस्ट्री को या स्माल स्केल इंडस्ट्री को देहातों में बढ़ावा देना चाहते हैं उसमें भी कामयाब होंगे। आप जानते ही हैं हमारा मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि देहाती इलाकों में स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, काटेज इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा नहीं दिया जाता और उनको चलाने के लिये कर्जों का बन्दोवस्त नहीं किया जाता। यह

[सरदार इकबाल सिंह]

काम बड़ी आसानी से इस कारपोरेशन को सौंपा जा सकता है। इसके जरिये से देहाती इलाकों में कर्ज़ देने का काम किया जा सकता है। इसलिये मैं फिर कहता हूँ कि अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम दो कारपोरेशंस जरूर बनाई जायें। आपका जो मकसद नेशनलाइज़ करने का है वह एक कारपोरेशन के निर्माण से हल नहीं हो सकता है। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अवश्य दो कारपोरेशंस बनायें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को ३·१५ पर समाप्त करना है ।

सरदार इकबाल सिंह : इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ और वह यह है कि आप जो कारपोरेशन बनायेंगे उसमें आपने कहा है कि १५ मैम्बर होंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनमें से कुछ ऐसे आदमी भी लिये जायें जो कि देहातों की नुमाइंदगी करने वाले हों ताकि यह कारपोरेशन देहाती तौर पर सोचने के काबिल हो सके और देहातों में इसको फैलाने की बात को आसानी से सोच सके और क्या देहातियों की जरूरियात होती हैं उनको अनुभव कर सके। जिस नुक्तेनज़र (दृष्टिकोण) से आपने इनश्योरेंस को नेशनलाइज़ किया है उसमें आप कामयाबी तभी हासिल कर सकते हैं जब आप देहातों के कुछ नुमाइंदे भी इसमें रखें। मैंने देखा है कि जो सिंधरी फरटिलाइज़र फैक्टरी है उसमें जो मेम्बर लिये गए हैं वे शहरी लोग ही लिये गये हैं जिनको कि यह फिक्र नहीं है कि खाद की कीमत घटती है या बढ़ती है और उनका जो नज़रिया है वह देहाती नहीं है हालांकि खाद का ज्यादातर इस्तेमाल देहातों में ही होता है ? इस वास्ते यदि आप चाहते हैं कि इनश्योरेंस को देहाती इलाकों में भी ले जाया जाए तो यह जरूरी है कि इसमें आप ऐसे आदमी भी लें जो कि देहातों की नुमाइंदगी करते हों। चाहे आप जोनल काउंसल्ज़ (क्षेत्रीय परिषदें) बनायें, चाहे जोंज़ (क्षेत्र) बनायें, या यह जो अशोक मेहता साहब ने कहा है कि एक नेशनल काउंसल बनायें, चाहे यह बनायें लेकिन इन सब में आप ऐसे आदमी जरूर लें जो कि देहातों की नुमाइंदगी करते हों।

एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि आप खर्चे को कम करने का अवश्य यत्न करें। आपको पूरी कामयाबी तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि आप खर्चे को कम नहीं करते। मैं चाहता हूँ कि जो लोग इस वक्त मुलाजिम हैं उनको रखा जाये और उनको निकाला न जाये। लेकिन आपको यह भी जरूर देखना चाहिये कि जो लोग जितनी काबलियत के मालिक हैं उनको उसके मुताबिक ही तनख्वाह दी जायें। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग कम्पनियों ने ऐसे रखे हुए थे जिनको कि नाजायज तौर पर तनख्वाह ज्यादा दी जाती थी। जब तक आप खर्चे को कम नहीं करेंगे तब तक आपका जो मकसद (उद्देश्य) है उसमें आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। कम्पनियां ऐसे आदमी भी रख लेती थीं जिनको कि वह फेवर (पक्ष) करना चाहती थीं और न कि इसलिये कि वे इनश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिये उन्हें रखती थीं। इस वास्ते मैं चाहता हूँ कि हर एक आदमी को उसकी काबलियत के मुताबिक ही तनख्वाह दी जाये और इस तरह से जो खर्चा है उसको कम किया जाये ।

आखिरी बात मुझे कम्पेंसेशन के बारे में कहनी है। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कोई एक यूनिवर्सल पालिसी (व्यापक नीति) कम्पेंसेशन (प्रतिकर) के मुतल्लिक बनाये और जब भी कोई व्यापार वह अपने हाथ में ले, उसके मुताबिक ही वह कम्पेंसेशन दे। हर एक केस (मामले) में अलहदा अलहदा कम्पेंसेशन देने का मतलब यह होता है कि किसी आदमी को ज्यादा कम्पेंसेशन दे दी जाती है और किसी को कम। में यह नहीं चाहता हूँ कि आप कोई रिजिड पालिसी (सख्त नीति) बना लें और हमेशा ही उसी के मुताबिक चलें और उसी के मुताबिक ही हमेशा कम्पेंसेशन दें। मैं चाहता हूँ कि कोई उसूल बना लेने चाहियें और उन्हीं के मुताबिक कम्पेंसेशन भी दी जानी चाहिये। इस

†मूल अंग्रेजी में

केस में मैं यह महसूस करता हूँ कि कम्पेंसेशन बहुत ज्यादा दी जा रही है। मैं यह नहीं कहता कि जब जमींदारों की जमीनें भी ली जायें उनको भी उसी ढंग से कम्पेंसेशन दी जाये जिस ढंग से कि शहरों में इंडस्ट्रियलिस्ट्स (उद्योगपतियों) को जो कि करोड़ों के मालिक होते हैं उनको दी जाती है। इन लोगों को जो आप कम्पेंसेशन देते हैं वह बड़ी दरिया दिली (उदारता) से देते हैं। इस वास्ते मैं चाहता हूँ कि एक पालिसी होनी चाहिये कि जब भी आप कोई व्यापार या कोई काम अपने हाथ में लें तो नैशनल कम्पेंसेशन स्कीम (राष्ट्रीय प्रतिकर योजना) के मुताबिक ही कम्पेंसेशन दें।

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : श्रीमान्, चूंकि जीवन बीमा (आपात उपबन्ध) विधेयक दोनों सदनों में पहले ही पारित किया जा चुका है, जिसमें राष्ट्रीयकरण का सिद्धान्त स्वीकार किया गया है, यह कहा जा सकता है कि इस विधेयक का सिद्धान्त भी मान लिया गया है। अतः उसे ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक नहीं कि मैं वर्तमान चर्चा के दौरान रखे गये सभी तर्कों का फिर से उत्तर दूँ।

पहले के विधान के सम्बन्ध में श्री गोपालन ने एक छोटी सी बात उठायी है जो इस बड़े विधेयक के सम्बन्ध में उत्पन्न नहीं होती और वह ऐसे व्यक्तियों को अभिरक्षक के तौर पर नियुक्ति के विषय में है जो स्वतः राष्ट्रीयकरण के विरोधी हैं। इतनी छोटी और व्यक्तिगत बात फिर उठाये जाने पर मुझे आश्चर्य है। मैंने स्थिति के तथ्यों पर विचार किया है। वास्तव में केवल दो अभिरक्षक ही ऐसे थे जिन्होंने राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर किसी समय अपनी राय जाहिर की थी। मुझे विश्वास है कि एक बार १९४६ में वक्तव्य दिया गया था और दूसरे वक्तव्य को तो राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध नहीं कहा जा सकता। मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यद्यपि इस विधेयक के लागू होते ही कोई अभिरक्षक न रहेगा, फिर भी राष्ट्रीयकरण के प्रति किसी भी अभिरक्षक की सिद्धान्ततः अरुचि नहीं है। वास्तव में सभी को इस नये काम के लिये उत्साह है और वे सरकार को पूरा-पूरा सहयोग दे रहे हैं।

यहां पर उठाई गई अनेक बातें प्रवर समिति के विचार का विषय है और अन्य कुछ बातें भावी निगम अथवा उसके स्थान पर की जाने वाली अन्य कोई व्यवस्था के मार्ग दर्शन के लिये हैं। मेरे यह बताने के बावजूद कि हमने अमुक व्यवस्था जैसे एक निगम या अनेक निगम, एकाधिकार का प्रश्न आदि क्यों की है, कुछ बातें फिर दोहरायी गई हैं। यहां भी प्रवर समिति के सामने दोनों पक्ष रहेंगे और उन पर निर्णय करना प्रवर समिति के हाथ में होगा।

श्री एन० सी० चटर्जी ने कहा है कि केवल प्रशासन की ढिलाई के कारण ही कदाचारों को बढ़ने दिया गया था। यह तो ठीक उसी तरह है कि आप हमारी आंखों में उंगलियाँ डालिये और हमसे पूछिये कि रोते क्यों हो। इस सम्बन्ध में मुझे शकुन्तला में दिया गया यह श्लोक याद आ रहा है:— "कुतः किल स्वयमक्षिणी आकुली कृत्याश्रुकारणं पृच्छसि" मेरे विचार से गैर-सरकारी क्षेत्र ने जो रुख लिया है वह ठीक इसी तरह का है। फिर भी, प्रशासन की ढिलाई दिखाने के लिये अधिक उदाहरण नहीं दिये गये हैं। वास्तव में राष्ट्रीयकरण करने के निश्चय के बाद ही हमने पहली बार यह सुना कि बीमा नियंत्रक ने कड़ाई नहीं की। अभी तक किसी वाणिज्य मंडल अथवा उद्योगपति अथवा व्यापारी ने सरकारी नियंत्रण की ढ़िलाई की शिकायत नहीं की है। जीवन बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधियों की एक कार्यपालिका समिति बनाई गई है जिसमें सरकारी कर्मचारी केवल दो ही हैं अर्थात् आर्थिक कार्य विभाग के सचिव और बीमा नियंत्रक। इस समिति का मुख्य उद्देश्य जीवन बीमा व्यवसाय की कार्यप्रणाली के स्तल में सुधार के उपाय ढूंढना है। दूसरी ओर उनकी शिकायत यह थी कि बहुत अधिक नियंत्रण रहा। जहां तक बीमे का सम्बन्ध है, वास्तव में नियंत्रण कभी ढीला नहीं रहा, यद्यपि हमने यह मान लिया है कि कम्पनी कानून के मामले में प्रशासन वहां तक न पहुँच

†मूल अंग्रजी में

[श्री सी० डी० देशमुख]

सका जहा तक कि उसका पहुँचना वांछनीय था। बीमा और नियंत्रण के तरीके के बारे में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि यह केवल तभी सफल हो सकता है जबकि वे लोग जिन्हें यह नियंत्रण करना होता है, पूर्ण रूप से सहयोग की भावना से बर्ताव करें। आज कोई चाहे जो कहे, किन्तु वह सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है ।

मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जीवन बीमा उद्योग स्वत: अपने को ठीक करने का कोई प्रयत्न करना नहीं चाहता था। तब किसी भी नियंत्रण से चाहे वह कितना ही सावधान अथवा कार्यकुशल क्यों न होता, इस प्रकार के कदाचार बन्द नहीं किये जा सकते थे। बाहरी नियंत्रण किस प्रकार निर्रथक बनाया जा सकता है इसके कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक बीमा कम्पनी ने उसी प्रबन्ध के अधीन एक दूसरी संस्था से १ करोड़ रुपये के मूल्य पर कोई इमारत खरीदी। दिये गये मूल्य की तसदीक के एक नहीं बल्कि दो प्रमाणपत्र कम्पनी के पास थे। किन्तु बाद में अनुसंधान किये जाने पर यह पता लगा कि मूल्य बहुत अधिक था। फिर, अधिनियम के अनुसार, एक ही प्रबन्ध के अधीन कम्पनियों को ऋण देना निषिद्ध है किन्तु अनेक कम्पनियों ने इस उपबन्ध से बच निकलने के बहुत अच्छे तरीके ढूंढ निकाले थे। जिस कम्पनी को ऋण की आवश्यकता होती है उसके शेयर साल में पहले ही खरीद लिये जाते हैं और उसी समय उसी कम्पनी के साथ एक सहमत आंकड़े पर साल के आखिर में उनकी वापस बिक्री के लिये एक ठेका तय कर लिया जाता है। सभा इससे सहमत होगी कि यह निश्चय ही एक ऋण है। सरकार यह कैस जाने कि शेयरों में विनियोजन ऋण को छिपाने का एक साधन है। फिर एक बीमा कम्पनी के संचालक बोर्ड ने यह प्रथा अपनायी कि विनियोजन के लिये संचालकों के पास काफी बड़ी धनराशियाँ छोड़ दी जाय तो उनके हाथ में बहुत लंबे समय तक रहें। बाद में उस कम्पनी के मामलों के अनुसंधान पर लेखापरीक्षक ने यह निर्णय दिया कि वह व्यवस्था ऋण देने के बराबर ही थी। नियंत्रक इन व्यवस्थाओं को कभी नहीं रोक सकते थे क्योंकि ये सौदे लेखा-जोखा में बिलकुल नहीं दिखाये गये थे। संचालकों के पास पड़ी धनराशियों को कम्पनियों की अभिरक्षा में पड़ी धनराशियों के तौर पर दिखाया गया। यदि विभाग को इसकी जानकारी हो जाती और उसने इस पर आपत्ति की होती तो निश्चय ही इन्हीं लोगों ने यह कहा होता कि यह प्रबन्ध के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप है। बीमा कम्पनियों की निधियों से सट्टा खेलने की प्रथा भी सामान्य है। मैं इसे सामान्य इसलिये कहता हूँ कि एक वित्तिय पत्रिका ने इस बात को सिद्ध किया है। मैं आपको एक दृष्टान्त की याद दिलाता हूँ कि प्रबन्धकों ने ऋण-पत्र कैसे जारी किये ताकि उनके अधीन बीमा कम्पनियों पर वह जबर्दस्ती लादे जायें। अनेक बीमा कम्पनियों में प्रचलित कदावार के ये कुछ थोड़े से उदाहरण हैं। यह बात नहीं कि ये उदाहरण छोटी अथवा बुरी कम्पनियों के हैं बल्कि उन कम्पनियों के हैं जिनके प्रबन्ध-बोर्ड प्रसिद्ध थे। यह कहना कठिन है कि नियंत्रक किस प्रकार की कड़ाई करते कि ये कदाचार बन्द हो जाते। संचालक बोर्ड और नियंत्रक केवल ऐसी जानकारी के आधार पर कार्य कर सकता है जो कि संविहित प्रतिवेदनों से प्राप्त हुई हो, जिसका प्रमाण नियमानुसार संचालक-बोर्ड तथा लेखा परीक्षक द्वारा किया गया हो और यदि आवश्यकता पड़े तो जिसका समर्थन मूल्यांकिकों के प्रमाण पत्रों द्वारा किया गया हो। यदि मैं कोई प्रस्थापना रखता कि उपरोक्त प्रकार के कदाचार रोकने के लिये आवश्यक अतिरिक्त अधिकार नियंत्रक को दिये जायें, तो आप सभी लोग इसका घोर विरोध करते। मुझे सभा से यह कहना चाहिये था कि वह नियंत्रक को यह अधिकार दे कि जहां प्रबन्ध पर उसे विश्वास न हो वहाँ बीमा कम्पनी के विनियोजन के प्रत्येक सौदे का निरीक्षण करने के लिये वह एक पदाधिकारी नियुक्त करे। मैं तो यह भी कहता कि जहाँ आवश्यक हो वहां सरकार की इच्छानुकूल एक अध्यक्ष, एक प्रबन्ध संचालक भी नियुक्त करने का अधिकार उसे दिया जाय। मुझे विश्वास है कि मेरे अनेक

मित्रों ने ऐसी प्रस्थापना का स्वागत नहीं किया होता। जैसा कि मैंने बताया है यह कार्यवाही केवल कदाचारों के कारण ही नहीं बल्कि इस विषय के सिद्धान्त, योजना की आवश्यकतायें, बीमाधारियों को पूर्ण सुरक्षा देने की आवश्यकता और ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा फैलाने की वांछनीयता के कारण की गई है। राष्ट्रीयकरण के बारें में इतना कहना पर्याप्त है।

यह दावा कि गैर-सरकारी बीमाकर्ताओं ने १९३८ और १९५४ के बीच इस नये व्यवसाय में बहुत बड़ी वृद्धि की है और यह एक बहुत प्रशंसनीय बात है, मैं दूर करना चाहता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि उपरोक्त अवधि में व्यवसाय में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है किन्तु इस पर विचार करते समय हमें यह ध्यान में रखना चाहिये कि क्या यह वृद्धि उचित लागत पर हुई है, क्या उसके साथ-साथ अवांछित कदाचार भी आये हैं या नहीं और अन्य देशों की तुलना में वह कहां तक है। उसी अवधि में सर्वोत्कृष्ट प्रबन्ध वाली कम्पनियों के पुनर्नवीकरण व्यय अनुपात बढ़ते रहे हैं। अतः यह विस्तार पूर्ण सफलता नहीं है। १९५४ में महत्वपूर्ण वृद्धि बहुत अंशों तक बीमा दरों में काफी कमी के कारण हुई थी। नये व्यापार की लालसा में अनेक कम्पनियों ने तो अपने बीमाधारियों को पुराना बीमा समाप्त करने और नये दरों का लाभ उठाने के हेतु नया बीमा कराने के लिये कहा। लाइफ आफिसेज़ असोसियेशन के प्रेसिडेन्ट ने कहा कि उन्होंने पुराने बीमों का पुनर्नवीकरण कर दिया है। इससे न तो कम्पनियों को और न बीमाधारियों को ही लाभ हुआ है। कुछ वृद्धि इस कारण भी हुई कि कर्मचारि योंजनाएं चालू की गईं। किन्तु योजनाओं के साथ-साथ इतने कदाचार आये कि उद्योग ने स्वतः इन योजनाओं को समाप्त कर देने का निश्चय किया।

नये व्यापार में इस तथाकथित वृद्धि को जाँचते समय यह भी याद रखना चाहिये कि इस देश में युद्धकालीन और युद्धोत्तर कालीन मुद्रा-स्फीति कहीं अधिक थी और अन्य देशों की अपेक्षा यहाँ युद्ध कार्य में अंशदान बहुत कम हुआ था। इसलिये यदि १९३५ और १९४६ के बीच की अवधि को हम छोड़ दें तो, व्यवसाय की वृद्धि केवल ३६ प्रतिशत है जो सभी विकसित देशों की तुलना में सब से कम है। वास्तव में जापान, इटली, फ्रान्स, टर्की जैसे देशों ने, जो बीमे के क्षेत्र में भारत जैसे ही कम विकसित हैं, १९७ से ५४७ प्रतिशत तक वृद्धि दिखायी है।

आगे कुछ सदस्यों ने सामान्य बीमे के राष्ट्रीयकरण, पशु बीमा तथा फसल बीमा चालू करने और ग्रामीण बीमा, स्वास्थ बीमा इत्यादि के लिये एक अलग निगम बनाने की आवश्यकता पर विचार करने का निर्देश किया है। ये सब बहुत प्रोत्साहन देने वाले विचार हैं, किन्तु उन पर विचार करने के लिये सरकार को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने पहले ही बताया है, इस विधेयक का क्षेत्र इतना नहीं बढ़ाया जा सकता कि इस प्रकार के विचार उसमें कार्यान्वित किये जायें, इसलिये मैं यदि उसकी उपेक्षा करूँ तो यह नहीं समझा जाना चाहिये कि मेरी इन सुझावों के उद्देश्यों के प्रति सहानुभूति नहीं है, किन्तु मैं फिर दोहराता हूँ कि जहाँ तक पशु बीमा और फसल बीमा का सम्बन्ध है, ये बहुत कठिन प्रश्न हैं और मुझे संदेह है कि हमारे देश में इस समय ऐसी दशाएं विद्यमान हैं जिनके अन्तर्गत ऐसी संस्थायें स्थापित की जा सकें। इसमें संदेह नहीं कि एक बार निगम स्थापित हो जाने पर वह अन्य प्रकार के बीमों के बारे में भी विचार करेगा कि उन्हें कहां तक अपने अधीन लिया जा सकता है। अन्य प्रकार के व्यवसायों को अपने अधीन लेने की ताकत को तौलना उसका अपना काम है।

मैंने सहकारी बीमा कम्पनियों को निर्देश किया था क्योंकि यह सुझाव दिया गया था कि उन्हें अपना व्यवसाय जारी रखने की अनुमति दी जाये। आप को याद होगा कि इस सभा में और राज्य सभा में भी इस आशय का एक संशोधन जीवन बीमा (आपात उपबन्ध) विधेयक पर विचार करते समय रखा गया और वह अस्वीकृत हो गया था। मेरे विचार से उसे अस्वीकार करने के कारण बिल्कुल ठीक थे। एक तो यह कि राष्ट्रीयकरण का सर्वोत्कृष्ट परिणाम तभी मिल सकता

[श्री सी० डी० देशमुख]

है जब योजना एक एकाधिकार हो। अतः कुछ बीमाकर्ताओं को व्यवसाय जारी रखने की अनुमति देना ठीक नहीं होगा। दूसरा यह कि केवल राष्ट्रीयकृत योजना ही बीमाधारियों को पूर्ण सुरक्षा की प्रत्याभूति दे सकती है। अतः उनके बीमा संविदाओं के अधिन जिन लोगों ने बीमा कराया है, उन्हें नुक्सान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। सहकारी बीमा कम्पनियां पूर्ण सुरक्षा नहीं दे सकती। तीसरा कारण यह था कि सहकारी समितियों को मुक्त रखने का अर्थ बीमा कम्पनियों के विभिन्न वर्गों में भेदभाव करना होगा।

अब एकाधिकार का प्रश्न आता है जिस पर अनेक वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किये हैं। मैं इसे फिर दोहराता हूँ कि जैसी कि इस देश में स्थिति है, गैर-सरकारी चालकों के साथ उचित शर्तों पर स्पर्धा करना राज्य के लिये संभव नहीं है। कुछ कम्पनियों के प्रबन्ध से हमें यह कटु, अनुभव प्राप्त हुआ है। अतः इस विशिष्ट क्षेत्र में सह-अस्तित्व के लिये कोई स्थान नहीं है।

श्री अशोक मेहता ने एक यह बात कही थी कि जिन बीमाकर्ताओं ने १९३८ के पहले भारत में कार्य करना बन्द कर दिया था, और जिन पर बीमा अधिनियम के उपबन्ध लागू नहीं होते, उन्हें भी इस विधेयक के क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये। १९३८ में जब बीमा अधिनियम बनाया गया तब विदेशी बीमाकर्ताओं को यह आश्वासन दिया गया था कि जो भारत में व्यवसाय बन्द करना चाहते हों वे वैसा कर सकते हैं और उस दशा में उन पर अधिनियम लागू नहीं होगा। आधे दर्जन से कम कम्पनियों ने ही इस रियायत से लाभ उठाया। अधिनियम की धारा २ (ङ) से वे अधिनियम से मुक्त थे। वे कोई लेखे प्रस्तुत नहीं करते और न भारत में कोई आस्तियां रखना उनके लिये आवश्यक है। अतः मेरी राय में इन कम्पनियों का व्यापार भी ले लेना अव्यवहार्य होगा क्योंकि इसकी कोई प्रत्याभूति नहीं कि बीमाधारियों के प्रति दायित्व पूरा करने के लिये भारत में पर्याप्त आस्तियाँ उपलब्ध होंगी। अतः बीमाधारियों के हित इसी में सुरक्षित रहेंगे कि उन हितों की देखभाल उन्हें कम्पनियों पर छोड़ दी जाये जिन्होंने उनका बीमा किया था और जिन के बारे में बीमाधारियों कोई शिकायत नहीं की है। फिर चूंकि इन कम्पनियों ने १९३८ से भारत में कोई नया कारबार नहीं किया है, उनका चालू कारबार बहुत कम होगा।

इसके बाद व्यवसाय के क्षेत्र के बारे में उसी वक्ता ने एक यह बात उठायी थी कि जिस प्रकार विदेशियों की जीवन-बीमा पालिसियां लौटायी जा रही हैं उसी प्रकार हमें निगम को वह सभी बीमा पालिसियां हस्तांतरित कराने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये जो भारतीयों ने भारत के बाहर विदेशी कम्पनियों के साथ की है। विचार करने पर माननीय सदस्य को जानकारी होगी कि उनका सुझाव व्यवहार्य नहीं है। विदेशी समवायों का भारतीय व्यवसाय तो हस्तगत किया जा चुका है परन्तु जहां तक भारतीयों द्वारा लिये गये विदेशी समवायों के बीमा-पत्र, जो भारतीय व्यवसाय का भाग नहीं है, का सम्बन्ध है, ये प्रत्यावर्तित नहीं की जा सकती थी क्योंकि उस व्यवसाय पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। दूसरे शब्दो में हम अपनी व्यवस्था से सहमत हो सकते हैं परन्तु बीमा का दूसरे देश में राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है तथा जब तक उस दूसरे देश के भी इसी प्रकार के भाव न हों तब तक इस सम्बन्ध में पारस्परिकता नहीं हो सकती थी।

एक सामान्य प्रश्न उठाया गया है कि हमें इस व्यवसाय का विस्तार देहात में करना चाहिये। इस सुझाव के सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं है। परन्तु मुझे संदेह है कि क्या यह उद्देश्य एक अलग निगम स्थापित करके प्राप्त किया जा सकता है। मेरा विचार है कि ऐसा करके एक निगम में, नये व्यवसाय के अधिक खतरों का सामना करना होगा तथा हमारी इस व्यवसाय के विलय की तथा देहातों में बीमा कराने की भावना को फैलाने की वर्तमान योजना बहुत अच्छी है।

दूसरा प्रश्न यह उठाया गया कि दिवालिया समवायों के मामलों में भी संविदाओं में कमी नहीं होनी चाहिये। इस प्रश्न के सम्बन्ध में मैं अपने प्रथम भाषण में बता चुका हूँ तथा सभा को आश्वासन दे चुका हूँ कि मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता परन्तु मैं बीमाधारियों के साथ उदार व्यवहार करूँगा। इसलिये सभा निश्चिन्त रहे कि हम अपराधी व्यक्तियों, जिन्होंने बीमाधारियों के धन का दुरुपयोग किया है, के विरुद्ध प्रत्येक संभव कार्यवाही करेंगे तथा इस प्रकार हम बीमाधारियों के सर्वोत्तम हितकारी बनने का प्रयत्न करेंगे।

इस सुझाव के सम्बन्ध में कि इस प्रकार के समवायों के अंशधारियों को कोई प्रतिकर नहीं मिलना चाहिये, हम नहीं समझ सके। यह प्रश्न उठा ही कैसे क्योंकि परिभाषा के अनुसार, इन समवायों में अंशधारियों का कुछ रह ही नहीं जाता है जिसको वह वापस ले सकें। बीमाधारी ऋणदाता हैं तथा उनके संविदे अंशधारियों के पूर्ण धन के विनियोजन के पश्चात् कम किये जा सकते हैं।

निगम की विनियोग नीति के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये गये हैं। इस समय मैं केवल यह कह सकता हूँ कि इस प्रयोजन के निर्मित विनियोग समिति के परामर्श से निगम का मार्ग-दर्शन होगा तथा इस समिति में, निगम के सदस्यों के अतिरिक्त, वह व्यक्ति भी होंगे जिनको इस विषय का विशेष ज्ञान होगा, हमारा विचार, यह स्पष्ट कर देने का है कि किस प्रकार के विनियोजन से निगम को बचाना चाहिये तथा किस विशेष प्रकार के विनियोजन पर, सम्मति सूचक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये। योजना के अनुसार स्थापित उपक्रमों को, अन्य उपक्रमों से अधिक मान्यता दी जानी चाहिये तथा विनियोग नीति, मुख्यतः बीमाधारियों के हितों तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना और अन्य योजनाओं द्वारा चालू विकास के हितों के विचारों पर आधारित होगी।

इस सम्बन्ध में, मैं कुछ सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विचारों, कि देहातों से एकत्रित धन, देहातों के विकास में व्यय हो, की ओर निर्देश करूँगा। मेरा विचार है कि ऐसा कहना एक भारी गलती होगी क्योंकि जो धन वहां एकत्रित होगा उससे बहुत ज्यादा हम आज देहातों पर खर्च कर रहे हैं। सिंचाई कार्यों, लघु सिंचाई कार्यों, कृषि सुधार, सामुदायिक परियोजनाओं, राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं, स्थानीय विकास कार्यों, ग्राम्य समाज कल्याण योजनाओं तथा इसी प्रकार की अन्य चीज़ों पर हमारा विनियोग देहातों की अच्छाई के लिये ही है तथा इन सब कार्यों की तुलना में, निकट भविष्य में हम जो प्राप्त करेंगे वह सागर में बिन्दु के समान होगा। इसलिये मेरा विचार है कि इस प्रकार का बनावटी भेदभाव करने से कोई लाभ होगा।

एक सदस्य ने बीमा समवायों द्वारा धन को भारत के औद्योगिक उधार तथा विनियोग निगम के शेयरों में विनियोजित करने के सम्बन्ध में पूछा है। इसमें संदेह नहीं है कि बीमा समवायों के सभी विनियोजनों पर पुनरीक्षण होगा तथा इस प्रकार के विनियोजनों को समाप्त करने के लिये उचित कार्यवाही की जायेगी जिनसे लाभ न हों अथवा जो दिये गये वचनों या सामान्य नीति के विरुद्ध हों।

जहां तक इस विशेष निगम का सम्बन्ध है, संभवतया माननीय सदस्य का प्रश्न हमारे द्वारा दिये गये इस आश्वासन के सम्बन्ध में है कि यह उस संस्था के प्रबन्ध में बाधा नहीं डालेगा। निश्चित रूप से सरकार की यही नीति है तथा यह नीति, सरकार के, इस निगम में पर्याप्त संख्या में शेयरों को लेने के कारण बदल नहीं जायगी।

एक यह सुझाव दिया गया कि एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय बीमा परिषद् होनी चाहिये। मैं नहीं कह सकता कि इसके पक्ष अथवा विरोध में हमारे जो विचार हैं वह निश्चित हैं। प्रवर समिति ही इस पर गम्भीरता से विचार करेगी।

[श्री सी० डी० देशमुख]

बहुत से वक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किये हैं कि निगम को अपने कार्य किस प्रकार करने चाहिये तथा यह स्वायत्तता तथा समन्वयता दोनों का लाभ किस प्रकार उठा सकता है। श्री अशोक मेहता ने सुझाव दिया कि प्रतिकर समस्या की तुलना में, संगठन समस्या पर कम ध्यान दिया गया है। मेरा वक्तव्य अधिकांशत इसी पर होने का यह अर्थ नहीं है कि संगठन समस्या पर विचार नहीं किया गया है। सच यह है कि प्रारम्भ से ही सर्वोपरि प्राथमिकता इसी प्रश्न को दी गई है। यदि हमने निगम के संगठन का केवल ढांचा ही दिया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमने इस पर विचार नहीं किया है। प्रत्युत बहुत सी अन्त: सम्बद्ध समस्याओं पर अधिक विचार के द्वारा ज्ञात हुआ कि अपरिवर्तनशीलता किसी भी प्रकार नहीं आनी चाहिये तथा मेरा विचार है कि इससे अधिकांश माननीय सदस्य सहमत होंगे। हमारा विचार है कि कई समस्याओं के सम्बन्ध में निश्चित फैसले करके हमें निगम के स्वविवेक पर एक तरह की रोक नहीं लगा देनी चाहिये। इस तरह से इसका लचीलापन समाप्त होगा तथा इससे निगम का कठिन कार्य और भी कठिन बन जायगा।

हम सब इससे सहमत हैं कि निगम व्यवसायिक पद्धति पर काम करने वाली एक स्वायत्त-शासी संस्था हो। चाहे कोई व्यक्ति शब्द 'वाणिज्यिक पद्धति' अथवा अन्य मामले से सहमत है या नहीं, इस बात पर प्रवर समिति में विचार हो सकता है।

निगम का केन्द्रीय कार्यालय प्रथमत: मुख्य मामलों, जैसे प्रीमियम की दरें, विनियोजन नीति, कर्मचारी विनियमन, सेवा की शर्तों, आन्तरिक लेखा परीक्षा त्था निरीक्षण सम्बन्धी नीतियां बनायेगा जिससे खण्ड संगठनों के कार्यवहन के स्तर में एक समानता रह सके। ये संगठन, इनके लिये निर्धारित कर्त्तव्यों में भी स्वायत्तशासी होंगी। ये, व्यवसाय बढ़ाने, विकास, योजना तथा पुनरीक्षण, मूल्यांकन भरती, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, खण्डीय कार्यालयों का अधीक्षण, आदि से सम्बन्धित होंगी। निगम की स्वायत्तता केवल सरकार के समय समय पर दिये गये निदेशों से ही सीमित होगी। तथा मैं श्री एन० सी० चटर्जी के इस सुझाव से सहमत नहीं हूँ कि हम इस प्रकार के निदेशों के विषय भी स्पष्ट कर दें। मेरा विचार है कि कार्यपालिका का सभा के प्रति उत्तरदायित्व है कि निगम के लिये उचित नीति निदेशों को जारी करने के अधिकार पर कोई आघात न करे। सरकार को इस सम्बन्ध में निगम के मार्गदर्शन का अधिकार अपने हाथ में रखना चाहिये कि जीवन बीमा व्यवसाय का विकास किस प्रकार हो क्योंकि निगम के विशिष्ट कर्त्तव्यों से, मामले कहीं अधिक बड़े हैं। हमारा यह विचार नहीं है कि निगम के दिन प्रतिदन के कार्यों में हस्तक्षेप किया जाये, हस्तक्षेप केवल तभी होगा जब कि यह सिद्ध हो जायगा कि निगम, सरकार द्वारा स्वीकृत लोक नीति के विरुद्ध काम कर रहा है। इस प्रकार हमारा भी विचार माननीय सदस्यों के सुझावों के अनुसार जैसे अधिकतम अधिकारों को देना, अधिकतम स्वायत्तता देना तथा साथ ही साथ पर्याप्त समन्वयता के प्रबन्ध करना, ही है।

निगम के निर्माण की विशिष्टताओं के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न किये गये हैं। मुझे अभी योजना की जानकारी नहीं हुई है यद्यपि माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि बीमाधारियों, कर्मचारियों, बाह्य कर्मचारियों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिये। एक सदस्य ने तो यह भी कहा कि संसद् सदस्यों तथा विधान सभाओं के सदस्यों का केन्द्रीय अथवा राज्य स्तर पर, प्रतिनिधित्व होना चाहिये? परन्तु मेरा विचार है कि यह व्यर्थ है क्योंकि संसद् सदस्यों पर अतिरिक्त उत्तरदायित्व डालना ठीक नहीं है। उनके पास अभी बहुत अधिक काम है। मुझे संदेह है कि इस प्रकार की संख्या प्रतिदिन का व्यवसाय सुचारु रूप से चला सकेगी। इसका यह अर्थ नहीं है कि विधान सभाओं के सदस्य मितव्ययता तथा बीमा के उद्देश्य का अपने निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार न करें।

मैं यह कह सकता हूँ कि प्रवर समिति इस प्रश्न पर विचार करने का प्रयत्न करे कि निगम के सदस्यों की श्रेणियों की विशिष्टिता निर्धारित करना उचित है अथवा नहीं, जहां तक मेरा अनुमान है

वह यह निर्णय करेगी कि इस मामले को कम से कम उस समय तक के लिये छोड़ देना चाहिये जब तक हमें कुछ अनुभव नहीं हो जाता है। जैसी कि आपको जानकारी है यह श्रेणियों की परिभाषा का प्रश्न नहीं है प्रत्युत केन्द्रीय निगम तथा खण्ड संस्थाओं की परामर्शदाता समितियों में उपयुक्त कर्मचारियों को रखने का प्रश्न है।

एक सुझाव दिया गया था कि राज्यों की संख्या के अनुसार खण्ड होने चाहिये। हमारा विचार है कि बहुत खण्डों से समन्वय की समस्या कठिन हो जायेगी। सभी बातों पर विचार करने पर, हम चार खण्डों से काम प्रारम्भ कर सकते हैं। प्रत्येक के अधीन कई विभागीय कार्यालय होंगे। इन विभागीय कार्यालयों के क्षेत्र राज्य सीमाओं के समान हो सकते हैं। एक राज्य में एक से अधिक विभागीय कार्यालय भी हो सकते हैं। परन्तु यदि एक खण्ड में व्यवसाय लक्ष्य से अधिक बढ़ जाता है तब निगम को, खण्ड कार्यालय बनाने से कौन रोक सकता है। अतिरिक्त खण्ड कार्यालय बनाने का उपबन्ध विधेयक में है।

मेरे विचार से माननीय सदस्यों ने कर्मचारियों तथा उनकी सेवा शर्तों और वेतन के सम्बन्ध में ठीक ही चर्चा की है। मेरा विचार है तथा जैसा कि आपने भी बताया है कि खण्ड १० के सम्बन्ध में कुछ गलतफहमी है। जैसी स्थिति इस समय है ऐसी तब तक रहेगी जब तक निगम इस पर विचार करता है। उपखण्ड (२) बहुत अधिक वेतन के सम्बन्ध में है जिसकी सूचना हमें भी मिली है। मेरा यह विचार नहीं है कि अभिनवीकरण की विधि का निगम के साधारण कर्मचारी पर कुछ असर पड़ेगा। हमारी यह इच्छा है कि सभी कर्मचारी व्यवसाय के विस्तार के साथ साथ विलीन कर लिये जायें बजाय इसके कि उनकी इस समय छंटनी की जाये तथा व्यवसाय के विस्तार पर इनको फिर ढूंढ़ा जायें हमें आशा है कि व्यवसाय बढ़ेगा।

वेतन आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में, मेरा विचार है कि यह मामले निगम को सौंप देने चाहिये, उसी प्रकार मैं यह भी उचित नहीं समझता हूँ कि कर्मचारियों की श्रेणियां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा बताई जायें।

फील्ड वर्कर्स के सम्बन्ध में, हमारा यह विचार नहीं है कि सभी एजेन्टों की सेवाओं को समाप्त कर दिया जाये। परन्तु एजेन्टों की कुछ श्रेणियों के उपयोग के सम्बन्ध मतभेद हो सकता है। इन मामलों पर निगम को बड़ी सावधानी से विचार करना होगा। यह माननीय सदस्यों का ही अधिकार नहीं है कि छंटनी को रोकने की मांग करें क्योंकि यदि हमें उस हद तक काम नहीं मिलेगा जिस हद तक कि हम धन लगायेंगे तो मेरा विचार है कि हम बीमाधारियों के साथ भलाई नहीं कर रहे हैं। उनका हित हमारे दिल में सर्वोपरि होना चाहिये।

इसके पश्चात् न्यायधिकरण के लिये कार्य के आबण्टन का प्रश्न आता है। खण्ड १३ तथा १४ को एक ओर रख कर इसका अर्थ यह होगा कि अनुसूची में दिये गये प्रतिकर के उपबन्धों को हटाना होगा क्योंकि हमारा विचार है कि इससे बहुत झगड़े बढ़ जायेंगे और प्रतिकर के भुगतान में देर होगी। विधेयक में प्रतिकर के सिद्धान्त निर्धारित कर देना, केवल हर एक के लिये अच्छा ही नहीं होगा प्रत्युत प्रतिकर के सिद्धान्तों को लागू करने का संसद को अवसर भी मिलेगा। मुझे खेद है कि ये मामले इतने उलझे हुये हैं कि बैंकों, बीमा समवायों भूमि अर्जन तथा अन्य चीज़ों के सम्बन्ध में प्रतिकर देने के लिये एक अथवा समान सिद्धान्त लागू नहीं हो सकते। प्रत्येक मामले पर उसके हिताहित के अनुसार निर्णय होगा।

हम, विदेशी बीमा समवायों को अधिक आस्तियों तथा प्रतिकर के भुगतान की योजना के औचित्य के सम्बन्ध में बता चुके हैं। प्रतिकर प्रदत्त पूंजी के हाथ से चले जाने के लिये नहीं दिया जाता है अपितु बीमा कम्पनियों से भविष्य में होने वाली आय के हाथ से चले जाने के लिये दिया जाता है।

[श्री सी० डी० देशमुख]

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

कहा गया है कि नियमों को तब तक लागू न किया जाए जब तक कि संसद को उनकी जांच का मौका न मिले। हमारा विचार है कि यदि नियम लागू होने से पूर्व, संसद की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत होंगे तो इससे निगम की स्थापना में व्यर्थ की देर होगी। मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि बीमा अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों को संसद की स्वीकृति की अपेक्षा नहीं होती है।

एक सुझाव दिया गया कि बीमा अधिनियम १९३८ के उपबन्धों को लागू करना सरकार पर नहीं छोड़ना चाहिये तथा संसद यह निश्चय करे कि कौन-सा उपबन्ध लागू होना चाहिये। ठीक है। प्रतीत होता है कि एक सदस्य यह समझ सके कि निगम ही इस पर निर्णय करेगा। यदि वे धारा को दुबारा पढ़ें तो उनको जानकारी होगी कि सरकार इसका निर्णय करेगी। हमारी यह इच्छा है कि हम इस पर प्रवर समिति में विचार करें, तथा निर्णय करें कि निगम पर कौन-सी धारा लागू होनी चाहिये।

सब से अन्त में, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस राष्ट्रीयकरण के विषय में सदस्य कुछ डरपोक हैं।

कृत्ययोर्भिन्नदेशत्वाद्वैधीभवति मे मनः

उनके हृदय में झिझक है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि वह शकुन्तला के उस भ्रमर के समान है जो कि जब सूखे कुन्द पुष्प के सामने था :

भ्रमर इव विभाते कुन्दमन्तस्तुषारं।
न चखलु परिभोक्तुं नैवशक्नोमि हातुम् ।।

वे आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं तथा साथ ही साथ वह इसको छोड़ देना भी नहीं चाहते हैं। मेरा परामर्श है कि वह साहस से आगे बढ़े।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत में जीवन बीमा व्यवसाय के लिये स्थापित निगम को इस प्रकार का सारा व्यवसाय हस्तान्तरित करने की, जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण तथा निगम के विनियम और नियंत्रण की और उससे सम्बन्धित या प्रासंगिक मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को इस सभा के सदस्यों की एक प्रवर समिति को, जिसमें श्री बी० जी० मेहता, श्री श्यामनन्दन सहाय, श्री अनिरुद्ध सिंह, श्री एस० के० पाटिल, श्री श्रीमन्नारायण, श्री सी० पी० मात्तन, श्री फिरोज गांधी, श्री राधेलाल व्यास, श्री रायचन्द, भाई एन० शाह, श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन, श्री विमलाप्रसाद चालिहा, श्री एस० आर० तेलकीकर, श्री आर० वेंकट्रामन्, श्री टेक चन्द, श्री टी० एन० सिंह, श्री टेकूर सुब्रह्मण्यम्, पंडित कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री आर० आर० मोरारका, श्री जी० एल० बंसल, श्री एम० डी० जोशी, श्रीमती सुषमा सेन, श्री एस० आर० राने, श्री वी० बी० गांधी, श्री बी० आर० भगत, श्री साधन चन्द्र गुप्त, श्री के० आनन्द नम्बियार, श्री तुषार चटर्जी, श्री के० एम० वल्लाथरास, श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी, श्री के० एस० राघवाचारी, श्री तुलसीदास किलाचन्द, श्री यू० एम० त्रिवेदी, श्री जी० डी० सोमानी, श्री आर० वेलायुधन, और प्रस्तावक हों सौंपा जाय और समिति को यह अनुदेश दिया जाय कि वह १६ अप्रैल, १९५६ तक अपना प्रतिवेदन दे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं श्री बी० जी० मेहता को प्रवर समिति का सभापति नियुक्त करता हूँ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आय-व्ययक सम्बन्धी प्रस्तावों का भेद खुल जाना

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम नियम २१२ के अधीन चर्चा आरम्भ करेंगे जिसकी पूर्व-सूचना डा० लंका सुन्दरम ने दी है । अब पहले श्री एम० सी० शाह वक्तव्य देंगे और उसके पश्चात् चर्चा आरम्भ होगी ।

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : आपकी अनुमति से मैं एक वक्तव्य दूंगा । पिछले तीन अवसरों पर जबकि यह प्रश्न उठा था मैं लोक-सभा में उपस्थित नहीं था क्योंकि मैं राज्य-सभा में संलग्न था । अतः मैं सभा को बताना चाहूंगा कि मुझे किस प्रकार सूचना मिली और तत्पश्चात् मैंने क्या कार्यवाही की ।

२९ फरवरी को मैं बम्बई में था । दोपहर के भोजन के पश्चात् लगभग २ बजे जब मैं आय-कर आयुक्त के कार्यालय जाने के लिये तैयार हो रहा था, जहाँ मैंने आयुक्त से और उसके पश्चात् समवाय विधि विभाग के पदाधिकारियों से चर्चा करना तय किया था, मुझे बम्बई के मुख्य मंत्री का टेलीफोन मिला जिन्होने मुझे बताया कि लगता है कि कुछ आय-कर प्रस्तावों का भेद खुल गया है और वह कोई पत्र मुझे दिखाना चाहते हैं । मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भेद भी खुल सकता है । मैंने उन्हें बताया कि मैं पदाधिकारियों की बैठक समाप्त होने के पश्चात् लगभग ४·३० बजे सायं उनसे मिलूंगा । उन्होंने मुझसे कौंसिल हाल में आने के लिये कहा क्योंकि उस समय वह वहीं होंगे ।

मैं लगभग ४·१५ बजे आय-कर कार्यालय से चला और लगभग ४·३० बजे मुख्य मंत्री से मिला । उन्होंने वहां मुझे टाइप किये हुये कागज़ के तीन पन्ने दिये । मैंने उन्हें पढ़ा और बताया कि पन्नों की कुछ कंडिकायें आय-व्ययक भाषण के भाग 'ख' की भांति हैं किन्तु मैं यह नहीं कह सका कि उसमें जो कुछ लिखा है वह सही है अथवा नहीं क्योंकि मैंने आय-व्ययक भाषण नहीं देखा था और आय-व्ययक भाषण से मिलाने पर मुझे उसमें कुछ अन्तर मिला था । उन्होंने मुझ से कहा कि वे पन्ने मैं वित्त मंत्री को दे दूं और इसकी जांच करके उन्हें बता दूं । उन्होंने मुझसे इच्छा प्रकट की कि मैं इसका उल्लेख गृह मंत्री से भी कर दूं ।

लगभग ४·५५ पर मैं कौंसिल हाल से हवाई अड्डे के लिये चल पड़ा । शाम को हवाई जहाज़ से मैं दिल्ली आया और लगभग ११ बजे रात्रि को अपने निवास स्थान पर पहुंचा । अगले दिन प्रातः मैंने आय-व्ययक भाग 'ख' से उस कागज़ को मिलाया और यह देखा कि टाइप की कुछ मामूली गलतियों के अतिरिक्त उस कागज़ और वित्त मंत्री द्वारा दिये गये आय-व्ययक भाषण के भाग ख के सुसंगत अंशों में केवल एक ही विशेष अन्तर था ।

मैंने तत्काल ही वित्त मंत्री से सम्पर्क स्थापित किया, और लगभग ९ बजे प्रातः उनसे मिला । वह कागज़ उन्हें दिया और बम्बई में क्या-क्या हुआ था यह सब भी बताया। तत्पश्चात् की गई कार्यवाही वित्त मंत्री द्वारा सभा में बताई जा चुकी है । मैंने गृह-मंत्री को यह बात इस कारण नहीं बताई थी क्योंकि वित्त मंत्री ने यह तय किया था कि एक टिप्पणी तैयार की जानी चाहिये और विशेष पुलिस संस्थान द्वारा जांच करने के लिये उसे गृह मंत्री के पास भेजी जानी चाहिये । वित्त मंत्री के यहां से वापस लौटने पर मैंने बम्बई के मुख्य मंत्री को बता दिया कि वे कागज़ मैंने वित्त मंत्री को दे दिये हैं और यह भी बता दिया था कि पड़ताल करने पर पता चला है कि उन कागज़ों में कुछ हेर-फेर के साथ आय-व्ययक भाषण के भाग 'ख' के उद्धरण उनमें हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खुल जाना

†**डा० लंका सुन्दरम** (विशाखापटनम) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य है कि राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री श्री एम० सी० शाह ने इस वक्तव्य देने में २० दिन लगा दिये । प्रधान मंत्री मेरी इस बात से सहमत हैं कि अभी तक इस बारे में जो वक्तव्य दिये गये हैं उनसे काफी भ्रान्ति ही नहीं वरन् वे कुछ विरोधी भी हैं किन्तु प्रधान मंत्री को उनके साथियों ने कुछ भी ठीक से नहीं बताया था ।

सब से बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री को दिल्ली लौटे ७ दिन हो गये तो भी उन्होंने आय-व्ययक का भेद पहले से खुल जाने के विषय में कुछ भी नहीं कहा । प्रधान मंत्री ने अन्त में १२ तारीख को यह कहा कि श्री देसाई को यह सूचना 'अभी कुछ समय पूर्व' मिली है ।

इस सम्बन्ध में जो भिन्न-भिन्न वक्तव्य दिये गये हैं उनकी ओर मैं केवल एक प्रयोजन से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जब एक स्थगन-प्रस्ताव की ३ तारीख को पूर्व-सूचना दी गई थी, यहां तक कि १२ तारीख तक प्रधान मंत्री को ठीक से नहीं बताया गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें एक वक्तव्य देना पड़ा । इसमें बहुत अन्तर हो जाता है । इतना ही २८ फरवरी के अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के कई समाचार पत्रों में आय-व्ययक प्रस्ताव प्रकाशित हो चुके थे। इसकी जांच की जानी चाहिये। स्वयं प्रधान मंत्री ने ३ मार्च को कहा था कि जब आय-व्ययक पर विचार हो रहा था तभी किसी मंत्रालय को द्वारा उसका भेद खुल गया है । बाद को उन्होंने फिर कहा कि इससे किसी को अधिक लाभ नहीं हो सकेगा क्योंकि उन्हें इसकी पहले से जानकारी नहीं थी । जब कि राज्य सभा में वित्त मंत्री ने यह कहा कि आय-व्ययक पहले से मालूम हो गया है जिसकी पुष्टि २९ को ही हो गई थी । इसके बाद प्रधान मंत्री को वक्तव्य की व्याख्या करते हुये उन्होंने ६ मार्च को फिर कहा कि आय-व्ययक प्रस्ताव जिस समय बनाये जा रहे थे, और अन्तिम रूप से बन नहीं सके थे, तभी उन्हें कोई उड़ा ले गया । यह सब कहने का मेरा तात्पर्य इतना ही है कि इस सभा को जबकि पर्याप्त, विस्तृत और सही-सही जानकारी प्राप्त करने का पूरा अधिकार प्राप्त है, उसे आय-व्ययक का भेद खुल जाने के १२ दिन पश्चात् जाकर कहीं इसकी सूचना दी गई ।

आपके ध्यान से एक बात रह गई, जिसका मैं निवेदन करना चाहूँगा । आपको स्मरण होगा कि ६ मार्च को आपने सभा में कहा था कि वित्त मंत्री ने इस विषय में पता लगते ही इस सभा को इसकी सूचना दे दी होगी । इससे विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है क्योंकि यह प्रश्न राज्य-सभा में उठाया गया था ।

इस सम्बन्ध में आपने अपना विनिर्णय कल दिया था । मैं अब इस प्रश्न को पुनः नहीं उठा रहा हूँ । आपकी और सभापति की अनुमति से मैं इन्हीं दोनों महत्वपूर्ण बातों को ले रहा हूँ ।

मैं आपके इस विनिर्णय से पूर्णतया सन्तुष्ट हूं कि वित्त मंत्री का आय-व्ययक के भेद खुल जाने में कुछ भी हाथ नहीं है । अपने इस सम्बन्ध में थामस और डाल्टन के दो उदाहरण भी प्रस्तुत किये थे । किन्तु १२ ता० को दो महत्वपूर्ण बातें ये कही थीं कि सभा को यह देखना चाहिये कि क्या इसके लिये कोई मंत्री उत्तरदायी है, और यदि ऐसा है भले ही न्यायालय में यह मामला ले जाया जाय अथवा नहीं किन्तु क्या कार्यवाही की जानी चाहिये, इसका निर्णय हो जाना चाहिये । दूसरी बात आपने यह कही थी कि संसद् को आय-व्ययक का भेद खुल जाने के उत्तरदायी ठहराय गये मंत्री के आचरण की जांच करने और उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही करने की पर्याप्त शक्ति प्राप्त है ।

अब यदि वित्त मंत्री इसके लिये उत्तरदायी नहीं हैं तो मैं यह जानना चाहूंगा कि कौन मंत्री इसके लिये उत्तरदायी है ? इसका उत्तर सभा को मिलेना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खुल जाना

प्रधान मंत्री ने कहा कि इसका भेद तो राष्ट्रपति भवन में स्थापित सरकारी प्रेस से खुला। मैं और कुछ नहीं जानता केवल इतना ही जानना चाहता हूँ कि आखिर इस सबका उत्तरदायित्व किस मंत्री पर है ? और जो भी मंत्री इसके लिये उत्तरदायी हो उसे सभा के सम्मुख आकर वक्तव्य देना चाहिये।

समाचार पत्रों में तरह-तरह के समाचार प्रकाशित हो रहे हैं। जब यह कहा जाता है कि प्रेस का अधीक्षक इसके लिये उत्तरदायी है क्योंकि उसे इन सीलबन्द पत्रों को खोलना चाहिये और अपने तथा दो सचिवों की उपस्थिति में उसे इन्हें छपवाना चाहिये। यह अधीक्षक महोदय कौन हैं और इस गोपनीयता के लिये वह किसके अधीन काम करते हैं। वे सचिव कौन हैं ? ये सचिव किन मंत्रालयों के होते हैं ? इन सब बातों पर सभा को कुछ भी नहीं बताया गया है। और बहुत-सी बातें आगे चल कर उत्पन्न हो सकती है। क्या यह भी सच है कि प्रेस का अधीक्षक मंत्री का रिश्तेदार है ?

मैंने एक अल्प-सूचना प्रश्न भी पूछा उसका उत्तर यह कह कर नहीं दिया गया कि अभी पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है। मैं चाहता हूँ कि सभा को यह बताया जाये कि राष्ट्रपति भवन वाले प्रेस का प्रशासकीय नियंत्रण किसके हाथ में है ? पहले तो राष्ट्रपति भवन में यह काम नहीं होता था। अतः यह प्रबन्ध किसके कहने से और कब से होने लगा ?

आप हाउस आफ कामन्स में १९५४ में घटित त्रिचेल डाउन के मामले से परिचित हैं। ज्यों ही उक्त मामले में असैनिक कर्मचारियों के ऊपर टीका-टिप्पणी की गई, सर थामस उण्डेल ने तत्काल अपने ऊपर सारा उत्तरदायित्व ले लिया था और अपना त्याग-पत्र दे दिया जो स्वीकृत भी हो गया।

इस सम्बन्ध में जांच करने के विषय में स्वयं वित्त मंत्री ने अपने ६ तारीख के भाषण में कहा था कि सभा को यह अधिकार है कि वह जब से भी चाहे, जांच करना प्रारम्भ कर दे और हम उसकी सहायता करेंगे। मैं चाहूंगा कि आय-व्ययक का भेद खुल जाने और कौन मंत्री इसके लिये उत्तरदायी है, इसका पता लगाने के लिये एक समिति बननी चाहिये। आशा है आप इस पर विचार करेंगे और उचित समय पर इस बारे में अपना विनिर्णय देंगे।

अब मैं कार्य-सूची में अपने नाम दर्ज दूसरी बात को अर्थात् आय-व्ययक को गुप्त रखने के प्रश्न को लेता हूं। मैं जो सुझाव सरकार को दूंगा उससे उसकी शक्ति दृढ़ होगी, अतः उन्हें स्वीकार किया जाये। इसके पश्चात् मैं आपका ध्यान वित्त मंत्री द्वारा ६ तारीख को दिये गये वक्तव्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक मंत्री केवल अपने से सम्बन्धित मंत्रालय के बारे में ही जानता है। कोई भी मंत्री यह नहीं जानता कि वह क्या भाषण देगा। इस तरह मंत्रियों के कथनों को मिला कर क्या परिणाम निकलेगा, मैं नहीं कह सकता ? वित्त मंत्री ने बताया है कि अभी भी स्टेनो-टाइपिस्ट, जो संयुक्त सचिव के कमरे में बैठता है, इस बारे में जानता है यदि ऐसा है तो यह बात पहले क्यों नहीं बताई गई ?

हिन्दी अनुवाद के बारे में जब मैंने उनसे चर्चा के मध्य में पूछा तो उन्होंने बताया कि जहाँ तक उन्हें स्मरण है, १९ तारीख को उन्हें करके दिया गया था। पिछले बीस वर्षों से यह प्रथा चली आ रही है कि आय-व्ययक प्रस्ताव और विशेषकर करारोपण प्रस्तावों के बारे में मंत्री के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। सारे संसार में यह प्रथा है। आय-व्ययक का सारा उत्तरदायित्व वित्त मंत्री पर ही होता है। करारोपण प्रस्तावों के अन्तिम रूप से तय हो जाने के पश्चात् वे मंत्रिपरिषद् के किसी भी व्यक्ति को नहीं बताये जाने चाहिये। हाउस आव कामन्स में यही होता है। इसी प्रकार इंग्लिस्तान में चांसलर आफ एक्सचेकर व्यक्तिगत रूप से देश की आर्थिक और वित्तीय नीतियों के उत्तरदायी होता है। हमारे यहां प्रक्रिया भिन्न है। हम सभा की कार्यवाही के नियम २१७ के अधीन किसी व्यक्तिगत मंत्री के बारे में नहीं अपितु मंत्रि-परिषद पर विश्वास या उसमें कमी पर मत ले सकते हैं। मैं इस बात को

खुल जाना

[डा० लंका सुन्दरम]

इस कारण कह रहा हूं कि पहली बार ही आय-व्ययक का भेद नहीं खुला है। यह ऐसा विषय है जिस पर आपको तत्काल ही और गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये ।

अब मैं दूसरी बात को लेता हूं। आय-व्ययक के भाग (क) और (ख) को साथ-साथ छपाने की प्रक्रिया क्यों और कब अपनाई गई थी, इससे आप भी भली भांति परिचित हैं। उसी अनुभव के आधार पर मैं कहता हूँ कि भाग (ख) को भाग (क) के साथ नहीं छपवाना चाहिये। इसका केवल यही तात्पर्य निकलता है कि आय-व्ययक प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व केवल वित्त मंत्री पर रह जाता है। पहले वित्त मंत्री या तो हाथ से लिख कर अथवा स्वयं टाइप करके आय-व्ययक प्रस्तुत करता था और उसके पश्चात् उसकी प्रतियां तैयार होकर समाचारपत्रों को दी जाया करती थीं ।

समाचारपत्र वालों को इससे कुछ निराशा होगी। आप उन्हें कुछ घंटे पहले दें या देर से इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता किन्तु मैं इस बात पर पुनः जोर देना चाहता हूँ कि भाग (क) और भाग (ख) साथ-साथ नहीं छपाये जाने चाहिये ।

आपको स्मरण होगा कि गत वर्ष भी भाग (ख) का भेद पहले ही खुल गया था जब कि मैंने बताया था कि यह ग़लती हो गई है ।

एक दूसरा ठोस सुझाव मैं यह देना चाहता हूँ कि अन्तर्कालीन कर-संग्रह अधिनियम में तत्काल संशोधन होना चाहिये। यह बहुत पुरानी चीज़ है जिसमें सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है। इससे यह होगा कि वित्त मंत्री को स्वयं आय-व्ययक प्रस्तुत न करके केवल एक अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी ।

आय-व्ययक का भेद न खुल सके इसके लिये मेरा एक सुझाव यह है कि वजाय इसके कि वित्त मंत्री करारोपण प्रस्तावों को पढ़ कर सुनायें उनके द्वारा भाग (ख) की व्याख्या की जाने के पश्चात् सभा एक प्रस्ताव पारित कर लिया करे। हाउस आफ कामन्स में यही प्रथा है। इससे प्रकाशन में भी कोई असुविधा नहीं होगी ।

आय-व्ययक सम्बन्धी सुधारों के बारे में भी मुझे दो-तीन ठोस सुझाव देने हैं। आय-व्ययक बहुत ही संक्षिप्त होना चाहिये। इससे प्रतिनिधिकारी सरकार की संवैधानिक रक्षा की जाय सकती है। इसमें आय और नक़द भुगतानों का लेखा रहता है। हम जानते हैं कि १९५१-५२ के आय-व्ययक में लिखी हुई राशि और मंत्री द्वारा बताई गई संवरण शेष की राशि में ६० हज़ार का अन्तर हो गया था। अतः इसमें सुधार होना बहुत आवश्यक है ।

इंग्लैंड की प्रथा का कुछ अंशों में पालन हमारे यहां भी विनियोग विधेयक आदि में होता है। क्या आय और व्यय का एक साथ विवरण देने के अतिरिक्त और कोई इससे अच्छा तरीका नहीं अपनाया जा सकता है क्योंकि इसमें मंत्री के पास तक पहुंचने में ६-७ महीनों का अन्तर पड़ जाता है। अतः कोई ऐसा तरीका अपनाया जाना चाहिये जिससे आय-व्ययक में सुधार किया जा सके जिसके बिना यह सभा कभी भी ठीक नतीजे पर नहीं पहुंच सकती ।

मेरा सुझाव है कि २८ फरवरी के या उसके आस-पास आय-व्ययक प्रस्तुत करने के बजाय ३१ मार्च को प्रस्तुत किया जाया करें जिससे यह लाभ होगा कि वित्त मंत्री को एक मास का समय अनेक बातों का पता लगाने के लिये और मिल जायेगा। इस कारण वह अधिक ठीक-ठीक वक्तव्य दे सकेंगे। मेरा यह मत है कि आय-व्ययक सम्बन्धी चर्चाओं को एक ही सत्र में समाप्त न करके इनको दो सत्रों में किया जाना चाहिये, ताकि सदस्यों को अपनी शिकायतों को प्रकट करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सके। हाउस आफ कामन्ज में भी यही प्रक्रिया है। एक ही सत्र में इतना अधिक काम होने और समय का अभाव होने के कारण इन पर अच्छी तरह चर्चा नहीं की जा सकती ।

खुल जाना

वित्त विधेयक के विरुद्ध मुझे बड़ी शिकायत यह है कि इसमें दो प्रकार के कर हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यहां केवल आय-व्ययक का भेद खुल जाने के बारे में ही विचार प्रकट किये जाने चाहियें ।

†**डा० लंका सुन्दरम् :** इस विधान में वार्षिक करों और स्थायी संविधियों को इकट्ठा कर दिया गया है जिसकी ओर मैं सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मैं आशा करता हूं कि सरकार आय-व्ययक को गुप्त रखने और इसका भेद न खुलने देने तथा इसमें आवश्यक सुधार लाने का प्रयत्न करेगी ।

†**श्री ए० के० गोपालन:** (कन्नानूर) : मैंने ३ मार्च को आय-व्ययक का भेद खुल जाने के बारे में स्थगन-प्रस्ताव रखा था । उपमंत्री ने बताया है कि बम्बई के मुख्य मंत्री ने उनको २९ तारीख को २ बजे दोपहर इस के बारे में बताया था । इस का यह अर्थ है कि बम्बई के मुख्य मंत्री को उस से पहले इस बात की सूचना मिली होगी । मैं जानना चाहता हूं कि उनको यह बात कब मालूम हुई । जब उन्हें पहले से यह बात मालूम हो गई थी, तो उन्होंने वित्त मंत्री या प्रधान मंत्री को इसकी सूचना दी होगी । इस अवस्था में २९ तारीख को आय-व्ययक पुर: स्थापित करते समय इस भेद के खुलने का और उसमें तथा वास्तविक बजट के अन्तरों का उल्लेख किया जा सकता था ।

इसमें बम्बई के मुख्य मंत्री का उत्तरदायित्व है, क्योंकि उन्हें सूचना मिलते ही वित्त मंत्री या प्रधान मंत्री को तुरन्त इसकी सूचना देनी चाहिये थी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** बम्बई के मुख्य मंत्री पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, इसलिये उनके उत्तर-दायित्व के बारे में यहां चर्चा नहीं की जानी चाहिये ।

†**श्री एस० एस० मोरे :** (शोलापुर) : स्वर्गीय अध्यक्ष महोदय ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा था कि इस सभा के विशेषाधिकार के मामले में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस सभा के क्षेत्राधिकार में न हो ।

†**अध्यक्ष महोदय :** कल मैं ने विनिर्णय दिया था कि यह सभा के विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है ।

†**श्री ए० के० गोपालन :** यदि आप चाहते हैं तो मैं यह नहीं पूछूंगा कि बम्बई के मुख्य मंत्री ने यह सूचना यहां भेजी यां नहीं । परन्तु यह बड़े महत्व की बात है कि उनको यह सूचना २९ को प्रात: मिली या उससे पहले । इसी कारण मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इसकी जांच-पड़ताल के लिये एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये ।

†**श्री एम० सी० शाह :** २९ तारीख को प्रात: ९ बजे मैं बम्बई के मुख्य मंत्री को उनके जन्म-दिवस पर बधाई देने के लिये गया था, परन्तु उन्होंने उस समय इसका कोई उल्लेख नहीं किया । यदि उनके पास वह पर्चे होते तो वह अवश्य ही मुझे बताते । उन्होंने २ बजे मध्याह्न पश्चात इस बात का उल्लेख किया ।'

†**श्री ए० के० गोपालन :** जब माननीय मंत्री को मालूम था कि इस बात पर चर्चा होगी, तो उन्हें यह सूचना पहले ही दे देनी चाहिये थी । जन्म दिन के अवसर पर लोगों के एकत्रित समूह में बजट का भेद खुल जाने का कोई उल्लेख नहीं किया करता ।

तो प्रकट यह हुआ कि मंत्री महोदय को २ बजे दोपहर यह सूचना मिली और उन्होंने तुरन्त वित्त मंत्री को इसकी सूचना नहीं दी । और दोनों मंत्रियों ने इसकी जांच के अन्दर दो-तीन दिन व्यतीत कर दिये । प्रधान मंत्री को इसकी सूचना स्थगन-प्रस्ताव के प्रस्तुत किये जाने पर ३ तारीख को मिली ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ए० के० गोपालन]

मंत्री महोदय को तुरन्त बम्बई से वित्त मंत्री को सूचना देनी चाहिये थी और यहां आते ही उनसे मिलना चाहिये था। परन्तु उन्होंने अगले दिन जांच करके फिर इसके बारे में वित्त मंत्री से बातचीत की। १ और २ तारीख तक प्रधान मंत्री को भी इसकी सूचना नहीं मिली। केवल ३ तारीख को उन्हें इस बात का पता चला।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मुझे उस दिन प्रातः ९ बजे मालूम हुआ जब वित्त मंत्री ने मुझे टेलीफोन किया।

†**श्री ए० के० गोपालन** : यह बड़े महत्व की बात है और जब बम्बई के लोगों तथा दिल्ली में मंत्री लोगों को यह बात मालूम हो गई थी, फिर इस सभा को इसकी सूचना न दी जाना देश की जनता और इस सभा की अपेक्षा करना है। मंत्री महोदय को वित्त मंत्री को और वित्त मंत्री को प्रधान मंत्री को तथा फिर सभा को तुरन्त इस तथ्य की सूचना दी जानी चाहिये थी। किन्तु ऐसा नहीं किया गया, इसलिये मैं कहता हूं कि इस मामले को बहुत गम्भीर नहीं समझा गया।

इतना ही नहीं, बीमा अध्यादेश का भी भेद खुल गया था, जिसके बारे में कहा गया कि यह केवल आध घण्टा पहले प्रकट हुआ था, इसलिये कोई बड़ी बात नहीं है। गृह-कार्य मंत्री से मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने इन बातों की सूचना दी है, उन्हें बताया जाना चाहिये, अन्यथा भविष्य में वे कभी ऐसी सूचना नहीं देंगे।

लोगों में यह बात फैली हुई है कि आय-व्ययक के अतिरिक्त देश की प्रतिरक्षा और दूसरे महत्वपूर्ण मामलों के भी भेद खुल रहे हैं।

इसका उत्तरदायित्व केवल प्रबंधक या अधीक्षक पर लगाना ठीक नहीं है। वास्तव में इसकी गम्भीरता की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया, और न ही इसकी शीघ्र सूचना दी गई और न ही शीघ्र जांच की गई।

हम जानना चाहते हैं कि बम्बई के मुख्य मंत्री को किससे और कब इसकी सूचना मिली। ताकि यदि यह आय-व्ययक प्रस्तुत होने से पहले मालूम हुई थी, तब भी कुछ किया जा सकता था। इसलिये इसकी गम्भीरतापूर्वक जांच करने के लिये सभा की एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये।

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** (मैसूर) : जिस प्रकार शकुन्तला के माता और पिता ने उसे पालने के उत्तरदायित्व से इनकार कर दिया था, उसी प्रकार आय-व्ययक का भेद खुल जाने के लिये कौन उत्तरदायी है, इसका हमें पता नहीं है।

आय-व्ययक के भेद खुल जाने का पता इसी वर्ष लगा है, किन्तु चार वर्षों से ऐसा होता चला आ रहा है और आय-व्ययक के भेद बिकते रहे हैं। चार वर्षों के बाद इन लोगों ने इसे खुले बाजार बेचना आरंभ किया तब इसका पता चला। वही लोग आयात और निर्यात सम्बन्धी पाबंदियों और सुविधाओं के भी भेद मालूम करते रहे हैं। मंत्रालय को इसकी सत्यता की जांच करनी चाहिये।

इस सम्बन्ध में एक व्यक्ति श्री चड्ढा गिरफ्तार किया गया है जो प्रति वर्ष आय-व्ययक के भेद प्रकट किया करता था। सिक्योरिटी प्रेस के एक व्यक्ति को ७०० रुपये घूस देकर भेद मालूम किये गये थे।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची—पश्चिम—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : यह मामला न्यायालय के सामने है, तो क्या यह समस्त मामले हमारे पर्यवेक्षण से बाहर हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (पण्डित जी० बी० पन्त)** : साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है और एकत्रित किया जा चुका है। मुझे ठीक मालूम नहीं कि इसका चालान पेश कर दिया गया है या नहीं, संभवतः अभी नहीं, किन्तु मुझे इसका पक्का पता नहीं है ।

†**श्री राघवाचारी** : (पेनुकोंडा) : जब मामला पुलिस को सौंप दिया जाये, इसकी चर्चा करना उचित नहीं होता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रक्रिया के नियमों में यह नियम है कि जो मामले न्याय-निर्णयन के लिये सभा के समक्ष हों, उनके ब्योरे का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये । साधारण रूप से इसका वर्णन किया जा सकता है, परन्तु इसके ब्यौरे का उल्लेख करने से इसके सम्बन्ध में निष्पक्ष न्याय और निर्णय होने में बाधा उत्पन्न होती है । इस प्रयोजन के लिये विस्तृत बातों की आवश्यकता नहीं है । अतः विस्तृत बातों का उल्लेख किये बिना अपनी स्थिति को दृढ़ करने के लिये सदस्य अन्य बातों की चर्चा कर सकते हैं ।

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : मैं विस्तृत बातों की चर्चा नहीं करना चाहता । यह व्यक्ति ऊंचे अधिकारियों का कृपापात्र था और इसे सचिवालय के प्रत्येक भाग में जाने की इजाज़त थी । क्या यह बात सच है ?

मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि आयव्ययक का भेद खुलने के समय यह व्यक्ति बम्बई के राजभवन में था, जहां पुलिस को उसे गिरफ्तार करने की समस्या थी ।

मुझे यह भी पता चला है कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का एक कर्मचारी इसका सम्बन्धी है और एक महिला भी इसमें अन्तर्ग्रस्त है । ये सब लोग आयव्ययक के भेद प्रकट करके खूब धन कमा रहे थे ।

आय-व्ययक बड़ा गुप्त और महत्वपूर्ण मामला है । वास्तव में, अब राष्ट्रपति भवन के सिक्योरिटी प्रेस में सब प्रकार का काम होने के कारण इसका खूब विस्तार हो गया है, जिस कारण यहां भेद सुरक्षित नहीं रखे जा सकते ।

पहले आय-व्ययक के प्रकाशन के समय एक संयुक्त सचिव वहां रहा करता था, जो इसके छप जाने के पश्चात इसे सुरक्षित स्थान पर संभाल कर रखा करता था । परन्तु अब इस मामले में बहुत ढील हो गई है ।

आय-व्ययक पत्रों के हिन्दी अनुवाद होने के कारण अब यह अधिक लोगों में प्रकट हो जाता है जो पहले नहीं होता था ।

फिर इस भेद प्रकट होने के लिये कौन उत्तरदायी है ? फोरमैन को उत्तरदायी कहा जाता है, परन्तु मैं पूछता हूं कि क्या प्रकाशन आदि सब कामों का अकेला वही प्रभारी था। यदि वह समस्त प्रेस प्रशासन का प्रमुख नहीं है, तो दूसरे संबद्ध अधिकारियों के विरुद्ध क्यों कार्रवाई नहीं की गई है ? प्रकाशन के प्रभारी संयुक्त सचिव और दूसरे बड़े अधिकारियों पर क्यों उत्तरदायित्व नहीं लगाया गया ?

आय-व्ययक के भेद खुलने के उत्तयदायी व्यक्तियों की जांच करने के लिये समिति नियुक्त की जाने के बारे में डा० लंका सुन्दरम् ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका हार्दिक समर्थन करता हूं ।

†**श्री श्रीमन्नारायण** (वर्धा) : अभियुक्त का कोई भी सम्बन्धी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का कर्मचारी नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : जिन लोगों ने यह अपकृत्य किया है, सरकार को उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिये ।

सुस्ती और बेईमानी भिन्न भिन्न चीजें हैं। सरकारी कर्मचारी की अवैध लाभ के लिये बेईमानी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस मामला विशेष में सरकार के विश्वस्त लोगों ने बेईमानी और उनके अधीक्षक लोगों ने बड़ी सुस्ती और लापरवाही से काम लिया है। निस्सन्देह, वित्त मंत्री के कामों में शंका नहीं की जा सकती, किन्तु दफ्तर का काम करने वाले बड़े अधिकारी अवश्य बहुत लापरवाह हैं जो अपना काम ईमानदारी के साथ नहीं करते ।

इस प्रकार की गुप्त बात का भेद खोलना देश-द्रोह से कम नहीं है। हमें इसे मामूली बात नहीं समझना चाहिये। सरकार के पास सैंकड़ों गुप्त अभिलेख होते हैं। यदि इस प्रकार इस भेद के खुल जाने के लिये उत्तरदायी लोगों को उचित दण्ड न दिया गया, तो सरकार के सभी गुप्त और गोपनीय काम में बड़ी बाधा उपस्थित हो जायेगी। आय-व्ययक प्रस्ताव अत्यन्त गुप्त और गोपनीय होते हैं और तभी प्रकट होते हैं, जब वित्त मंत्री सभा में उन्हें प्रकट करते हैं। अब वह समय आ रहा है कि हमें और अधिक बातों को गुप्त रखना होगा। जब आय-व्ययक के भेद खुल सकते हैं, प्रतिरक्षा के भेद भी खुल सकते हैं। इसलिये हमें सतर्क रहना चाहिये। यदि बड़े-बड़े वेतन पाने वाले कर्मचारी अपने देश या राष्ट्र के कल्याण की तनिक परवा नहीं करते और अपने कर्तव्यों का उचित पालन नहीं करते, तो हमें इन गुप्त बातों को रखने वाले अधिकारियों पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिये। मैं विस्तृत चर्चा में नहीं जाना चाहता। यह सच है कि बेईमान व्यापारी सदैव इस बात के लिये उत्सुक रहते हैं कि संसत्सदस्यों से आय-व्ययक के बारे में कुछ मालूम किया जाये। कुछ लोग जो इधर-उधर चक्कर लगाते रहते हैं इस प्रकार के कार्यों को करते हैं। परीक्षा के प्रश्न पत्र तो हमारे यहां समय से पहले प्रकट हो जाते हैं। पिछले दो-तीन वर्षों से ऐसा होता आ रहा है। परीक्षा के प्रश्नपत्रों के सम्बन्ध में पहले से जानकारी प्राप्त करने में लोगों को एक प्रकार का आनन्द अनुभव होता है। हमें इस प्रवृत्ति का इसी अवस्था पर अंत कर देना चाहिये था।

आय-व्ययक के प्रस्तावों के प्रकटीकरण गम्भीर जांच की जाकर अपराधियों को कठोर दण्ड देना चाहिये भले ही इसके लिये हमें विधि में भी परिवर्तन क्यों न करना पड़े।

†**श्री बंसल** (झज्जर-रेवाड़ी) : यह अत्याधिक गम्भीर विषय है। मेरा विचार है कि इस विषय में लोक-सभा के साथ न्याय नहीं किया गया है। आय-व्ययक के प्रस्ताव किस समय और किस प्रकार प्रकट हो गये इन बातों का अभी तक कोई निश्चित उत्तर नहीं है ।

माननीय मित्र डा० लंका सुन्दरम् यह जानना चाहते थे कि इस अवसर पर आय-व्ययक के प्रस्ताव प्रकट हो जाने के लिये सभा के समक्ष कौन मंत्री उत्तरदायी हैं। मेरी धारणा है कि आय-व्ययक को तैयार करने वाला मंत्रालय ही लोक-सभा के समक्ष उत्तरदायी है जिस विभाग अथवा मंत्रालय में यह घटना हुई है उससे सम्बन्धित मंत्री को लोक-सभा में यह बात स्पष्ट रूप से कह कर अपनी गलती मंजूर करनी चाहिये। मुझे प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री ने ऐसा किया है। वर्तमान परिस्थिति में सारी समस्या के जटिल हो जाने का कारण यह था कि आय-व्ययक तो वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। छपाई दूसरे मंत्रालय में की जाती है। भविष्य में यह वित्त मंत्रालय का कार्य होना चाहिये कि आय-व्ययक उनकी देख-रेख में छापा जाये ताकि उत्तरदायित्व विभिन्न मंत्रालयों में न बटे। वित्त मंत्रालय में एक छोटा-सा छापाखाना हो जहां इस प्रकार के सुरक्षा सम्बन्धी पत्र छापे जायें ।

मैं डा० लंका सुन्दरम् की इस बात से सहमत हूं कि आय-व्ययक के (ख) भाग को छपाने में कोई गरिमा नहीं है। यह भी आवश्यक नहीं है कि उसी समय छापा जाये। मेरे विचार में भाग (ख) को वित्त मंत्री भली प्रकार तैयार कर सकते हैं और उसे अपने विश्वस्तनीय प्रेस में छपा सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अमेरिका में आय-व्ययक में किसी प्रकार का रहस्य नहीं समझा जाता है। हमारे देश में भी वित्त आयोग ने कर सम्बन्धी भावी रूपरेखा बता दी है। पंचवर्षीय योजना में भी बता दिया गया है कि कितने वित्त की आवश्यकता पड़ेगी। अमेरिका में राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर निर्बंध आलोचना की जाती है। हमारे यहाँ भी बजट प्रस्थापित करने के बाद डेढ़ महीने तक उस पर वाद-विवाद किया जाता है और फिर प्रस्तावों को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है। मैं यह नहीं कहता हूं कि हमें बजट की वर्तमान पद्धति को तिलांजलि दे देना चाहिये। लेकिन यदि हम उपयुक्त समय तक उसे गोपनीय नहीं रख सकते हैं तो हमें विदेशों में आय-व्ययक तैयार करने की पद्धतियों का अध्ययन करना चाहिये। हमारे देश में सब से अधिक सट्टेबाजी आय-व्ययक के अवसर पर होती है। जब आयवव्ययक उपस्थापित करने की कोई निश्चित तिथि नहीं होगी और दो या तीन महीने तक उसके प्रस्तावों पर चर्चा होगी तो सट्टे की गुंजाइश नहीं रहेगी।

भविष्य में आय-व्ययक तैयार करने वाला मंत्रालय ही अंत तक इसके लिये उत्तरदायी हो और इसके लिये उनके पास एक छोटा सा प्रेस रहे।

†**पंडित जी० बी० पंत** : आय-व्ययक के प्रस्तावों का समय से पूर्व प्रकट होना एक गम्भीर बात है। मैं इस विषय में सभा की रुचि समझता हूं। संसत्सदस्य राष्ट्रीय वित्त के अधिरक्षक हैं और यह देखना उनका कर्तव्य है कि प्रशासन व्यवस्था अत्यंत समुन्वत हो।

इस विषय में सभा द्वारा प्रदर्शित उत्सुकता प्रत्येक दृष्टि से स्वस्थ संकेत है। हम यह स्वीकार करते हैं कि सरकार द्वारा किन्हीं कार्यों में सुधार करने की आवश्यकता है तथा जिन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये था वहां ऐसा नहीं किया गया है। यदि सदस्य इतने सतर्क न होते तो सम्भव है हमें अपनी तरीकों पर विचार करने तथा ग़लतियों को सुधारने का अवसर नहीं मिलता। अतः माननीय सदस्यों द्वारा इस विषय की ओर ध्यान दिलाने के लिये मैं उनका आभारी हूं।

लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि आलोचना के कतिपय स्थलों में निरर्थक उद्विग्नता पैदा हो गई है। इस बात से कोई मना नहीं कर रहा है कि आय-व्ययक पहले ही प्रकट हो गया और प्रत्येक सदस्य को इसका संताप है। यह भी आवश्यक है कि व्यवस्था में सुचारूता और प्रवीणता उत्पन्न करने के लिये सदस्यों का सहयोग एवं सहायता प्राप्त की जाये।

इसी विषय के सम्बन्ध में जब मैंने श्री भूपेश गुप्त को यह कहते हुये सुना कि कुछ लोगों ने बजट सम्बन्धी प्रस्तावों की प्रतियां बेची हैं तो मैंने श्री गुप्त को पत्र लिखते हुये उनसे प्रार्थना की कि वह मुझे इसकी जानकारी दें। वह यहाँ नहीं थे। किन्तु श्री एच० एन० मुकर्जी ने श्री भूपेश गुप्त द्वारा प्राप्त पत्र मेरे पास भेजने की कृपा की। अतः इस प्रकार की घटनायें दूर करने की इस सब की भावना समान गहरी और हार्दिक है।

लेकिन हमें विषय की ओर सही दृष्टिकोण से देखना चाहिये। इस पर अधिक जोर दिया गया है कि आय-व्ययक प्रकट होने की शंका दो बजे की गई थी अथवा तीन बजे या एक अथवा चार बजे। मैं समझता हूं कि इससे अधिक अन्तर नहीं पड़ेगा। हम सब इस बात पर सहमत हैं कि प्रस्तावों को प्रकट करने वाले षड़यन्त्रकारियों एवं उनके इस पूर्व ज्ञान से धन कमाने वाले व्यक्तियों को छोड़ कर अन्य कोई व्यक्ति इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता था। श्री मुरारजी देसाई २९ फरवरी को व्यस्त थे तथा उन्हें संध्या में किसी व्यक्ति ने पर्चे दिये थे। उनके घर में भीड़ जमा हो गई थी। मेरा विचार है कि इस घटना के तुरंत बाद ही उन्होंने श्री एम० सी० शाह को यह बताया। फिर श्री शाह अन्य कार्यों में व्यस्त थे। उनके अपने कार्यक्रम थे। ज्योंही समय मिला, उन्होंने श्री मुरारजी देसाई से सम्पर्क स्थापित किया, जो कुछ श्री देसाई को मालूम था उसके विषय में निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त किया और दिल्ली

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित जी० बी० पन्त]

चले आये। यहां आने पर उन्होंने तथ्यों की परिपुष्टि की और असली आय-व्ययक भाषण से अपने पास के पर्चों की तुलना की कि क्या यह वास्तविक प्रस्तावों की नकल थी। अत्यंत खेद के साथ उन्हें यह मालूम पड़ा कि उनके पर्चों में असली तथ्य प्रकट कर दिये गये थे। तब वह वित्त मंत्री के पास दौड़े दौड़े गये और उनके पास की सम्पूर्ण जानकारी उन्हें दी। वित्त मंत्री ने शीघ्र ही कार्यवाही की। उन्होंने विभाग के पदाधिकारियों को बुलाकर जांच करने के लिये कहा। एक दम जांच आरम्भ की गई और २ मार्च की संध्या को जाँच पूरी होते ही उन्होंने सारे पत्र मेरे पास भेज दिये। ३ मार्च को सवेरे उन्होंने मुझ से बातचीत की। मैंने उस पर उचित कार्यवाही की।

मैं लोक-सभा के सदस्यों को यह भी बता दूं कि ३ मार्च को तथ्यों की जानकारी होते ही उन्होंने प्रधान मंत्री के समक्ष अपना त्याग-पत्र उपस्थित कर दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि आय-व्ययक के प्रस्ताव समय से पूर्व प्रकट हो गये हैं वह इस्तीफा देना पसन्द करेंगे। इससे अधिक सम्मानास्पद और क्या हो सकता था। हम सबको उनके इस आचरण की प्रशंसा करना चाहिये। वस्तुतः ३ मार्च को सवेरे उन्होंने मुझे टेलीफोन किया और ऐसी ही भावनायें व्यक्त कीं कि वह त्याग-पत्र देना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। यदि किसी भ्रष्ट व्यक्ति की चालबाज़ी के परिणामस्वरूप कोई ऐसी घटना हो गई जिस पर हम सब को रोष है तो देश को उनकी (वित्त मंत्री की) अमूल्य सेवाओं से वंचित करना ग़लत है।

इन परिस्थितियों में यह कहना कि प्रभारी मंत्री तन्द्रामग्न थे अथवा इस विषय में उन्होंने उचित संवेदनशीलता का प्रदर्शन नहीं किया यह सर्वथा सही नहीं है। हम जानते हैं कि २९ फरवरी को आय-व्ययक सबको मालूम हो गय था। आय-व्ययक भाषण दिया जा चुका था और प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि उसमें क्या-क्या है। २९ फरवरी के पश्चात उसमें कोई गोपनीयता नहीं थी। गोपनीयता उससे पहले ही प्रकट हो चुकी थी। २९ फरवरी के पश्चात प्रकट होने में कोई गुप्त बात नहीं रहती। उस अवस्था में न किसी को लाभ था और न किसी को हानि। केवल एक काम किया जाना था। जाँच द्वारा अपराधियों का पता लगाना और मुकदमें के पश्चात न्यायालय द्वारा उन्हें दण्डित करना। यह भी सम्भव है कि कुछ लोग लापरवाह रहे हों और इस प्रकार अपने कर्तव्य पूर्ति में असफलता प्रमाणित की हो। यह अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही की बात है। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है, पुलिस से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर वे सब सम्बन्धित व्यक्ति दण्डित किये जायेंगे जिन्होंने कर्तव्य पूर्ति में ग़लती की हो।

वर्तमान परिस्थितियों में, आय-व्ययक के प्रस्तावों के प्रकटीकरण के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि कभी किसी ने भी इस विषय को छिपाने का प्रयत्न नहीं किया। सरकार की ओर से कभी किसी ने एक क्षण के लिये भी यह नहीं कहा कि प्रस्ताव प्रकट नहीं हुये हैं। हमने स्पष्ट रूप में यह बात स्वीकार की है कि प्रस्ताव प्रकट हो गये थे तथा हमें उसके लिये खेद है और जिस व्यक्ति पर छापेखाना में इसकी निगरानी का उत्तरदायित्व था वह भली प्रकार अपना कर्तव्य करने में असफल रहा है। जहां तक अपराधियों का सम्बन्ध है कुछ लोग गिरफ्तार कर लिये गये हैं तथा अन्य वे लोग जिन्होंने वैसा काम नहीं किया है जैसी उनसे आशा थी, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

यह बात सुनकर मुझे बड़ा दुःख हुआ कि छापेखाने का सुपरिन्टेण्डेण्ट एक मंत्री का रिश्तेदार है। इसका क्या अर्थ है। लोक-सभा में हमें गरिमा का स्तर बनाये रखना है। निर्माण, आवास और संभरण मंत्री, सरदार स्वर्ण सिंह के अधीन छापाखाना है। उन्होंने मुझे एक रुक्का भेज कर बताया है कि वह (मंत्री महोदय) उस व्यक्ति से कदापि सम्बन्धित नहीं हैं तथा उस व्यक्ति को उन्होंने दो वर्ष पहले केवल एक बार देखा है। अतः इस प्रकार की बातें कहने की आवश्यकता नहीं है। इससे स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मेरा विचार है कि इस सभा के माननीय सदस्यों का जिनमें वे मंत्री भी सम्मिलित हैं जो

इस सभा के सदस्य हैं और जो माननीय सदस्यों की भांति विशेषाधिकार एवं सुरक्षा का दावा करते हैं, यह कर्तव्य है कि किसी व्यक्ति की सच्चाई के विरुद्ध कोई आरोप न लगाये जायें और मंत्रियों को भी अन्य सदस्यों के समान स्तर पर ही समझा जाये। हम सब यहां लोक-सभा के सदस्यों के रूप में उपस्थित हैं और यह हमारा अधिकार है कि अन्य साथी हमारे प्रति सहिष्णुता एवं सद्भावना का वर्ताव करें। अतः इस प्रकार के आक्षेप इस सभा की गरिमा के अनुकूल नहीं हैं।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : चूंकि मैंने यह बात कही थी मैं इसके लिये क्षमाप्रार्थी हूं। मेरा उद्देश्य मंत्री महोदय पर आक्षेप लगाना नहीं।

†**पण्डित जी० बी० पंत** : लेकिन कुछ लोग इसका भिन्न अर्थ लगा सकते थे : मुझे प्रसन्नता है कि इस प्रकार के निर्वाचन की संभावना समाप्त हो गई है।

मैं यह भी निवेदन कर दूं कि उनके भाषण के दूसरे अंश पर अवश्य ध्यान दिया जायेगा। इसका ध्यान रखना कि भविष्य में इस प्रकार की बातें न हो पायें महत्वपूर्ण है। जो होना था वह हो चुका। इसका हमें खेद है। परन्तु हमें यह नहीं कहना चाहिये कि इस घटना से देश की अर्थ-व्यवस्था को कोई गहरी क्षति पहुंची है।

मैं वस्तु-स्थिति का वर्णन कर दूं। आज शासन व्यवस्था अत्यंत जटिल हो गई है। जब कभी आय-व्ययक के प्रस्तावों पर कार्यवाही करना होता है, वित्त मंत्रालय में जनता की जानकारी के लिये ही इन प्रस्तावों को प्रकाशित नहीं करना पड़ता है प्रत्युत सम्पूर्ण देश में स्थान-स्थान पर नियुक्त पदाधिकारियों को अनुदेश भेजने पड़ते हैं जिसे कि वे आय-व्ययक में दी गई बातों के अनुसार शीघ्र कार्य करें। यदि ऐसा न किया गया तो नैमित्तिक प्रकटीकरण से कहीं अधिक हानि हो सकती है। उन्हें अनुदेश देना आवश्यक है।

हमारा देश विशाल है। हमें प्रत्येक स्थान पर विचार करना पड़ता है। क्योंकि आजकल आयव्ययक में महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा रहती है जिनसे प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिदिन का जीवन प्रभावित होता है। अतः उन सब पहलुओं पर आय-व्ययक के प्रस्तावों का क्या प्रभाव पड़ता है इन सब बातों को देखकर हमें प्रस्ताव की जांच करना पड़ती है। इसके पश्चात आय-व्ययक में निहित प्रस्तावों की गरिमा के रक्षण के लिये प्रभावशाली कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

मुझे दुःख है कि कांग्रेस दल के कार्यालय के एक कर्मचारी की भी आलोचना हो चुकी है। उसे पार्टी ने मुअत्तिल कर दिया है तथा उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। यदि कोई व्यक्ति हमें धोखा देता है तो हमें उसका सन्ताप है किन्तु इससे भी अधिक दुःख इस बात का है कि ऐसे व्यक्ति को हमने नियोजित कर लिया। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दे दूं कि यहां पर किसी व्यक्ति की ऐसी इच्छा नहीं है कि कोई ऐसा काम किया जाये जो जनता के वृहत्तर हितों के विरुद्ध हो अथवा जो सच्चाई, ईमानदारी और सार्वजनिक नैतिकता के मापदण्डों के अनुरूप न हो। इस मापदण्ड को बनाये रखने के लिये हम उद्यत रहेंगे और इस कार्य के लिये हम प्रत्येक सदस्य का सहयोग एवं सहायता प्राप्त करेंगे।

†**श्री भागवत झा आजाद** (पूर्निया व संथाल परगना) : मेरी प्रार्थना है कि डा० लंका सुन्दरम् के भाषण का वह अंश कार्यवाही में से निकाल दिया जाये जिसमें उन्होंने कहा है कि छापेखाने का सुपरिन्टेण्डेण्ट केन्द्रीय मंत्री का रिश्तेदार है।

†**कुछ माननीय सदस्य** : उन्होंने वह वापिस ले लिया है।

†**श्री एम० सी० चटर्जी** (हुगली) : माननीय गृह-कार्य मंत्री के भाषण से मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। मुख्य बात तो छोड़ दी गई है और इधर-उधर की बातों में हम उलझ गये हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एस० एस० चटर्जी]

ब्रिटिश शासकों के सामने यदि आयव्ययक का भेद खुल जाता तो दोषी व्यक्ति का पता करने में तुरंत ही कार्यवाही की गई होती और उसे दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता तथा उसे उचित दंड मिलता एवं उसे नौकरी से अलग कर दिया गया होता। किन्तु हम ऐसा नहीं करते। हम आज स्वतन्त्र भारत में हैं। निरकुंश शासन व्यवस्था तथा संसदीय लोकतन्त्र शासन व्यवस्था में यही अन्तर है कि यदि निरंकुश शासन व्यवस्था में आय-व्ययक का भेद खुलता तो मंत्री वर्ग में से खड़े होकर किसी ने यह कहा होता कि "मैं इसके लिये उत्तरदायी हूं"। जैसे ही आय-व्ययक का भेद खुला था सभा को इसके बारे में बताना चाहिये था। मंत्री का उत्तर देने का दायित्व वह आधार भूत है जिस पर संसदीय लोकतंत्र टिका हुआ है। यदि आप इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते तो संसदीय लोकतंत्र छिन्न-भिन्न हो जायगा और संसद का वित्त के ऊपर नियंत्रण एक प्रकार से भ्रान्तिजनक ही होगा। हम यह आशा करते थे कि कोई मंत्री यह कहेंगे कि अमुक भूल हुई थी अथवा कमी हुई थी। लोक तन्त्रीय सरकार और संसदीय लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धान्त यह है कि जब कभी भी इस प्रकार की कोई घटना होती है तो किसी मंत्री को लोक-सभा के सामने आकार साहसपूर्वक यह कहना चाहिये कि 'इसके लिये मैं उत्तरदायी हूँ और मैं इसका उत्तर दूंगा'। उसी समय किसी को आगे बढ़ कर कहना चाहिये था न कि विरोधी सदस्यों द्वारा ज़ोर देने पर। तीन सप्ताह तक इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर निस्सार बातें करने के पश्चात् अब वे कहते हैं कि भूल करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध वे कार्यवाही करेंगे। किन्तु हम तो यह नहीं चाहते थे। दूसरी सरकार ने भी यह कार्य किया है किन्तु उससे हम सन्तुष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त हम सरकार के बर्ताव से भी सन्तुष्ट नहीं हैं। हम यह चाहते हैं कि उत्तरदायी मंत्री को आगे बढ़ कर यह कहना चाहिये कि मेरा उत्तर यह है। यदि यह उत्तर स्वीकार कर लिया जाता है और व्यक्तिगत रूप से उनके विरुद्ध कुछ नहीं मिलता तो हम प्रसन्न होंगे। और यदि वह हमें सन्तुष्ट नहीं कर पाते तो वह अपना पद छोड़ सकते हैं जैसा कि अन्य दूसरे देशों में होता है।

कुछ राज्यों में भी आय-व्ययक का भेद खुला है। हम आज यह बता देना चाहते हैं कि संसदीय लोक-तंत्र के आधारभूत सिद्धान्त के लिये मंत्रालय को कहना चाहिये कि यह उनकी भूल है, यह उनकी कमी है और कोई पदाधिकारी विशेष की अपनी कर्तव्यच्युत्य और बेईमानी के अधीन पनाह नहीं पा सकता। व्यस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई सभा को सब बातें बता कर उन्हें तुरन्त यह कहना चाहिये था कि उनसे भूल हो गई है और इसे ठीक करने के लिये उन्होंने अमुक कार्यवाही की है। यदि सभा सन्तुष्ट हो जाती है तो वह निष्कलंक छूट जाते हैं। हमारा आरोप यह नहीं है कि दोषी को दंड नहीं दिया जायेगा या उस पर मुकदमा नहीं चलाया जायेगा अपितु हमारा आरोप तो यह है कि तीन सप्ताह हो गये हैं और आपने इसके बारे में अब तक सभा को नहीं बताया है और उसको सारी बातें नहीं बताई हैं। प्रधान मंत्री के सम्मुख वित्त मंत्री के त्याग-पत्र से देने से क्या होता है। हम तो यह चाहते हैं कि वह सभा को बताये कि क्या हुआ था और यदि सभा सन्तुष्ट नहीं होती तब उन्हें त्याग-पत्र देना चाहिये।

मैं तो यह चाहता हूँ कि कोई मंत्री आज निश्चित रूप से यह घोषणा करे कि यह मेरा दायित्व है; मुझे इसका उत्तर देना है, और यह मेरा उत्तर है, तथा मैं आशा करता हूँ कि आप इससे सन्तुष्ट होंगे। इसके बारे में मैं यह कार्यवाही करने जा रहा हूँ, यदि इससे आप सन्तुष्ट नहीं हैं तो मैं पद त्याग करता हूं। यही एक वह सिद्धान्त है जिसके आधार पर संसद को कार्य करना चाहिये और जिसे मंत्रिगण को मानना भी चाहिये।

†**श्री एस० एस० मोरे** : यदि यह प्रस्ताव मंत्रिगण में से किसी मंत्री ने रखा होता तो बिना किसी दलीय भावना के आधार पर इसकी चर्चा करने में हम समर्थ होते। चूंकि यह प्रस्ताव विरोधी दल के एक सदस्य ने रखा है अतः ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी पक्ष तथा विरोधी पक्ष के बीच की लड़ाई है। किंतु दलीय भावना के आधार पर हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं।

†मूल अंग्रेजी में

माननीय गृह-मंत्री के भाषण से मैं सहमत हूँ। किंतु मुख्य बात यह है कि आय-व्ययक यहाँ प्रस्तुत करने से पूर्व निरोधक उपाय जो कि उस समय लेने चाहिये थे वे नहीं लिये गये हैं। यही हमारी शिकायत है। बम्बई के मुख्य मंत्री की जानकारी में जब यह मामला आ गया था तो निरोधक उपायों का प्रयोग क्यों नहीं किया गया। इस मामले में दो प्रकार के दायित्व निहित हैं, एक है अपराध सम्बन्धी दायित्व और दूसरा है संवैधानिक दायित्व। अपराध सम्बन्धी दायित्व के मामले में तो पुलिस का कार्य और संवैधानिक दायित्व के मामले में इस सभा के सदस्यों का कर्तव्य है।

इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि वित्त मंत्री अथवा उनके अधीनस्थ मंत्री इस भेद खुलने के मामले के लिये उत्तरदायी नहीं हैं। यह कार्य तो कुछ उन व्यक्तियों का है जो भ्रष्टाचार करने में सिद्धहस्त हैं उन्होंने वित्त मंत्री को पदच्युत कराने के लिये कोई चक्र रचा है। मेरा निवेदन तो यह है कि जब बम्बई के मुख्य मंत्री को आय-व्ययक प्रस्तुत करने के दिन इसके बारे में १ बजे और दूसरे मंत्री को ढाई बजे ज्ञात हो गया तो फिर उन्होंने टेलीफोन द्वारा प्रधान मंत्री को सूचना क्यों नहीं दी। यदि सूचना दे दी होती तो यह चर्चा करने की बात आज नहीं उठती। किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि इन दोनों मंत्रियों ने उचित कार्यवाही नहीं की।

मेरा निवेदन तो यह है कि इस मामले में कई व्यक्ति ग्रस्त हैं जो इस अपराध में दोषी एवं उपेक्षा के भागी हैं।

मेरा यह निवेदन है कि आप इस सभा के अध्यक्ष के रूप में, सभा के नेता से परामर्श करके एक समिति की नियुक्ति करें जो आय-व्ययक के तैयार करने, उसको प्रस्तुत करने और बहुत से व्यक्तियों को बातें बताने सम्बन्धी हमारी प्रक्रिया का अध्ययन करे। मैं जानता हूँ कि वित्त मंत्री के लिये जिसके अधीन बहुत से व्यक्ति होते हैं भेदों को गुप्त रखना कठिन होता है। यह मानवीय स्वभाव है। अतः मेरा सुझाव है कि सम्पूर्ण प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया, नियम प्रक्रिया और प्रत्येक चीज़ की परीक्षा की जानी चाहिये। मैं यह बात मानने के लिये तैयार नहीं हूँ कि आय-व्ययक का भेद पहली बार खुला है। अतः इससे बचने के लिये मेरा एक सुझाव यह है कि इस सभा की एक छोटी समिति जिसमें कुछ विशेषज्ञ हों, नियुक्त की जानी चाहिये। मैं यह नहीं चाहता कि सरकार कोई ऐसी समिति नियुक्त करे। किन्तु मैं चाहता यह हूँ कि अध्यक्ष, संवैधानिक प्रक्रिया और नियम प्रक्रिया तथा अन्य सुसंगत मामलों की जांच करने के लिये इस सभा के सदस्यों की एक समिति नियुक्त करें। अतः मैं निवेदन करूंगा कि आप इस सुझाव को स्वीकार करेंगे और यथाशीघ्र इस पर कार्यवाही करेंगे ताकि आगामी वर्ष में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो।

†**श्री भागवत झा आजाद** : माननीय गृह मंत्री और सभा के प्रत्येक सदस्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आयव्ययक का भेद खुलना बहुत ही गम्भीर मामला है और सरकारी पक्ष के प्रत्येक सदस्य ने इस घटना के घटने पर खेद प्रकट किया है।

विरोधी सदस्यों ने मांग की है कि इस मामले की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये। विरोधी सदस्यों के भाषणों से कम से कम यह प्रकट हो जाता है कि तथ्य यह है कि जिस समय भेद खुलने की बात ज्ञात हुई उस समय इतना समय नहीं था कि दिल्ली सूचना भेजी जा सकती क्योंकि यह कोई भी नहीं जानता था कि जो प्रस्ताव बांटे गये हैं वे वास्तव में आय-व्ययक के ही प्रस्ताव हैं। मेरे विचार से विरोधी सदस्यों की समिति नियुक्त करने की मांग बिल्कुल गलत तथा तर्कहीन है। अब प्रश्न यह है कि क्या इससे सभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है। मैं समझता हूँ कि विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। माननीय वित्त मंत्री ने सभा में सब से पहले आकर उन प्रस्तावों की घोषणा करने में पूरी पूरी सावधानी से कार्य लिया। लोकतन्त्रीय प्रथाओं के बारे में कहा गया है। यदि वित्त मंत्री

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भागवत झा आज़ाद]

द्वारा आय-व्ययक का भेद खोला जाता है तो हम सभी कहेंगे कि लोकतंत्रीय प्रथाओं को बनाये रखने के लिये वित्त मंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिये। इस मामले में भी, हालांकि वे इसके लिये उत्तरदायी नहीं है, किन्तु फिर भी उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है। एक सदस्य ने सुझाव दिया है कि वित्त मंत्री को चाहिये था कि वह सभा में आकर त्याग-पत्र देते। किन्तु मेरा विचार तो यह है कि एक मंत्री को अपना त्याग-पत्र प्रधान मंत्री को देना चाहिये और यह प्रधान मंत्री पर निर्भर है कि वह स्वीकार करें अथवा न करें। यह बिल्कुल ठीक कहा है कि इस मामले में सभा के विशेषाधिकार का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः इसकी जांच करने के लिये कोई समिति नहीं होनी चाहिये। समिति नियुक्त करने का प्रश्न तो नहीं उठता है जब कि सभा के किसी विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया हो। अतः सभा द्वारा समिति नियुक्त करने के प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं।

यह कहा गया है कि अभियुक्तों में से एक अभियुक्त किसी मंत्री के कोई रिश्तेदार हैं; किन्तु इसके बारे में बता दिया गया है कि यह बात ग़लत है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या अभियुक्त के उन सभी रिश्तेदारों को जो विभिन्न कार्यालयों में कार्य करते हैं नौकरी से अलग कर देना चाहिये यह तो कोई बात नहीं हुई। सम्बन्धित व्यक्ति को मुअत्तिल कर दिया गया है और यदि वे दोषी सिद्ध हो गये तो निश्चय ही उन्हें दंड दिया जायेगा। अंत में मैं यही कहूंगा कि चूंकि इस मामले में सभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है अतः सभा द्वारा समिति की नियुक्ति नहीं करनी चाहिये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह बिल्कुल ठीक है कि किसी आय-व्ययक का रहस्योद्घाटन एक गम्भीर मामला है। कुछ सुझाव दिये गये हैं। समितियाँ बनाने के लिये प्रस्ताव पेश किये गये हैं। किन्तु ये प्रस्ताव एक समान नहीं हैं। किसी प्रस्ताव में किसी उद्देश्य विशेष के लिये समिति बनाने को कहा है तो दूसरे प्रस्ताव में किसी दूसरे उद्देश्य के लिये। माननीय सदस्य श्री चटर्जी ने कहा है कि कोई व्यक्ति आये और कहे कि 'मैं इसके लिये उत्तरदायी हूँ'। इसका अर्थ समझ में नहीं आया। वे हर बात को अच्छी तरह जानते हैं कि कौन-कौन मंत्री हैं और किस-किस के पास कौन-कौन से विभाग हैं। और वह यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि प्रधान मंत्री हर बात के लिये जिम्मेदार हैं। फिर भी उन्होंने ऐसी बात कहीं यह बात मेरी समझ में नहीं आई।

इस मामले का निपटारा हम दोनों ही दृष्टि अर्थात—वर्तमान और भविष्य—से कर रहे हैं। जो व्यक्ति दोषी हैं उन को हम दण्ड देना चाहते हैं केवल उन्हीं को नहीं अपितु लापरवाह व्यक्तियों को भी। यदि वह सरकारी व्यक्ति है, अथवा सरकारी कर्मचारी है तो बहुत ही अच्छा है और यदि जनता के किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है तो उसे भी दंड देना चाहिये।

वास्तव में देखा जाय तो इस प्रश्न को हम तीन भागों में बांट सकते हैं विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तियों ने इस समाचार की सूचना देने में देरी की है अर्थात् बम्बई के मुख्य मंत्री, श्री एम० सी० शाह, वित्त मंत्री, गृह-कार्य मंत्री और अंत में प्रधान मंत्री आदि-आदि ने संभवतः एक दूसरे को सूचना देने में देरी की है।

मैंने कहा था कि चार बजे के आस-पास यह बात बम्बई में मालूम हुई थी, किन्तु वित्त मंत्री ने मेरी ग़लती बताते हुये कहा कि नहीं साढ़े चार बजे। मुझे कहना चाहिये था कि बम्बई में इसके बारे में साढ़े चार बजे ज्ञात हुआ था। इसके लिये मैं दोषी हूँ और उसके लिये दंड भी भोगने को मैं तैयार हूँ।

जैसा कि मैंने पहले कहा है कि इस प्रश्न के तीन पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि मंत्रिगणों ने अथवा सरकारी कर्मचारियों ने सूचना देर में दी; दूसरा पहलू है कि इस रहस्योद्घाटन के लिये दोषी कौन है, और उन्हें दंड देने के लिये कार्यवाही करना, और तीसरी बात भविष्य की है कि इस प्रकार आय-व्ययक प्रस्तावों का समय से पहले ज्ञात हो जाने को मनुष्य कहां तक रोक सकता है इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्न के प्रथम भाग के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना क्योंकि समय सम्बन्धी आंकड़े सभा के सामने आ चुके हैं, इसके बारे में सभा निर्णय करेगी । सभा जो निर्णय करेगी हम उसे स्वीकार करेंगे ।

दूसरा भाग ——पुलिस का कार्य है कि उसने किस प्रकार इसका पता चलाया । हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि यह भेद किस प्रकार खुला । यह भेद एक प्रेस से खुला है जो राष्ट्रपति भवन में स्थित है और जो सरकारी प्रेस के नाम से प्रसिद्ध है । यह भी स्पष्ट है कि जैसा कि डा० लंका सुन्दरम् ने कहा है कि राष्ट्रपति का इसमें कोई हाथ नहीं है । इसके बारे में अच्छी तरह जानकारी कर ली गई है उसका पता भी चल गया है जो हमें मालूम हो जायगा । हो सकता है कि इसकी जांच होती रहे तो कुछ ऐसे व्यक्तियों का पता चल जायेगा जो इसमें ग्रस्त होंगे और यह कार्य न्यायालय में होगा ।

तीसरा भाग भविष्य से सम्बन्ध रखता है । इसके बारे में मैं सभा को बताना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री ने इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से विचार किया है, और उनके सामने बहुत से प्रस्ताव हैं और वे उनको यथाशीघ्र कार्यान्वित भी करेंगे । उन प्रस्तावों में से एक यह भी है कि वह अपना एक गुप्त प्रेस बनायेंगे और इस प्रकार के तथा अन्य दूसरे मामलों में किसी दूसरे प्रेस का विश्वास नहीं करेंगे ।

डा० लंका सुन्दरम् ने इस आशय की एक बात कही है——कोई प्रथा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की कोई एक प्राचीन प्रथा, कि अमुक लार्ड इस प्रकार किया करता था, मुझे वह सब नाम ठीक तरह से स्मरण नहीं हैं, मेरी अपेक्षा वह उनसे अधिक परिचित हैं; मैं उस समय इस क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहा था——कि वित्त मंत्री को यह रहस्य अपने हृदय में ही गुप्त रखने चाहियें, और किसी को नहीं बताने चाहियें । मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूँ । वित्त मंत्री का यह कर्त्तव्य है कि वह प्रधान मंत्री को बताये; यह केवल वांछनीय ही नहीं है, वरन् यह किया भी जाना चाहिये । हमारी एक मंत्रिपरिषद् है । हम यहाँ विभिन्न प्रधानों के रूप में कार्य नहीं करते हैं । वित्त मंत्री निश्चय ही अन्ततोगत्वा उत्तरदायी होता है । परन्तु उनके अन्य सहकर्मी भी हैं, जो आंशिक रूप से या अन्य रूप से उत्तरदायी होते हैं, उन से परामर्श करना पड़ता है जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है और कुछ भाग समय से पूर्व प्रगट हो जाता है——और प्रधान मंत्री भी अनिवार्य रूप से उत्तरदायी होता है । कुछ भी हो, इस मामले का उत्तरदायीत्व सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद् पर है, इसका निबटारा किस ढंग से किया जाये । क्योंकि अब यह उतना सीधा सा मामला नहीं है जिसमें किसी उत्पादन शुल्क को घटाया-बढ़ाया जाना हो, अथवा किसी कर में वृद्धि की जानी हो, अथवा आयकर में कमी-बेशी करनी हो——यह महत्वपूर्ण तो है ही——क्योंकि हम इन मामलों में प्राचीन दुर्व्यवस्था में से निकल कर नवीन क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, मैं भविष्य के सम्बन्ध में कह रहा हूँ, और इसके लिये सभी बातों, वित्तीय नीति तथा अन्य इसी प्रकार की बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किये जाने की आवश्यकता है ।

वित्तीय नीति की प्रारम्भिक जिम्मेदारी तो वित्त मंत्री की है परन्तु जब इतनी व्यापक बातों का ध्यान रखना पड़ता है तब आप वित्त मंत्री से यह अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वह अपने सहकर्मियों को बताये बिना ऐसी कोई बात जो प्रचलित वित्त-मंत्री को अव्यवस्थित कर दे अथवा उससे एकदम भिन्न हो, इस सभा अथवा देश के सम्मुख प्रस्तुत कर देंगे । मुझे उनके ऐसा करने पर कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के गम्भीर मामलों पर संयुक्त रूप से विचार करना पड़ता है, उसको शासित करने वाले सिद्धान्तों पर विचार करना पड़ता है ब्योरे की बातों पर नहीं । इसलिये, केवल अपने तक ही सीमित रखने की गोपनीयता भविष्य में अधिक नहीं चल सकती है । उसका इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है, परन्तु क्योंकि डा० लंका सुन्दरम् ने उसका उल्लेख किया था इसलिये मैंने कुछ बातें कह दी हैं ।

अब इस जाँच समिति के सम्बन्ध में डा० लंका सुन्दरम् संभवतः इस समूचे मामले की जाँच करने के लिये कोई व्यापक जाँच समिति चाहते थे । मैं नहीं जानता कि जहाँ तक पुलिस द्वारा जाँच किये जाने वाले मामले का सम्बन्ध है यह जाँच समिति क्या जाँच करेगी, क्योंकि मैं स्वयं यह नहीं समझ पाया हूँ

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कि यह किस प्रकार उस के क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करेगी। पुलिस यह कार्य कर रही है। यह मामला न्यायालय में भेजा जायेगा। एक जाँच समिति निश्चय ही, यदि वह चाहे तो, विभिन्न सम्बन्धित मंत्रियों के आचरण की जाँच कर सकती है, जिस का अर्थ यह होगा कि क्या उनको कोई सूचना बाहरवालों को बताने में दस मिनट का, दो दिन का अथवा तीन दिन का समय लगा था।

प्रत्येक तथ्य लोक-सभा के सामने है। जांच करने के लिये कुछ भी शेष नहीं है। लोक-सभा मनचाहा निर्णय कर सकती है।

तीसरी बात भविष्य के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में प्रत्येक बात पर विचार किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री जो भी तरीका अपनाने का निश्चय करेंगे, वह उसके सम्बन्ध में लोक-सभा को सूचित कर देंगे कि वह अमुक तरीके को अपनाने जा रहे हैं। यदि किसी सदस्य को कोई सुझाव देने हों तो, मुझे आशा है कि वित्त मंत्री उनका स्वागत करेंगे और वह आपको सूचित कर देंगे।

†**श्री एस० एस० मोरे** : सभा की समिति क्यों नहीं नियुक्त की जाती है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि सभा की समिति द्वारा आचरण की जाँच करायी जाये। मैं यह नहीं चाहता कि लोक-सभा यह समझे कि हम ऐसा करने से जी चुराते हैं।

†**श्री एस० एस० मोरे** : भविष्य में क्या किया जायेगा।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं किसी भी मामले के सम्बन्ध में लोक-सभा की समिति के नियुक्त किये जाने के विरुद्ध नहीं हूँ। मैं केवल यही संकेत कर रहा हूँ कि इसकी आवश्यकता और वांछनीयता पर विचार करते हुये, यदि लोक-सभा ऐसा करना चाहे तो कोई आपत्ति नहीं।

परन्तु फिर भी, मुख्य बात यह है कि वित्त मंत्री के लिये यह निश्चय ही वांछनीय होगा कि वह इन मामलों पर पूरी तरह विचार कर लें, अपनी प्रस्थापनाओं को तैयार कर लें और यदि आवश्यक हो तो किसी भी समिति से परामर्श कर लिया जाये, अथवा कोई नयी समिति भी स्थापित की जा सकती है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने वित्त मंत्री से इस मामले में चर्चा नहीं की है, परन्तु मुझे पूरा विश्वास है कि उनको इस सम्बन्ध में लोक-सभा की समिति से परामर्श करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : मैं समझता हूँ कि इस मामले में मैं लोक-सभा का सहयोगी हूं क्योंकि मेरी संपत्ति चुरायी गयी थी। वह एक भाषण था जिसको मैं लगभग पाँच या छः दिनों के बाद देने वाला था, और मेरा अपराध केवल यह था कि मैंने छपवाने के लिये उसको प्रेस में भेज दिया था, और यह प्रतीत होता है कि उसको वहाँ से चुराया लिया गया था। इसलिये, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, इस बात की जाँच करने में, कि यह कैसे हुआ और भविष्य में क्या पूर्वावधान किये जाने चाहिये, बाधक होने में मेरा कोई लाभ नहीं है।

जहाँ तक (मेरी राय में) इस छोटे से प्रश्न का सम्बन्ध है, कि लोक-सभा को किस समय कोई भेद की बात बतायी जानी चाहिये, मैं समझता हूँ कि इस मामले में यह अनिवार्य रूप से अपने-अपने विवेक का प्रश्न है। यदि हमारे पास लोक-सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये पर्याप्त तथ्य होते तो हमने काफ़ी पहले ही उसके सामने यह तथ्य रख दिये होते। यह तथ्य, कि आय-व्ययक प्रस्थापनायें समय से पूर्व प्रगट हो गयी हैं, काफी सर्वविदित हो चुका था। परन्तु मैं नहीं समझता कि लोक-सभा को शान्त भाव से यह सूचना देने मात्र से, कि हम को ज्ञात हुआ है कि आय-व्ययक प्रस्थापनायें समय से पूर्व प्रगट हो गयी हैं, सरकार के किसी सदस्य का क्या लाभ होने वाला था। जिन परिस्थितियों में यह प्रस्थापनायें समय से पूर्व प्रगट हुईं थीं उन में तो इस मामले के सम्बन्ध में कोई संशय रह ही नहीं गया था। इस लिये

†मूल अंग्रेजी में

यह बात पहली तारीख को पहली बार जिस समय मेरे ध्यान में लायी गयी, उस समय मैंने अपने मंत्रालय में इस अवसर पर अपनायी गयी प्रक्रिया के सम्बन्ध में अपने आप को संतुष्ट कर लेना और दूसरे, गृह मंत्रालय के लिये जाँच करने के काम को आसान बना देना अपना कर्तव्य समझा। इसी प्रयोजन से मैंने अपने पदाधिकारियों को पहली तारीख को १० बजे एक साथ बुलाया और उनको विस्तृत निर्देश दिये। हमारी कराधान प्रस्थापनाओं की जटिलता के कारण इस बैठक में काफी अधिक व्यक्ति शामिल थे; विभिन्न स्तरों पर प्रस्थापनाओं के अनेक भाग विभिन्न पदाधिकारियों के हाथों में जाते हैं; और इसीलिये मेरे मंत्रालय के उच्चतम पदस्थ पदाधिकारियों को मेरे निर्देशों का पालन करने में कुछ समय लग गया।

जैसा कि मैंने कहा है, जहाँ तक हमारी अपनी प्रक्रिया का सम्बन्ध है, उनकी जाँच के परिणाम मुझ को दो तारीख को संध्या तक प्राप्त हुये। मैंने गृह-कार्य मंत्री को अलग अलग पत्र लिखाने की भी प्रतीक्षा नहीं की, वरन् जो भी सामग्री हमारे पास थी वह हमने फाइल के साथ उनके पास भेज दी। मुझे इस में कोई संदेह नहीं है। कि लोक-सभा को किसी समय इस फाइल को देखने का अवसर प्राप्त होगा।

> "गृह-कार्य मंत्री कृपया उपरोक्त को देख लें। (अर्थात् आय-व्ययक के प्रभारी संयुक्त सचिव श्री नेगी के प्रतिवेदन को) मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वह अपनी विशेष पुलिस संस्थापना द्वारा इस मामले की पूरी जाँच करायें। यह संभव है कि संसद् की दोनों सभाओं में से किसी एक में आय-व्ययक के इस प्रकार समय से पूर्व प्रगट हो जाने का उल्लेख किया जाये।
>
> हमारे मन में यह बात थी कि किसी न किसी समय कोई वक्तव्य तो देना ही पड़ेगा। इस तथा अन्य कारणों से तत्काल कार्यवाही की जानी आवश्यक है।"

मैं यहाँ यह बता दूं कि मेरे मन में जो अन्य कारण थे वह यह संभावना थी कि इसकी प्रतियाँ नष्ठ कर दी जायेंगी। जो सूचना मुझे दी गयी थी वह यह थी कि इसकी साइक्लोस्टाइल की गयी प्रतियाँ बम्बई में परिचालित की गयी थीं और इस बात का ज़ोर-शोर से प्रचार करने की कि पुलिस द्वारा जाँच की जा रही है, असुविधा यह होती कि यह प्रलेख नष्ट कर दिये जाते और यही हुआ भी। मुझे ज्ञात हुआ है कि बिल्कुल यही बात हुई है। इस तथाकथित साइक्लोस्टाइल किये गये प्रलेख की जो एकमात्र प्रति हमारे पास है वह वही है जो बम्बई के मुख्य मंत्री ने राज्य-मंत्री को दी थी। मुझे पता चला है कि अन्य सभी प्रतियाँ नष्ट कर दी गयी हैं। इस प्रकार, हमारे पास थोड़ी ऐसी सामग्री अवश्य है जो उन व्यक्तियों की ओर संकेत करती हैं जिन के बारे में यह अनुमान किया जाता है कि उन्होंने कुछ गुप्त रहस्य क्रय कर लिये थे, परन्तु मुझे इस बात में संदेह है कि क्या कभी पुलिस इस बात का ठोस प्रमाण दे पायेगी कि इस प्रकार का प्रलेख उनके भी पास था। इतना कुछ लोक-सभा को अपने विश्वास में लेने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में है।

मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैं इस चर्चा को मामले का अन्त नहीं समझता। पुलिस द्वारा की जा रही जाँच प्रायः पूरी हो गयी है। मुझे विश्वास है कि न्यायालय में इन मामलों के सम्बन्ध में चालान पेश करने में देर नहीं लगेंगी। उसके उपरान्त मुक़दमें अपने ढंग से चलेंगे और उचित समय पर हम को इन मुक़दमों के चलाये जाने के परिणामों से अवगत करा दिया जायेगा। पुलिस द्वारा एकत्र की गयी साक्षियों से हमको प्रैस में की गयी सुरक्षा व्यवस्था की पर्याप्तता अथवा अपर्याप्तता आदि का भी पता लग जायेगा और निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के प्रभारी मेरे सहकर्मी मंत्री का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अधिक सतर्कता से इस मामले की पड़ताल करायें जिससे कि गोपनीयता कायम रखी जा सके, चाहे यह निर्णय ही क्यों न किया जाये कि जहाँ तक आय-व्ययक प्रलेखों का सम्बन्ध है, वित्त मंत्रालय का अपना अलग प्रैस होना चाहिये।

†**श्री ए० एम० थामस** (एरणाकुलम) : क्या यह सच है कि मुद्रण का प्रभारी सुपरिंटेंडेंट एक घोषित पदाधिकारी तक भी नहीं है ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं यह नहीं कह सकता कि वह घोषित पदाधिकारी है या नहीं। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे सहकर्मी भी यह बता सकते हैं अथवा नहीं।

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : यह ब्यौरे का मामला है। मुझे याद नहीं है। संभवतः वह नहीं हैं।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : हम इन बातों की जाँच करेंगे। यदि वह काफ़ी पुराना पदाधिकारी न हुआ तो सुधार करने के तरीक़ों में से एक यह भी होगा कि उसके भी ऊपर अन्य किसी को प्रभारी नियुक्त किया जाये।

अब मैं वास्तविक आय-व्ययक प्रक्रिया के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। सदा से यह प्रथा रही है कि जिस दिन आय-व्ययक प्रस्तुत किया जाना होता है, उससे कुछ दिन पूर्व ही उसकी प्रतियाँ छपवाली जातीं हैं। भाषणों की प्रतियाँ समाचार पत्रों के लिये तैयार किये गये संक्षिप्त रूप के साथ महालेखापालों और नियंत्रकों के पास, आय-व्ययक के दिन संध्या समय पाँच बजे उनके द्वारा खोले जाने और समाचारपत्रों और उन स्थानों की व्यावसायिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों में वितरित किये जाने के लिये मुहरबन्द लिफाफों में भेज दी जाती हैं। राज्यों के राज्यपालों, मुख्य और वित्त मंत्रियों और महत्वपूर्ण पदाधिकारियों में वितरित किये जाने के लिये भी प्रतियाँ भेजी जातीं हैं। जिन स्थानों पर महालेखापाल अथवा नियंत्रक नहीं होते हैं यह अग्रिम प्रतियाँ वितरण करने के लिये राज्यों के वित्त सचिव के पास भेज दी जातीं हैं। १९३६-३७ तक आय-व्ययक प्रस्थापनाओं सहित सम्पूर्ण आय-व्ययक इसी प्रकार प्रकाशित और वितरित किया जाता था। उस वर्ष में आय-व्ययक भाषण को दो भागों में विभक्त कर दिया गया, भाग 'क' जिसमें तथ्य पूर्ण और ऐतिहासिक सामग्री रहती है और भाग 'ख' में आय-व्ययक प्रस्थापनाय रहती हैं। भाषण के भाग 'क' को सम्बन्धित संक्षेप के साथ अग्रिम रूप से प्रकाशित और वितरित किये जाने की पृथा को जारी रखा गया। भाषण के भाग 'ख' और वित्त विधेयक को—यह स्मरण रहे कि यह दो प्रथक प्रलेख होते हैं, केवल भाषण ही नहीं वरन् वित्त विधेयक भी जिसको भाषण पूरा होने के तत्काल बाद पुरःस्थापित करना होता है—वित्त मंत्रालय में साइक्लोस्टाइल किया जाता था और इसको आयव्ययक के प्रस्तुत किये जाने के बाद ही वितरित किया जाता था। भाषण समाप्त होने पर सम्पूर्ण आय-व्ययक पत्रादि को विधान मंडल के सदस्यों में परिचालित किया जाता था। भाषण का भाग 'क' और उसका संक्षेप वित्त मंत्री के भाषण देने के लिये खड़े होते ही प्रैस गैलरी में वितरित कर दिया जाता था। भाषण का भाग 'ख' व्याख्यात्मक ज्ञापन और वित्त विधेयक को जो साइक्लोस्टाइल किया रहता है, भाषण समाप्त होते ही पत्र प्रतिनिधियों में वितरित कर दिया जाता था।

भाषण के भाग 'ख' और वित्त विधेयक को साइक्लोस्टाइल करने की प्रक्रिया में पांचवें दशक के प्रारंभिक दिनों में—जब कि युद्धकालीन कराधान में वृद्धि किये जाने के कारण वित्त विधेयक उतना छोटा और गठा हुआ विधान नहीं रह गया था जितना कि युद्ध से पूर्व हाता था—परिवर्तन किया गया था।

इसे साइक्लोस्टाइल करना अव्यवहार्य हो गया था और विधेयक को छापने का काम भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली को सौंपा गया। उसी समय, अर्थात १९४० के बाद, भाषण के भाग 'ख' और संक्षेप को छापना फिर शुरू कर दिया गया था, किन्तु चूंकि इस की विषयवस्तु तो अत्यन्त गोपनीय होने के कारण इसे वाइसराय के मुद्रणालय में, जो कि अब राष्ट्रपति भवन में है, छापने के लिये दिया जाता था। इस मुद्रणालय में वित्त विधेयक को छापने की व्यवस्था नहीं थी और इस में केवल भाषण का भाग 'ख'

†मूल अंग्रेजी में

और इसका संक्षेप ही छापा जाता था। वित्त विधेयक भाषण के भाग 'क' और संक्षेप को भारत सरकार मुद्रणालय में और भाषण के भाग 'ख' और संक्षेप को राष्ट्रपति के मुद्रणालय में छपवाने की यह प्रक्रिया चली आती रही है।

दोनों मुद्रणालयों के मामले में छापी जाने वाली सामग्री सब अवस्थाओं में बजट के प्रभारी संयुक्त सचिव या उपसचिव द्वारा एक दुहरे मुहरबन्द लिफ़ाफे में मुद्रणालय के एक मनोनीत पदाधिकारी को भेजी जाती है। प्रत्येक अवस्था में यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि सामग्री अत्यन्त गोपनीय है। दोनों मुद्रणालयों में सुरक्षा प्रबन्ध उनके प्रभारी पदाधिकारियों के हाथ में होता है और वित्त मंत्रालय के किसी पदाधिकारी के हाथ में कुछ नहीं होता है।

स्वयं वित्त मंत्रालय में, बजट प्रस्तावों का कार्य उच्चतम स्तर पर वरिष्ट पदाधिकारियों के हाथों में रहता है। इन पदाधिकारियों अर्थात मंत्रालय के सचिव संयुक्त सचिव और बजट के प्रभारी उपसचिव और केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों के बीच परामर्श होता है। यदि आवश्यक समझा जाता है तो ये पदाधिकारी विशिष्ट प्रस्तावों के सम्बन्ध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, और खाद्य और कृषि मंत्रालय जैसे अन्य मंत्रालयों के वरिष्ट पदाधिकारियों से परामर्श करते हैं, जैसा कि गत वर्ष चीनी पर उत्पादन-शुल्क बढ़ाने के समय किया गया था। यह परामर्श यथासम्भव मौखिक रूप से किया जाता है और इसे बहुत देर के बाद लिखित रूप में लाया जाता है। इस अवस्था में पदाधिकारियों के स्टेनोग्राफ़रों जैसे निजी कर्मचारियों को विश्वास में लेना पड़ता है। इसके अतिरिक्त प्रस्थापनायें और किसी कर्मचारी को मालूम नहीं होती हैं।

उत्पादन-शुल्क में परिवर्तन करने वाली प्रस्थापनायें कुछ और पदाधिकारियों को भी बतानी पड़ती हैं। ऐसा करना इस लिये आवश्यक होता है क्योंकि इन शुल्कों में किये जाने वाले संशोधन वित्त विधेयक के संसद् में पुरःस्थापित किये जाते ही लागू हो जाते हैं और शुल्क इकट्ठा करने वाले पदाधिकारियों को प्रस्तावित संशोधन पहले से ज्ञात होने चाहियें। दो वर्ष पूर्व केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क के समाहर्त्ताओं और उनके निजी कर्मचारियों को यह प्रस्थापनायें बजट की तिथि से एक सप्ताह पूर्व बता दी गई थीं। किन्तु यह प्रक्रिया, जिस में कुछ खतरा था, गत वर्ष बदल दी गई थी। अब बजट-पैकेट, जिन में प्रस्ताव और निदेश होते हैं, इस हिदायत के साथ समाहर्त्ताओं को भेजे जाते हैं कि वे इन्हें बजट वाले दिन शाम के छः बजे खोले, जब कि वित्त मंत्री अपने प्रस्ताव संसद को बता रहे हों, और इन निदेशों को सहायक समाहर्त्ताओं और अधीक्षकों को तुरन्त भेजने का प्रबन्ध करें। विलम्ब से बचने के लिये बजट प्रस्थापनाओं के प्रारूप तार पैकेटों में ही रख दिये जाते हैं, ताकि वे तत्काल भेजे जा सकें।

बजट वाले दिन शाम के छः बजे खोले जाने के लिये विस्तृत निदेशों की काफी प्रतियां मुहरबन्द लिफ़ाफ़ों में क्षेत्र कर्मचारियों को दिये जाने के लिये सम्बन्धित प्राधिकारियों को तत्काल भेज दी जाती हैं। केन्द्रीय राजस्व बोर्ड में प्रारूप तार और निदेश तैयार करने के लिये कुछ उपसचिवों और उन के नीजी कर्मचारियों को विश्वास में लेना ही पड़ता है। वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार, उन लोगों की संख्या जिनका सम्बन्ध बजट प्रस्थापनाओं और संगत पत्रों, जैसा कि भाषण का भाग 'ख' और वित्त विधेयक से होता है, कम से कम रखी जाती है।

वित्त विधेयक का प्रारूप तैयार करने में विधि मंत्रालय के वरिष्ट पदाधिकारियों से भी परामर्श किया जाता है, वे विधेयक बनाते हैं और विभिन्न अवस्थाओं में प्रूफ़ की जांच करते हैं। सब अवस्थाओं में विधेयक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदाधिकारी स्वयं ले जाते हैं या दुहरे मुहरबन्द लिफ़ाफ़ों में भेजते हैं।

[श्री सी० डी० देशमुख]

पिछले दो वर्षों में बजट भाषण और संक्षेपों, व्याख्यात्मक ज्ञापन और बजट विवरण का हिन्दी में अनुवाद किये जाने के प्रबन्ध किये गये हैं। बजट भाषण और प्रैस संक्षेपों जैसे अत्यन्त गोपनीय प्रलेखों का अनुवाद एक पदाधिकारी सदा संयुक्त सचिव या उपसचिव (बजट) के कमरे में बैठ कर करता है और कोई भी व्यक्ति इन प्रलेखों को कमरे से बाहर नहीं ले जा सकता है। ये भी मुद्रणालय में तत्स्थानी अंग्रेजी प्रलेखों की तरह छापे जाते हैं। सामग्री को मंत्रालय और मुद्रणालयों में भेजने के लिये भी सुरक्षा के वहीं प्रबन्ध किये जाते हैं। अब सारी प्रक्रिया का पुनरीक्षण किया गया है। चालू वर्ष में बजट का भेद वित्त मंत्रालय में नहीं खुला, बल्कि मुद्रणालय में खुला है। मुद्रणालय में सुरक्षा प्रबन्धकों का पुनरीक्षण मुद्राणलय प्राधिकारी करेंगे ।

हमने बजट भाषण का भाग 'ख' और वित्त विधेयक जैसे अत्यन्त गोपनीय प्रलेखों को स्वयं वित्त मंत्रालय में छापने के प्रश्न पर विचार किया है। हमें आशा है कि अगले बजट के उपस्थापन के समय तक स्वयं मंत्रालय में ही संतोषजनक प्रबन्ध कर दिये जायेंगे। इसलिये हम माननीय सदस्यों के सुझाव का स्वागत करते हैं हम भी ऐसा ही सोच रहे थे। हमारे विचार में, सुरक्षा व्यवस्था के वित्त मंत्रालय और मुद्रणालय दोनों के हाथ में होने से जो खतरा रहता है, वह दूर हो जायेगा।

हम अनुभव करते हैं कि शेष प्रक्रिया में कोई अन्य मुख्य परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु यह कोई अन्तिम निर्णय नहीं है। संभवतः आदर्श तो यह होगा कि पहले से कोई चीज़ न छापी जाये और बजट वाले दिन तक सारे भाषण और वित्त विधेयक को गुप्त रखा जाये, किन्तु मेरी राय में वर्तमान व्यवस्था को, जिसके अनुसार विभिन्न महत्वपूर्ण केन्द्रों में बजट भाषण के भाग 'ख' को एक साथ परिचालित किया जाता है, समाप्त कर देना एक प्रतिगामी पग होगा। यदि सारा भाषण इस के संसद् में दिये जाने के बाद ही राजधानी में प्रकाशित किया जाये, तो यह दूसरे दिन भी सारे देश में दूरस्थ स्थान पर एक साथ प्रकाशित नहीं हो सकेगा। यदि कर तत्काल ही लागू होते हैं, तो समस्त बजट प्रस्थापनाओं को वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यालयों को न बताना भी व्यवहार्य नहीं है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के अतिरिक्त किसी को भी बजट वाले दिन के ६ बजे शाम तक प्रस्थापनाओं का ज्ञान नहीं होता है। उस समय तक सामान्यतया यह प्रस्थापनायें संसद् में घोषित कर दी जाती हैं और राजस्व प्राधिकारी तत्काल ही कर सम्बन्धी परिवर्तनों को लागू कर सकते हैं।

हम यह भी अवांछनीय समझते हैं कि सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क सम्बन्धी बजट प्रस्थापनायें किसी आगे की तिथि से लागू की जायें। वस्तुओं के मूल्य संशोधित शुल्कों के अनुसार हो जायेंगे परन्तु राज्य तो उन तिथियों के बीच, जब कि बजट उपस्थापित किया जाता है और जब शुल्क लागू होता, राजस्व इकट्ठा नहीं कर सकेगा किन्तु व्यापारी समुदाय उपभोक्ता को हानि पहुंचा यह बढ़े हुये मूल्यों से लाभ उठा सकेगा।

अनुदानों की मांगें और बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली में छापे जाते हैं। ये प्रलेख इतने मोटे होते हैं कि इन्हें वित्त मंत्रालय के अधीन किसी छोटे से मुद्रणालय में छापना संभव ही नहीं है। मुद्रण की सभी अवस्थाओं में इन्हें गुप्त रखा जाता है। इन में बजट प्रस्थापनाओं का कोई भाग सम्मिलित नहीं होता, केवल अन्तिम अवस्था में व्याख्यात्मक ज्ञापन और बजट विवरण के आंकड़े बजट प्रस्थापनाओं को देख कर किन्तु वास्तविक प्रस्थापनाओं का उल्लेख किये बिना ठीक किये जाते हैं, हमारे विचार में इन प्रलेखों द्वारा बजट प्रस्थापनाओं का भेद खुलने की कोई संभावना नहीं है ।

यह हमारा अस्थायी विचार है। जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है, यदि सदन की यह इच्छा है कि एक समिति इस मामले की अब या बाद में, जब हम प्रस्ताव तैयार कर लें, जांच करे--मेरे विचार में

भविष्य में सावधान रहने का प्रश्न अपराधियों को दंड देने के प्रश्न से अधिक महत्वपूर्ण है—तो हमें यह सुझाव स्वीकार होगा ।

प्राक्कलन समिति को बजट के रूप के बारे में सुझाव देने का अधिकार है और वह बजट प्रक्रिया पर भी विचार कर सकती है । हमें इस में कोई रुचि नहीं है, हम इसे सभा की राय पर छोड़ते हैं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार २१ मार्च, १९५६ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

पृष्ठ

[मंगलवार, २० मार्च, १९५६]

स्थगन-प्रस्ताव १२७३

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी ने १७-१९ मार्च, १९५६ को ज़िला फीरोजपुर स्थित हुसैनीवाला हेडवर्क्स पर हुई सीमा घटना के बारे में जिस स्थगन-प्रस्ताव की पूर्व-सूचना दी थी, अध्यक्ष ने उस के प्रस्तुत होने की अनुमति इसलिये नहीं दी कि उस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने सभा-पटल पर एक ब्यौरा रखा था ।

उपाध्यक्ष का निर्वाचन १२७४–७६

सरदार हुक्म सिंह लोक-सभा के उपाध्यक्ष चुने गये ।

विदेशी मामलों के सम्बन्ध में वक्तव्य १२७६–८२

प्रधान मंत्री ने वैदेशिक कार्यों से सम्बद्ध कतिपय मामलों के बारे में वक्तव्य दिया ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२८२

(एक) संयुक्त राज्य अमरीका के सेक्रेटरी आफ स्टेट्स और पुर्तगाल के विदेश मंत्री द्वारा वाशिंगटन २ दिसम्बर, १९५५ को जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति पर भारत सरकार तथा संयुक्त राज्य अमरीका के बीच हुई लिखा-पढ़ी ।

(दो) ज़िला फीरोज़पुर स्थित हुसैनीवाला हेडवर्क्स पर हुई सीमा घटना के बारे में वक्तव्य ।

विधेयक—प्रवर समिति को सौंपा गया १२८२–१३१०

जीवन बीमा निगम विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर और आगे विचार हुआ और उक्त प्रस्ताव इस रूप में स्वीकार हुआ कि प्रवर समिति को १६ अप्रैल, १९५६ तक अपना प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाय ।

आय-व्ययक सम्बन्धी प्रस्तावों का भेद खुल जाना १३११–३१

सामान्य आय-व्ययक का भेद खुल जाने तथा आय-व्ययक की गोपनीयता और आय-व्ययक सम्बन्धी सुधारों से सम्बद्ध मामलों के सम्बन्ध में १२ मार्च, १९५६ को प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर डा० लंका सुन्दरम् ने चर्चा उठाई ।

बुधवार, २१ मार्च, १९५६ के लिये कार्यावलि

प्रतिरक्षा मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों पर चर्चा ।

M99LSD—190—16-10-57—GIPF